

उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-6
संख्या-45/2022/2770/77-6-2022-2(एम)/2022
लखनऊ : दिनांक 04 नवम्बर, 2022

अधिसूचना

भारत का संविधान के अनुच्छेद 162 के अन्तर्गत कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल द्वारा "उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022" को प्रख्यापित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022, इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से 05 वर्ष तक प्रभावी रहेगी।

(अरविन्द कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-45/2022/2770(1)/77-6-2022-2(एम)/2022.तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0।
5. समस्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. प्रबन्ध निदेशक, पिकप।
8. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
9. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
10. समस्त अनुभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(जय वीर सिंह)
संयुक्त सचिव।



उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोज़गार
प्रोत्साहन नीति-2022

उत्तर प्रदेश शासन



विषय सूची

1. प्रस्तावना.....	3
2. नीति का संदर्भ.....	4
3. नीति का विज़न एवं कार्यान्वयन.....	7
3.1 विज़न.....	7
3.2 मिशन.....	7
3.3 विज़न प्राप्त करने हेतु रणनीतियाँ.....	8
4. उच्च स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं की सुलभता.....	9
4.3 निजी औद्योगिक पार्कों को प्रोत्साहन.....	11
4.4 निजी औद्योगिक पार्कों हेतु भूमि की व्यवस्था.....	13
4.5 त्वरित (फास्ट-ट्रैक) भूमि आवंटन.....	13
4.6 निवेश क्षेत्र, औद्योगिक कॉरिडोर एवं इटीग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर के विकास हेतु एक्सप्रेसवेज़ एवं डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का लाभ प्राप्त करना.....	15
4.7 सड़क कनेक्टिविटी.....	16
4.8 रेलमार्ग कनेक्टिविटी.....	16
4.9 वायुमार्ग कनेक्टिविटी.....	17
4.10 जलमार्ग.....	17
4.11 डिजिटल कनेक्टिविटी.....	17
4.12 विद्युत उपलब्धता.....	17
4.13 जलापूर्ति एवं जल-निकासी.....	18
5. लॉजिस्टिक्स-दक्षता सुनिश्चित करना.....	18
6. वित्तीय संसाधनों की सुलभता.....	19
7. कुशल कार्यबल – जनसांख्यिकीय का लाभ प्राप्त करना.....	19
8. क्षेत्र विशिष्ट दृष्टिकोण – भविष्य के विकास हेतु लाभप्रद क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए सकारात्मक क्षेत्रों से लाभ प्राप्त करना.....	21
8.1 फोकस क्षेत्र.....	21
8.2 नवोदय एवं संभाव्य क्षेत्र(Sunrise & Potential sectors).....	22
8.3 सेवा क्षेत्र में प्रमुख सेक्टर (Champion Sectors in Service Industry).....	22
8.4 उद्योगों की नकारात्मक सूची (Negative list).....	23
9. आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश – वैश्विक मूल्य श्रृंखला से एकीकरण.....	23
9.1 आयात प्रतिस्थापन.....	23
9.2 निर्यात प्रोत्साहन.....	24
9.3 अनुसंधान एवं विकास, नवाचार एवं बौद्धिक संपदा अधिकार को प्रोत्साहन.....	24
9.4 गुणवत्ता एवं डिजाइन को प्रोत्साहन.....	25
9.5 एमएसएमई, ओडीओपी एवं अन्य स्थानीय उद्योगों की सहायता.....	25
10. ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस – अनुकूल औद्योगिक वातावरण का सृजन.....	26
10.1 नियामक अनुपालन भार को कम करना(Minimizing Regulatory Compliance Burden).....	26

10.2	प्रक्रियाओं का सरलीकरण	26
10.3	समयबद्ध स्वीकृतियां	27
10.4	सिंगल विण्डो क्लियरेंस(Single Window Clearance)	27
10.5	औद्योगिक सुरक्षा	27
10.6	अन्य प्रवर्तक	28
11.	'ब्राण्ड उत्तर प्रदेश' की मार्केटिंग – निवेश प्रोत्साहन तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आकर्षण	28
12.	वित्तीय प्रोत्साहन	30
12.1	पात्रता एवं परिभाषाएं	30
12.2	स्टाम्प शुल्क में छूट	33
12.3	निवेश प्रोत्साहन उपादान	34
12.4	केस-टू-केस आधार पर प्रोत्साहन	38
12.5	अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं (R&D) तथा बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) हेतु प्रोत्साहन	38
12.6	उत्कृष्टता केंद्रों (CoE) हेतु वित्तीय अनुदान	39
12.7	अवस्थापना परियोजनाओं हेतु प्रोत्साहन	39
12.8	नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु शर्त	39
13.	रोजगार के अवसरों का सृजन	40
14.	संतुलित क्षेत्रीय प्रगति सुनिश्चित करना	40
15.	चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy) एवं पर्यावरण संरक्षण	41
16.	नीति का कार्यान्वयन	42


1. प्रस्तावना

- 1.1 भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रदेश देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 8 प्रतिशत का योगदान देता है तथा सबसे बड़े उपभोक्ता बाजारों में से एक है। प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सात नगर हैं तथा सात अन्य नगरों में 5 लाख से अधिक जनसंख्या है।
- 1.2 जहां भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था एवं वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने के अपने सपने को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है, वहीं उत्तर प्रदेश द्वारा अपने राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) को 1 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाकर इस अभियान में योगदान करने की योजना बनाई है।
- 1.3 तेजी से बदलती हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था में नई प्रौद्योगिकियों के उदय के साथ उत्तर प्रदेश में एक स्थिर एवं संतुलित नीति, सुदृढ़, विधिक एवं नियामक ढांचे तथा एक उद्योगपरक पारिस्थितिकी तंत्र (industry-friendly ecosystem) का विकास करना अनिवार्य है।
- 1.4 यह नीति इस विजन को पूर्ण करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह नीति एक नए दृष्टिकोण की आभास दिलाती है, जिसके अंतर्गत सरकार तथा व्यवसाय राज्य के समस्त नागरिकों के लिए एक सुदृढ़, संतुलित एवं टिकाऊ अर्थव्यवस्था को आकार देने के लिए मिलकर कार्य कर सकते हैं तथा 'आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
- 1.5 मूल रूप से यह नीति राज्य के विश्वास का प्रतीक है, जो निजी क्षेत्र के निवेश को सक्षम बनाता है तथा यथावश्यकता निर्णायक रूप से हस्तक्षेप करता है।
- 1.6 यह इस विश्वास में निहित है कि एक सफल अर्थव्यवस्था को श्रमिकों के कौशल, अवस्थापना सुविधाओं की गुणवत्ता तथा एक निष्पक्ष, सुरक्षित एवं आशा के अनुरूप कारोबारी माहौल की दृढ़ आधारशिला पर निर्मित किया जाना चाहिए।
- 1.7 यह नीति सरकार एवं निजी क्षेत्र के मध्य सामंजस्य एवं सहभागिता को प्राथमिकता प्रदान करती है।
- 1.8 नीति में यह भी सम्मिलित है कि अर्थव्यवस्था का विस्तार करना सरकार का एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए, अपितु एक उत्तरदायी एवं सतत विकास सुनिश्चित करना, जो समाज के वंचित जनमानस तक पहुंचे तथा प्रदेश के हर एक क्षेत्र का समेकित विकास हो।
- 1.9 नीति यह निर्धारित करती है कि सरकार, प्रदेश की विशिष्टताओं में किस प्रकार वृद्धि करेगी तथा प्रदेश को अपनी पूर्ण क्षमता प्राप्त करने के अवसरों का लाभ उठाते हुए भविष्य में उनका विस्तार करेगी।
- 1.10 यह नीति प्रदेश में नवीन एवं उन्नत औद्योगिक परिदृश्य के सृजन हेतु औद्योगिक विकास एवं समस्त सेक्टर्स सहित वैल्यू चेन एवं सप्लाय चेन के विकास को प्रोत्साहित करेगी तथा एक सुदृढ़ सहयोगात्मक दृष्टिकोण के साथ उत्तर प्रदेश को वैश्विक एवं राष्ट्रीय स्तर पर एक उत्कृष्ट एवं महत्वपूर्ण निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करेगी।
- 1.11 यह नीति समस्त निवेशोन्मुख नीतियों को समेकित करते हुए आगामी 5 वर्षों के लिए एक रणनीतिक ढांचा प्रदान करती है, जिसके अंतर्गत निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के निवेशसंबंधी निर्णय विश्वास के साथ लिए जा सकते हैं।

2. नीति का संदर्भ


- 2.1 उत्तर प्रदेश ने स्वयं को न केवल बड़े निवेशकों, अपितु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के बीच भी देश में निवेश करने हेतु अग्रणी स्थानों में से एक के रूप में स्थापित किया है। आगामी वर्षों में, प्रदेश स्वयं को अधिक सुदृढ़ एवं वाह्योन्मुख बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है।
- 2.2 गत मुख्य औद्योगिक नीति – औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अंतर्गत कार्यान्वयन के प्रमुख अनुभव एवं उपलब्धियां इस नवीन नीति हेतु एक आधार प्रदान करते हैं।
- 2.3 पूर्व नीति की क्रियान्वयन अवधि में प्राप्त उपलब्धियां एवं प्रमुख विशेषताएं निम्नवत् हैं—

- 2.4 विगत पांच वर्षों में राज्य सरकार ने प्रदेश में अवस्थापना एवं कनेक्टिविटी नेटवर्क का त्वरित विकास किया है। देश में सबसे घने राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क होने के अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश ने वर्तमान एवं आगामी एक्सप्रेसवेज—कुल 13 एक्सप्रेसवेज के साथ स्वयं को 'एक्सप्रेसवेज के राज्य' के रूप में स्थापित किया है, जिसमें से 6 एक्सप्रेसवेज (1225 किलोमीटर) पूर्ण हो चुके हैं जबकि 7 अन्य विकास के विभिन्न चरणों में हैं।




- 2.5 उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क (16,000 किमी से अधिक) होने के अतिरिक्त ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (ईडीएफसी) एवं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डब्ल्यूडीएफसी) का अधिकांश भाग उत्तर प्रदेश में है।

- 2.6 डब्ल्यूडीएफसी मुंबई (पश्चिमी भारत) में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) बंदरगाह से जोड़ता है तथा प्रदेश से हो कर जाने वाले ईडीएफसी के 57 प्रतिशत भाग के माध्यम से कोलकाता (पूर्वी भारत) में हल्दिया बंदरगाह को जोड़ता है। राज्य सरकार ने इन दोनों फ्रेट कॉरिडोरों का लाभ उठाने हेतु एक रणनीतिक ढांचा तैयार किया है। राज्य सरकार के कुशल शासन तंत्र एवं भारत सरकार के प्रभावी सहयोग से इन कोरिडोरों से जुड़ी विभिन्न प्रारंभिक (अर्ली बर्ड) परियोजनाओं का तीव्र गति से कार्यान्वयन हुआ है।



- 2.7 दादरी (उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जनपद में स्थित) में ईडीएफसी एवं डब्ल्यूडीएफसी के जंक्शन होने के कारण राज्य को लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में एक अद्वितीय लाभ प्राप्त है। इस क्षेत्र में एक मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स हब तथा मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट हब भी विकसित किए जा रहे हैं, जिनसे लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में विकास को, और गति मिलेगी।

2.8 प्रयागराज को हल्दिया बंदरगाह से जोड़ने वाले देश के प्रथम अंतर्देशीय जलमार्ग का लगभग 1,100 किमी पूर्व से ही संचालित है। वाराणसी में एक मल्टी-मोडल टर्मिनल तथा राष्ट्रीय जलमार्ग-1 के साथ गाजीपुर/राजघाट, रामनगर (वाराणसी) एवं प्रयागराज टर्मिनल में विभिन्न फ्लोटिंग टर्मिनल संचालित हैं। साथ ही, भारत का प्रथम 'फ्रेट विलेज' वाराणसी में 100 एकड़ में विकसित किया जा रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के निर्यात केंद्रों को पूर्वी भारत के बंदरगाहों से जोड़ने वाला यह गांव अंतर्गामी तथा वाह्यगामी कार्गो के लिए ट्रांस-शिपमेंट हब के रूप में कार्य करेगा।



- 2.9 लखनऊ, वाराणसी तथा कुशीनगर में विद्यमान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के अतिरिक्त अब जेवर एवं अयोध्या में नए हवाई अड्डे विकसित किए जा रहे हैं। शीघ्र ही उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र राज्य होगा, जहां 05 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। घरेलू कनेक्टिविटी के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (आरसीएस) के अंतर्गत 07 हवाई अड्डों का शुभारंभ हो गया है तथा 08 अन्य हवाई अड्डे विकास के विभिन्न चरणों में हैं।
- 2.10 विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स सुविधाओं की सुलभता (LEADS) की रैंकिंग में 'शीर्ष सुधारक' के रूप में वर्गीकृत, उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2021 में देश में 6वां स्थान प्राप्त करके वर्ष 2019 से 7 स्थानों का उल्लेखनीय सुधार किया है।
- 2.11 पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की ऐतिहासिक पहल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश एक राज्य स्तरीय मास्टर प्लान विकसित करने में एक अग्रणी राज्य है, जिसका उद्देश्य इष्टतम लॉजिस्टिक्स अवस्थापना सुविधाओं की योजना से 'संपूर्ण प्रदेश' को आच्छादित करना है।
- 2.12 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रदेश सरकार के लिए एक प्रमुख फोकस क्षेत्र है। राज्य सरकार ने 25 से अधिक विभागों में रिकॉर्ड 500 सुधारों, यथा- श्रम विनियमन, निरीक्षण नियम, भूमि आवंटन, संपत्ति पंजीकरण, पर्यावरण स्वीकृति, करों का भुगतान आदिको लागू किया है। रेग्युलेटरी कंप्लायंस बर्डन (RCB) के अंतर्गत अनुपालनों को कम करने के कार्यक्रम के अधीन प्रदेश में 3,500 से अधिक अनुपालनों को कम किया गया है एवं 900 अधिनियमों/नियमों/विनियमों/आदेशों को समाप्त किया गया है तथा 569 अनुपालनों का decriminalisation किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश को भारत सरकार द्वारा समस्त राज्यों की बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (BRAP) 2019 की रैंकिंग में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ तथा वर्ष 2020 की रैंकिंग में 'अचीवर स्टेट' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- 2.13 देश के अग्रणी सिंगल विण्डो पोर्टलों में से एक - निवेश मित्र के माध्यम से प्रदेश सरकार बिना किसी मानव हस्तक्षेप के 29 विभागों की 353 सेवाएं उद्योगों एवं नागरिकों को सफलतापूर्वक प्रदान करने में सक्षम है। पोर्टल को नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से भी एकीकृत किया जा चुका है।
- 2.14 नीतिगत सुविधाओं हेतु राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 से आच्छादित 20 से अधिक क्षेत्र-विशिष्ट नीतियां प्रख्यापित की गई हैं। ये नीतियां राज्य में नीति-आधारित शासन व प्रोत्साहन तंत्र को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने में सक्षम रही हैं।

- 2.15 राज्य सरकार ने क्षेत्र-विशिष्ट उद्योगों के लिए क्षेत्र निर्धारित करते हुए संपूर्ण राज्य में उद्योगों के लिए **लैण्ड बैंक** के सृजन हेतु भी कदम उठाए हैं। इसमें आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, झांसी एवं चित्रकूट में 5,000 हेक्टेयर भूमि पर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर; आगरा (1060 एकड़) एवं प्रयागराज (1139 एकड़) में इंटीग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर; गौतमबुद्ध नगर में 350 एकड़ से अधिक में मेडिकल डिवाइस पार्क; ग्रेटर नोएडा में इंटीग्रेटेड टाउनशिप (आईआईटी जीएनएल); यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में टॉय पार्क (52 एकड़), एपैरल पार्क (118 एकड़), हस्तशिल्प पार्क (40 एकड़), लॉजिस्टिक्स हब (टप्पल-बाजना); फिल्म सिटी; मेगा लेदर पार्क उन्नाव – 42 एकड़ भूमि में फैला देश का पहला लेदर पार्क; बरेली में मेगा फूड पार्क (246 एकड़); वाराणसी में एग्रो पार्क (259 एकड़); ट्रांस-गंगा सिटी, उन्नाव (1149 एकड़); लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, गोरखपुर एवं अलीगढ़ आदि में प्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्सों में सम्मिलित हैं।
- 2.16 प्रदेश सरकार द्वारा प्रमुख एक्सप्रेसवेज के किनारे **इंटीग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर** भी विकसित किए जा रहे हैं।
- 2.17 **यूपी इन्वेस्टर्स समिट-2018** की अभूतपूर्व सफलता प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न प्रभावी कदमों का प्रमाण है। इस इन्वेस्टर्स समिट में ₹4.28 लाख करोड़ के 1,045 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए तथा 7,000 से अधिक व्यापारिक प्रतिनिधियों एवं 10 देशों के उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमण्डलों ने प्रतिभाग किया था।
- 2.18 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 की प्रभावी अवधि में राज्य में लगभग ₹3.5 लाख करोड़ का निवेश हुआ, जिसमें 3 ग्राउंड ब्रेकिंग समारोहों में शुभारंभ किए गए निवेश सम्मिलित हैं, यथा- डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (अधिकांशतः मोबाइल एवं व्हाइट गुड्स), खाद्य प्रसंस्करण, इंजीनियरिंग सहित मैनुफैक्चरिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, हथकरघा एवं वस्त्र, लॉजिस्टिक्स एवं भंडारण, आईटी/आईटीईएस, पर्यटन आदि।
- 2.19 चूंकि उत्तर प्रदेश में देश में एमएसएमई की सबसे अधिक संख्या (लगभग 90 लाख) है, अतः इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। राज्य सरकार के प्रमुख कार्यक्रम, एक जनपद-एक उत्पाद (वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट : ODOP) को वर्ष 2018 में प्रारंभ किया गया था, तथा जिसे राष्ट्रीय स्तर पर अंगीकृत किया गया है। इसकी प्रशंसा देश भर में की गई है तथा इससे न केवल स्थानीय उद्योगों के संरक्षण एवं प्रोत्साहन में सफलता मिली है, अपितु इससे निर्यात में कई गुना वृद्धि हुई है।
- 2.20 राज्य में ओडीओपी कार्यक्रम की प्रगति सुनिश्चित करने हेतु वैश्विक ई-कॉमर्स कम्पनियों के साथ समझौते, सामान्य सुविधा केंद्रों (Common Facilitation Centres) का विकास, वित्तीय सहायता, टूल किट वितरण आदि सहित विभिन्न कदम उठाए गए हैं।
- 2.21 इसके अतिरिक्त औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 की प्रभावी अवधि में प्रदेश सरकार द्वारा एक समर्पित निवेश प्रोत्साहन व सुविधा एजेंसी – 'इन्वेस्ट यूपी' की स्थापना की गई।
- 2.22 गत नीति की प्रभावी अवधि में ही कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक हानि भी हुई, तथापि, प्रदेश में तत्पर एवं कुशल शासन-तंत्र के फलस्वरूप प्रदेश में व्यवसायों को न्यूनतम मानव-दिवसों की हानि हुई। प्रदेश को न केवल कोविड-19 प्रबंधन के लिए विश्वस्तर पर सराहा गया, अपितु देश एवं विदेश दोनों से भी नवीन निवेश आकर्षित हुए।

- 2.23 उपर्वर्णित संक्षिप्त संदर्भ के साथ उत्तर प्रदेश की यह "नवीन औद्योगिक नीति", नई उपलब्धियों सहित अब तक प्राप्त औद्योगीकरण की गति का लाभ उठाने तथा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक गतिशीलता से सामंजस्य स्थापित करने की रणनीति प्रदान करती है।
- 2.24 इस नवीन नीति के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की परिवर्तनशील प्रकृति के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के साथ सहभागिता एवं राज्य के वित्तीय उत्तरदायित्वों को संतुलित करने की आवश्यकता को महत्व प्रदान किया गया है।
- 2.25 इस नवीन नीति के निर्माण में प्रमुख क्षेत्रों, यथा- भूमि की उपलब्धता, निजी निवेशकों की सहायता, समस्याओं का त्वरित समाधान, प्रोत्साहनों (incentives) का ससमय अनुमोदन तथा राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) से पृथक विकल्पों के साथ प्रोत्साहन संरचना जैसे प्रमुख बिन्दुओं पर उद्योगों, औद्योगिक संगठनों एवं अन्य हितधारकों के फीडबैक पर यथोचित विचार किया गया है।

3. नीति का विज़न एवं कार्यान्वयन


3.1 विज़न

उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करके राज्य में रोजगार के अवसरों का सृजन करना तथा स्थायी, सर्वसमावेशी एवं संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना।

3.2 मिशन

- 3.2.1 01 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के राज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु एक प्रगतिशील, अभिनव एवं प्रतिस्पर्धी औद्योगिक इकोसिस्टम(Ecosystem) को प्रोत्साहित एवं स्थापित करना।
- 3.2.2 राज्य में पूंजी निवेश में वृद्धि।
- 3.2.3 औद्योगिक विकास हेतु गुणवत्तापूर्ण अवस्थापना सुविधाओं का विकास एवं अनुरक्षण करना।
- 3.2.4 व्यापार अनुकूल वातावरण सृजित करने हेतु 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस'को प्रोत्साहित करना।
- 3.2.5 कुशल व अकुशल कार्यबल/श्रमशक्ति हेतु अधिकतम प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रोजगार तथा स्व-रोजगार के अवसरों का सृजन करना।
- 3.2.6 रोजगारपरकता एवं सशक्तिकरण सुनिश्चित करने हेतु राज्य के श्रमबल (Workforce)को कुशल बनाना।
- 3.2.7 नवाचार (Innovation) की भावना तथा उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना।
- 3.2.8 संतुलित, स्थाई एवं समावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित करना।

नीति के रणनीतिक स्तंभ



द्विदिना क्षेत्र-विशिष्ट नीतियों हेतु समग्र कार्यन्वयन तंत्र

3.3 विज्ञान प्राप्त करने हेतु रणनीतियाँ

नीति का लक्ष्य 5 प्रमुख स्तंभों के अधीन कार्यवाही के माध्यम से अपने विज्ञान एवं मिशन को प्राप्त करना है -

3.3.1 **Horizontal** में उत्पादन के प्रमुख कारकों की सुलभता हेतु उपाय-

- गुणवत्तापूर्ण अवस्थापना सुविधाओं (भूमि को सम्मिलित करते हुए) का विकास, औद्योगिक पार्क, औद्योगिक कॉरिडोर, इंटीग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर, कनेक्टिविटी-(सड़क मार्ग, वायुमार्ग, जलमार्ग एवं डिजिटल, विद्युत, जल एवं जल निकासी),
- लॉजिस्टिक्स दक्षता,
- वित्तपोषण की उपलब्धता,
- कुशल जनशक्ति।

3.3.2 **Vertical** में निम्नलिखित क्षेत्र-श्रेणियों में प्रमुख उपाय सम्मिलित हैं -

- फोकस सेक्टर**- वे सेक्टर, जो राज्य में आर्थिक विकास एवं प्रगति के प्रमुख चालक(Key Drivers) हैं तथा जिनके लिए राज्य की किसी भी वर्तमान क्षेत्र-विशिष्ट नीति के अंतर्गत समर्पित प्रोत्साहन तंत्र उपलब्ध है।
- नवोदय (Sunrise) सेक्टर**- बदलते हुए बाजार के स्वरूप, नवीन प्रौद्योगिकियों तथा विकासशील भू-आर्थिक परिदृश्य के परिणामस्वरूप नवोदय सेक्टर अस्तित्व में आ रहे हैं, जो राज्य में भविष्य के विकास के चालक बन सकते हैं तथा जिनके विकास हेतु राज्य सरकार की किसी भी क्षेत्र-विशिष्ट नीतियों के अंतर्गत कोई समर्पित प्रोत्साहन तंत्र उपलब्ध नहीं है। ऐसे क्षेत्रों को सनराइज सेक्टर कहा जाएगा।
- सेवा क्षेत्र में प्रमुख सेक्टर**- 'सेवाओं में प्रमुख सेक्टर हेतु कार्य योजना' के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चिन्हित किए गए 12 सेवा सेक्टर।

3.3.3 वैश्विक मूल्य श्रृंखला (Global Value Chain) एकीकरण स्तंभ में निम्नलिखित उपाय सम्मिलित होंगे-

- आयात प्रतिस्थापन,
- निर्यात प्रोत्साहन,

- iii. अनुसंधान एवं विकास (R&D), नवाचार (Innovation) एवं बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) को प्रोत्साहित करना,
- iv. गुणवत्ता एवं डिजाइन में वृद्धि करना,
- v. एमएसएमई, ओडीओपी एवं अन्य स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहित करना।

3.3.4 निवेश आकर्षण स्तंभ–

- i. ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस में वृद्धि (enhancement),
- ii. 'ब्रांड उत्तर प्रदेश' की मार्केटिंग,
- iii. वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना।

3.3.5 Sustainability स्तंभ–

- i. रोजगार के अवसरों का सृजन करना,
- ii. संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना,
- iii. चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy) एवं पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना।

रणनीति 1 : क्षैतिज स्तंभ (Horizontal Pillars of Intervention)

4. उच्च स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं की सुलभता

औद्योगिक विकास हेतु सक्षम एवं सुदृढ़ अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता अनिवार्य है। इससे न केवल व्यवसाय करने की संचालन लागत में कमी होती है, अपितु उच्चस्तरीय विकास एवं जीवन स्तर के साथ ही अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होती है।

सामान्यतः निजी क्षेत्र द्वारा ऐसी अवस्थापना सुविधाएं, जो राज्य के विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु आवश्यक हैं एवं दीर्घकाल में परिवर्तनकारी सिद्ध हो सकती हैं, को प्रदान नहीं किया जा सकता है। प्रदेश सरकार इस प्रकार की अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है।

प्रदेश सरकार उक्त उद्देश्य को प्राप्त करने में निजी निवेश के महत्व को भली-भांति समझती है। अतः एक नियामक वातावरण सृजित करने हेतु उपाय किए जाएंगे, जो राज्य के नवीन तथा वर्तमान अवस्थापनादांचे में निजी निवेश को आकर्षित कर सकें तथा दीर्घकालिक विकास संभव हो सकें। राज्य सरकार का आशय इस नीति के माध्यम से क्षेत्रीय विकास की आवश्यकताओं के साथ अवस्थापना विकास की योजना को और अधिक प्रभावी रूप से संरेखित करने का है।

प्रदेश सरकार, औद्योगिक विकास रणनीति के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में निम्नलिखित आर्थिक अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर केंद्रित उपाय करेगी –

4.1 लैण्ड बैंक का सृजन

- 4.1.1 औद्योगिक उपयोग हेतु गैर-कृषि, बंजर एवं अनुपयोगी भूमि जो ग्राम की आवश्यकताओं के बाद यदि शेष बचती है तो उस भूमि की 'पूलिंग' को प्रोत्साहित करके एक लैण्ड बैंक सृजित करना।
- 4.1.2 गैर कृषि, बंजर एवं अन्य अनुमन्य श्रेणी की ग्राम समाज की भूमि निजी उद्यमों/ औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना के लिए जिलाधिकारी द्वारा जारी सर्किल रेट की अदायगी पर

पुनर्ग्रहीत करते हुए 30 वर्ष के लिए पट्टे पर दी जा सकेगी तथा पट्टेदार द्वारा पट्टे की शर्त का पालन करने की दशा में पट्टेदार के अनुरोध पर प्रत्येक 30 वर्ष के बाद 30-30 वर्ष के लिए पट्टे का नवीनीकरण किया जा सकेगा। सरकारी भूमि उपलब्ध कराने की कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित "उच्चस्तरीय प्राधिकृत समिति" के संस्तुति पर की जाएगी।

- 4.1.3 उद्योगों हेतु राजस्व संहिता के प्राविधानों में संशोधन करके उद्योगों की स्थापना हेतु भूमि-उपयोग प्रबंधन को सरलीकृत किया जाएगा, यथा- कृषि भूमि को गैर-कृषि भूमि में परिवर्तित करना, भू-उपयोग में परिवर्तन, ग्राम समाज भूमि का निजी भूमि से विनिमय तथा अनुसूचित जाति/जनजातिकी भूमिके विक्रय की अनुमति इत्यादि।
 - 4.1.4 सरकार/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की रुग्ण इकाइयों के स्वामित्व वाले भूमि बैंक के उपयोग के उपाय किए जाएंगे।
 - 4.1.5 निजी पक्षों (कृषकों सहित) हेतु औद्योगिक उद्देश्य के लिए ऋणभार मुक्त भूमि के पट्टे अथवा विक्रय हेतु वेब आधारित प्लेटफॉर्म विकसित करना। इस प्रकार के भूमि पार्सल के स्वामित्व/अभिलेखों का सत्यापन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
 - 4.1.6 औद्योगिक विकास प्राधिकरणोंके क्षेत्रों के अंतर्गत स्थित ग्राम समाज/सरकारी भूमि को संबंधित औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में निःशुल्क निहित किया जाएगा।
 - 4.1.7 प्रदेश में कहीं भी स्थित ग्राम समाज/सरकारी भूमि को समय-समय पर यथावश्यकता औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में निःशुल्क निहित किया जाएगा।
 - 4.1.8 राज्य में विभिन्न औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के भूमि बैंक, पूर्व से ही भारत सरकार के जीआईएस आधारित पोर्टल – भारतीय औद्योगिक भूमि बैंक (India Industrial Land Bank) के साथ एकीकृत है। राज्य सरकार, प्रदेश के साथ-साथ भारत सरकार के जीआईएस पोर्टलों पर डेटा का लाइव अपडेशन सुनिश्चित करने के उपाय करेगी।
 - 4.1.9 लैण्ड बैंक के सृजन हेतु लैण्ड बैंक पूलिंग नीति-2020 को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा।
 - 4.1.10 भूमि आवंटन हेतु आवेदन, निवेश मित्र(राज्य का सिंगल विंडो पोर्टल) के माध्यम से ही प्राप्त किए जाने की व्यवस्था प्रतिपादित करना।
- 4.2 औद्योगिक पार्कों एवं क्लस्टरों को प्रोत्साहित करना
- 4.2.1 राज्य में एक्सप्रेसवेज एवं फ्रेट कॉरिडोरों के किनारे लैण्ड बैंक तथा इंटीग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग क्लस्टरों विकसित करना।
 - 4.2.2 औद्योगिक पार्कों में उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं का अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन सहित विभिन्न संसाधनों के माध्यम से उन्नयन करना।
 - 4.2.3 क्षेत्र-विशिष्ट पार्कों एवं क्लस्टरों का विकास करना, अर्थात्- पीपीपीसहित विभिन्न मॉडलों के माध्यम से मेडिकल डिवाइस पार्क, टेक्सटाइल पार्क, टॉय पार्क, फूड प्रोसेसिंग पार्क, आईटी

पार्क आदि। सरकार ऐसे पार्कों के विकास के लिए भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के साथ सामंजस्य हेतु उपाय करेगी।

4.2.4 प्लैटेड फैक्ट्री में प्लग-एण्ड-प्ले सुविधाओं का निर्माण। इस हेतु राज्य सरकार, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का प्रयास करेगी।

4.2.5 औद्योगिक कॉरिडोर के विकास, प्रशिक्षण संस्थानों, वित्तीय सेवाओं, उत्कृष्टता केंद्रों, सीएफसी आदि जैसे क्षैतिज स्तंभों के विकास के माध्यम से क्लस्टर विकास के ढांचे को सुदृढ़ करना।

4.3 निजी औद्योगिक पार्कों को प्रोत्साहन

4.3.1 बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल में 20 एकड़ अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के निजी औद्योगिक पार्कों तथा मध्यांचल एवं पश्चिमांचल में 30 एकड़ अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के निजी औद्योगिक पार्कों के विकासकर्ताओं को निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे—

- i. बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल में अधिकतम ₹45 करोड़ तथा मध्यांचल एवं पश्चिमांचल में अधिकतम ₹40 करोड़ की सीमा के अधीन पात्र स्थाई पूंजी निवेश (भूमि कीलागत तथा हॉस्टल/डॉरमेट्री के भवन निर्माण कीलागत को छोड़कर) के 25 प्रतिशत की पूंजीगत उपादान।
- ii. श्रमिकों के लिए हॉस्टल/डॉरमेट्री के निर्माण की लागत (भूमि लागत को छोड़कर) के 25 प्रतिशत की दर से पूंजीगत उपादान अधिकतम ₹25 करोड़ की सीमा के अधीन।
- iii. विकासकर्ता को भूमि क्रय पर स्टाम्प शुल्क से शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।
- iv. इस हेतु पार्क विकासकर्ता द्वारा प्राप्त स्टाम्प शुल्क में छूट के समतुल्य बैंक गारण्टी (BG) जमा करायी जाएगी, जो कि पार्क विकसित होने के उपरान्त Release की जाएगी।

4.3.2 संपूर्ण प्रदेश में कहीं भी 100 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में विकसित निजी औद्योगिक पार्कों को राज्य सरकार निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान करेगी—

- i. पात्र स्थाई पूंजी निवेश (भूमि की लागत तथा हॉस्टल/डॉरमेट्री के भवन निर्माण की लागत को छोड़कर) का 25 प्रतिशत पूंजीगत उपादान (अधिकतम ₹80 करोड़ की सीमा के अधीन)।
- ii. औद्योगिक पार्कों में श्रमिकों के लिए छात्रावास/डॉरमेट्री के निर्माण की लागत (भूमि लागत को छोड़कर) के 25 प्रतिशत की दर से पूंजीगत उपादान (अधिकतम ₹50 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन)।
- iii. विकासकर्ता द्वारा भूमि क्रय पर स्टाम्प शुल्क से शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।
- iv. इस हेतु पार्क विकासकर्ता द्वारा प्राप्त स्टाम्प शुल्क में छूट के समतुल्य बैंक गारण्टी (BG) जमा करायी जाएगी, जो कि पार्क विकसित होने के उपरान्त Release की जाएगी।

4.3.3 निजी औद्योगिक पार्कों के अंतर्गत न्यूनतम पांच इकाइयां होनी चाहिए तथा उनमें से किसी भी एक इकाई द्वारा औद्योगिक प्रयोजन हेतु आवंटित भूमि का 80 प्रतिशत से अधिक भूमि उपयोग नहीं होना चाहिए।

4.3.4 प्रोत्साहनों का संवितरण निम्नानुसार किया जाएगा –

- i. स्थाई पूंजी निवेश के मद के अंतर्गत पूंजीगत उपादान का 75 प्रतिशत (संदर्भ : उप-प्रस्तर 4.3.1 (i) तथा 4.3.2 (i)) 04 किशतों में प्रदान किया जाएगा, जिसकी प्रतिपूर्ति इस मद के अन्तर्गत कुल लागत के 25 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 75 प्रतिशत एवं 100 प्रतिशत व्यय के उपरांत की जाएगी। अगला 10 प्रतिशत उपादान, अनुमादित प्लान के अनुसार पार्क में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों को शत-प्रतिशत विक्रय योग्य भूमि के आवंटन के पश्चात् किया जाएगा। शेष 15 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि, पार्क में 80 प्रतिशत इकाइयों द्वारा वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ करने के उपरांत जारी की जाएगी।
- ii. हॉस्टल/डॉरमेट्री (संदर्भ : उप-प्रस्तर 4.3.1 (ii) तथा 4.3.2 (ii)) के मद में कुल लागत के सापेक्ष व्यय की गई धनराशि का 25 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 75 प्रतिशत एवं 100 प्रतिशत पूर्ण होने के पश्चात् 04 किशतों में पूंजीगत उपादान की प्रतिपूर्ति की जाएगी। विकासकर्ता को उक्त हॉस्टल/डॉरमेट्री को विक्रय करने /पट्टे का विकल्प इस प्रतिबन्ध के साथ उपलब्ध होगा कि हॉस्टल/डॉरमेट्री का उपयोग उक्त पार्क में स्थापित औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों/कार्मिकों द्वारा ही किया जाएगा। इस सम्बंध में विस्तृत दिशा-निर्देश पृथक से निर्गत किए जाएंगे।

4.3.5 यदि प्रदेश सरकार उचित समझती है, तो वह निजी औद्योगिक पार्कों के विकास हेतु भू-उपयोग परिवर्तन की दरों को कम कर सकती है।

4.3.6 वैश्विक एफएआर 02 (Global FAR) की अनुमति होगी जिसमें से-

- i. हॉस्टल/डॉरमेट्री के लिए अधिकतम 30 प्रतिशत तक की अनुमति होगी (विक्रय नहीं किया जा सकेगा)
- ii. वाणिज्यिक स्थान के लिए 2.5 प्रतिशत (अतिरिक्त 2.5 प्रतिशत यदि निजी विकासकर्ता ऐसे कृषकों/भूमिधरों, जिनके द्वारा पार्क हेतु 50 प्रतिशत से अधिक भूमि का योगदान किया गया हो, के साथ एसपीवी गठित करता है)

4.3.7 पार्क के कुल क्षेत्रफल का न्यूनतम 25 प्रतिशत खुले क्षेत्र, हरित क्षेत्र एवं सामान्य अवस्थापना हेतु आरक्षित होना चाहिए।

4.3.8 विकासकर्ताओं के कंसोर्शियम को अनुमति प्रदान की जाएगी।

4.3.9 प्रस्तर 4.3.1 के अंतर्गत उल्लिखित पार्कों (20-30 एकड़ अथवा अधिक) को 05 वर्षों में पूर्ण करना होगा, जबकि प्रस्तर 4.3.2 के अंतर्गत उल्लिखित पार्कों (100 एकड़ या अधिक) को 06 वर्षों में पूर्ण करना होगा।

4.3.10 ओपन एक्सेस के माध्यम से विद्युत क्रय एवं विद्युत वितरण लाइसेंस के प्राविधान की अनुमति होगी।

4.3.11 ऐसे औद्योगिक पार्क जो किसी औद्योगिक विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण/स्थानीय नगर निकाय/अन्य अधिसूचित क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र में प्रस्तावित हैं, में औद्योगिक पार्क के मानचित्र अनुमोदन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) प्राधिकृत होगा तथा यूपीसीडा के उपनियम तद्विषयक लागू होंगे।

- 4.3.12 निजी औद्योगिक पार्क योजना के कार्यान्वयन के प्रोत्साहन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
- 4.3.13 प्रदेश सरकार द्वारा वाह्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास, यथा-सड़क (लोक निर्माणविभाग द्वारा), विद्युत अवस्थापना तंत्र (ऊर्जा विभाग द्वारा) हेतु सहयोग प्रदान किया जाएगा।
- 4.4 निजी औद्योगिक पार्कों हेतु भूमि की व्यवस्था
- 4.4.1 ऐसे निजी औद्योगिक पार्क, जो 100 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में विकसित किए जाएंगे, जिनमें न्यूनतम पांच इकाइयां हैं और जिनमें से किसी भी एक इकाई द्वारा औद्योगिक प्रयोजन हेतु आवंटित भूमि का 80 प्रतिशत से अधिक भूमि उपयोग नहीं किया गया है, के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण, नगरीय निकाय एवं अन्य अधिसूचित क्षेत्रों के बाहर की भूमि के अधिग्रहण में निजी विकासकर्ताओं को सहायता प्रदान की जाएगी।
- 4.4.2 इस हेतु कुल भूमि क्षेत्रफल के 25 प्रतिशत के अधिग्रहण (पंजीकृत विक्रय विलेख के साथ) पर विकासकर्ता को एक लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। लाइसेंस-क्षेत्र के अन्तर्गत विकासकर्ता को विकास/निर्माण का एकाधिकार होगा तथा इसके लिए आवेदित किए गये संपूर्ण क्षेत्र में केवल लाइसेंसधारी का मानचित्र अनुमोदन हेतु स्वीकार किया जायेगा। ऐसे लाइसेंस-क्षेत्रों में किसी अन्य आवेदक का मानचित्र स्वीकृत नहीं किया जायेगा तथा ऐसे क्षेत्रों में अनाधिकृत विकास/निर्माण को भी नियंत्रित किया जायेगा।
- 4.4.3 प्रस्तावित निजी औद्योगिक पार्क के लिए लाइसेंस निर्गत होने के 18 माह के अन्दर विकासकर्ता को एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत करना होगा। इस अवधि तक विकासकर्ता को कुल भूमि का 60 प्रतिशत अधिग्रहण (लैंड पूलिंग एग्रीमेंट/कृषकों के साथ विक्रय विलेख सहित) पूर्ण करना होगा।
- 4.4.4 मानचित्र का अनुमोदन यूपीसीडा द्वारा अपने उपनियमों के अनुसार लाइसेंस निर्गत होने के 02 वर्ष के अन्दर किया जाएगा। उक्त समयावधि में विकासकर्ता द्वारा 75 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण (लैंड पूलिंग एग्रीमेंट/विक्रय विलेख सहित) पूर्ण करना होगा।
- 4.4.5 विकासकर्ता द्वारा निजी औद्योगिक पार्क के लिए प्रस्तावित भूमि की 80 प्रतिशत भूमि का समुच्चयन (Aggregation)के उपरान्त, यदि भूमि के अधिग्रहण में कोई समस्या आती है, तो शेष भूमि का अधिग्रहण राज्य सरकार के वर्तमान प्राविधानों के अनुसार समकक्ष राशि की बैंक-गारंटी जमा करने पर यूपीसीडा द्वारा अधिग्रहीत कर नियमानुसार विकासकर्ता कोपट्टे पर उपलब्ध कराया जाएगा।
- 4.4.6 निजी औद्योगिक पार्कों हेतु लाइसेंसिंग योजना के कार्यान्वयन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किए जाएंगे।
- 4.5 त्वरित (फास्ट-ट्रैक) भूमि आवंटन
- 4.5.1 निम्नलिखित श्रेणियों के निवेशकों को फास्ट-ट्रैक आधार पर अधिमान्य (Preferential) भूमि आवंटन किया जाएगा-
- डीपीआर के अनुसार तथा इस नीति में पारिभाषित सुपर मेगा एवं उससे उच्च श्रेणी की परियोजनाएं।

- ii. डीपीआर के अनुसार तथा इस नीति में पारिभाषित मेगाएवं उससे उच्च श्रेणी की ऐसी परियोजनाएं, जो निम्नलिखित में से किसी अर्हता (qualification) को पूर्ण करती हों—
 - (क) 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) वाली परियोजनाएं,
 - (ख) फॉर्च्यून ग्लोबल-500, इकोनॉमिक टाइम्स-200, फोर्ब्स ग्लोबल-2000 तथा एशिया बेस्ट-200 कंपनियों में विगत निरंतर 03 वर्षों में सम्मिलित कंपनियां एवं उनकी होल्डिंग/सहायक कंपनियां।
- iii. राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के औद्योगिक सार्वजनिक उपक्रम, जो इस नीति के अनुसार वृहद् श्रेणी में पारिभाषित हों।

4.5.2 इस प्रकार के फास्ट-ट्रैक भूमि आवंटन हेतु आवेदन शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने पर इन्वेस्ट यूपी द्वारा डीपीआर एवं निर्धारित किए गए अन्य मापदंडों के आधार पर आवेदन की जांच की जाएगी।

4.5.3 इन्वेस्ट यूपी द्वारा की गई जांच के आधार पर अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित 'फास्ट-ट्रैक भूमि आवंटन समिति' उक्त आवंटन हेतु अंतिम अनुमोदन प्रदान करेगी।

4.5.4 औद्योगिक विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत भूमि

- i. फास्ट-ट्रैक भूमि आवंटन समिति के अनुमोदनोपरान्त, ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों में, जहां सीधे भूमि आवंटन की अनुमति है, संबंधित औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा सीधे निवेशक के पक्ष में निर्धारित मानक प्रक्रिया एवं लागू नियमों के अनुसार भूखंड आवंटित किया जाएगा। एक से अधिक आवेदक होने के प्रकरण में, संबंधित प्राधिकरण द्वारा अधिकतम पूंजी निवेश करने वाले आवेदक को भूमि आवंटित की जाएगी।
- ii. ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों में, जहां भूमि नीलामी के माध्यम से आवंटित की जाती है, संबंधित औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा सीधे निवेशक के पक्ष में नीलामी की प्रक्रिया के बिना भूमि का आवंटन प्राधिकरण की मानक प्रक्रिया एवं लागू नियमों के अनुसार किया जाएगा। किन्तु ऐसे सभी प्रकरणों में भूमि का मूल्य इस प्रकार होगा : भूखण्ड की आधार दर (base rate) + आधार दर का अतिरिक्त 15 प्रतिशत। एक ही भूखण्ड हेतु अनेक फास्ट ट्रैक आवेदक होने के प्रकरण में, संबंधित प्राधिकरण द्वारा अधिकतम पूंजी निवेश करने वाले आवेदक को भूमि आवंटित की जाएगी।
- iii. यदि किसी विकास प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं तथा उनमें औद्योगिक भूखण्ड उपलब्ध हैं, तो ऐसी दशा में ये प्राविधान (संदर्भ उप-प्रस्तर 4.5.4 एवं 4.5.5), ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों पर भी लागू होंगे।

4.5.5 औद्योगिक विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण/स्थानीय नगर निकायों/अन्य अधिसूचित क्षेत्रों के बाहर भूमि की आवश्यकता होने पर, जहां औद्योगिक पार्क/इकाई की स्थापना के लिए भूमि का क्रय/अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है—

- i. यदि उपरोक्तानुसार भूमि के फास्ट-ट्रैक आवंटन के लिए किसी पात्र औद्योगिक इकाई, को किसी औद्योगिक विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण/स्थानीय नगर

निकाय/अन्य अधिसूचित क्षेत्रों के बाहर भूमि की आवश्यकता हो, तो प्रदेश सरकार द्वारा नामित नोडल संस्था द्वारा ऐसी पात्र इकाई द्वारा मांग की गई भूमि का न्यूनतम 1.25 गुना भूमि के अधिग्रहण का प्रबंध किया जाएगा, ताकि ऐसी अधिग्रहीत अतिरिक्त भूमि में न्यूनतम 04 अन्य औद्योगिक इकाइयों को स्थापित किया जा सके तथा ऐसी अधिग्रहीत भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र/पार्क विकसित किया जा सके। पात्र इकाई को विक्रय-योग्य भूमि का अधिकतम 80 प्रतिशत तक भूमि आवंटित की जा सकती है।

- ii. इस प्राविधान के अंतर्गत पात्र इकाई अधिग्रहीत अतिरिक्त भूमि पर अतिरिक्त औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिये भूमि के फास्ट-ट्रैक आवंटन हेतु भी एक प्रस्ताव (upfront proposal) प्रस्तुत कर सकती है। इस प्रकार के प्रकरण में, ऐसी सभी अतिरिक्त औद्योगिक इकाइयों को उनके निवेश की सीमा को विचारित किए बिना, पात्र इकाई की भांति ही फास्ट-ट्रैक आवंटन के लिए अर्ह माना जाएगा।
- iii. यदि पात्र इकाई 04 से कम अतिरिक्त इकाइयों को स्थापित करने के लिए भूमि-आवंटन का प्रस्ताव प्रस्तुत करती है, तो शेष भूमि को नोडल संस्था द्वारा औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु अपने प्रचलित नियमों/प्रक्रिया के अनुसार आवंटित किया जाएगा।
- iv. भूमि के क्रय/भूमि अधिग्रहण की लागत, आंतरिक एवं वाह्य विकास की वास्तविक लागत तथा समय-समय पर निर्दिष्ट प्रशासनिक शुल्कों को सम्मिलित करने के पश्चात आवंटन मूल्य का निर्धारण किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश पृथक से निर्गत किए जाएंगे।
- v. यह सुनिश्चित करने के लिए कि भूमि की पूर्ण लागत प्रश्नगत नोडल संस्था के पक्ष में सुरक्षित हो जाए, प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ में ही (Upfront) संपूर्ण अधिग्रहण-लागत/आवंटन-मूल्य अथवा प्रारंभ में आंशिक अधिग्रहण-लागत/आवंटन मूल्य एवं आंशिक रूप से बैंक गारंटी या किसी अन्य प्रक्रिया से लेने का निर्णय ले सकती है। मा. न्यायालयों के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप अधिग्रहण की लागत में किसी भी वृद्धि को ऐसी पात्र इकाई/इकाइयों द्वारा ही वहन किया जाएगा।

4.6 निवेश क्षेत्र, औद्योगिक कॉरिडोर एवं इंटीग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग क्लस्टरों के विकास हेतु एक्सप्रेसवेज एवं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का लाभ प्राप्त करना

4.6.1 प्रमुख बाजारों तक त्वरित पहुंच (Speedy access), जल एवं विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति, उत्कृष्ट अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली तथा रिसाइलिंग सुविधाओं आदि से युक्त औद्योगिक निवेश क्षेत्र तथा इंटीग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर, निवेशकों एवं निर्माताओं को अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं।

4.6.2 राज्य सरकार की प्रदेश के प्रमुख एक्सप्रेसवेज एवं फ्रेट कॉरिडोर के किनारे, आधुनिक उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप उन्नत अवस्थापना एवं उत्कृष्ट सुविधाओं से युक्त औद्योगिक क्षेत्रों एवं क्लस्टरों के विकास की योजना है।

4.6.3 राज्य सरकार, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (ईडीएफसी) एवं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डब्ल्यूडीएफसी) के सफल एवं ससमय विकास हेतु भारत सरकार को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का लाभ प्राप्त करने हेतु राज्य

सरकार द्वारा एक ढांचा तैयार किया जाएगा तथा इन कॉरिडोरों के आसन्न परियोजनाओं को ससमय पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे आर्थिक गतिविधियों एवं रोजगार में उत्तरोत्तर वृद्धि हो सके।

4.6.4 दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर(डीएमआईसी) तथा अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर(एकेआईसी) का काफी भाग राज्य में स्थित है। प्रदेश सरकार इन औद्योगिक कॉरिडोरों का लाभ प्राप्त करने तथा राज्य के एक्सप्रेसवेज के किनारे नए औद्योगिक कॉरिडोरों विकसित करने के उपाय करेगी।

4.6.5 आगरा एवं प्रयागराज में डब्ल्यूडीएफसी के सन्निकट स्थित औद्योगिक इकाइयों को निर्बाध कनेक्टिविटी एवं विश्वस्तरीय सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से फास्ट-ट्रैक मोड पर इंटीग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किए जाएंगे।

4.6.6 माह जनवरी, 2022 तक उत्तर प्रदेश में 24 विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (एसईजेड) स्वीकृत हैं, जिनमें से 21 को एसईजेड अधिनियम-2005 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है तथा इनमें से 14 संचालित हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में यथाघोषित एसईजेड अधिनियम के स्थान पर यथाघोषित Development of Enterprise & Service Hubs (DESH) के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार, राज्य के नीतिगत ढांचे को संरेखित करेगी।

4.7 सड़क कनेक्टिविटी

4.7.1 भारत के 37.5 प्रतिशत एक्सप्रेसवेज उत्तर प्रदेश में स्थित हैं।

4.7.2 प्रदेश में 06 एक्सप्रेसवेज (कुल लम्बाई 1,225 किलोमीटर) पूर्ण हो चुके हैं तथा प्रदेश सरकार की 07 अन्य एक्सप्रेसवेज को विकसित करके, राज्य में एक्सप्रेसवेज का एक उत्कृष्ट नेटवर्क बनाने की योजना है, जिससे राज्य में बाजार-एकीकरण एवं लॉजिस्टिक्स-दक्षता में और अधिक वृद्धि की जा सके।

4.7.3 प्रदेश सरकार, राज्य में गुणवत्तापूर्ण 4-लेन एवं 6-लेन के राजमार्गों को विकसित करने की दिशा में कार्य करेगी।

4.7.4 कार्गो के आवागमन में आने वाली बाधाओं, यथा- नो-एंट्री जोन, कंजेशन व चोक-पॉइंट आदि को नियमित रूप से चिन्हित किया जाएगा तथा उन बाधाओं का निराकरण एक कार्य योजना तैयार करके किया जायेगा।

4.7.5 प्रमुख कृषि समुच्चयन बिंदुओं (Agriculture aggregation points), आर्थिक विकास, निर्यात व औद्योगिक केंद्रों को एक्सप्रेसवेज, राष्ट्रीय राजमार्गों तथा फ्रेट कॉरिडोरों से जोड़ने हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के नेटवर्क को इष्टतम (Optimum) बनाया जाएगा।

4.7.6 राज्य सरकार द्वारा नवीनतम तकनीकों के माध्यम से उन्नत यातायात प्रबंधन की योजना है।

4.8 रेलमार्ग कनेक्टिविटी

4.8.1 राज्य में रेल कनेक्टिविटी में सुधार हेतु प्रदेश सरकार, भारत सरकार से राज्य में रेलवे नेटवर्क की पहुंच एवं घनत्व में वृद्धि का अनुरोध करेगी।

4.8.2 प्रदेश सरकार, राज्य की यातायात आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु राज्य में रेलगाड़ियों की आवृत्ति बढ़ाने का अनुरोध करेगी।

4.8.3 अंतिम व प्रथम मील की सुगम कनेक्टिविटी (Smooth last & first mile connectivity) सुनिश्चित करने हेतु डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाले समर्पित सड़क नेटवर्क के विकास को सुनिश्चित किया जाएगा। ऐसी सड़कों में होने वाली किसी भी प्रकार की भीड़-भाड़/बाधाओं का समाधान किया जाएगा।

4.9 वायुमार्ग कनेक्टिविटी

4.9.1 राज्य में उत्तम वायुमार्ग कनेक्टिविटी विकसित करने हेतु प्रदेश सरकार की, राज्य के सभी क्षेत्रों को देश के शेष भागसे जोड़ने के लिए नए हवाई-अड्डों के विकास की योजना है। इसके लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

4.9.2 विमानन क्षेत्र में वृद्धि हेतु विमान के लिए पर्याप्त मेण्टनेंस, रिपेयर एवं ओवरहॉल (Maintenance, Repair & Overhaul - MRO) सुविधाओं के विकास की आवश्यकता है। जनपद गौतम बुद्ध नगर के जेवर में प्रस्तावित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एमआरओ हब के विकास की अपार संभावनाएं विद्यमान हैं, जिसके दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में हवाई अड्डों के निकट अथवा नए स्थानों पर एमआरओ सुविधाओं की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित नीति प्रख्यापित की गई है।

4.10 जलमार्ग

प्रदेश सरकार द्वारा टर्मिनल्स, संबंधित अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा राष्ट्रीय जलमार्ग-1 के सन्निकट प्रमुख हितधारकों को चिन्हित करने की योजना है, जो प्रयागराज, वाराणसी एवं कोलकाता के निकट स्थित हल्दिया बन्दरगाह (Seaport) को जोड़ता है। इससे राज्य को गंगा जलमार्ग के माध्यम से माल के विश्वसनीय एवं कम मूल्य में आवागमन से लाभ प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

4.11 डिजिटल कनेक्टिविटी

डिजिटल कनेक्टिविटी का विकास, प्रदेश सरकार के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक होगा। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अनुरूप, नीति का आशय, भारत को डिजिटली सशक्त समाज एवं नॉलेज अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने का है। इस दिशा में, प्रदेश सरकार की ब्रॉडबैंड के विकास से संबंधित संस्थाओं को आवश्यक प्रशासनिक सहायता प्रदान करने तथा मोबाइल कनेक्टिविटी हेतु सभी की पहुंच सुनिश्चित करने वाले बुनियादी ढांचे के विकास की योजना है।

4.12 विद्युत उपलब्धता

गुणवत्तापरक एवं निर्बाध विद्युत उपलब्धता उद्योगों के लिए उत्पादन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। राज्य सरकार सुधारों के कार्यान्वयन तथा मांग-आपूर्ति घाटे (Demand-Supply deficit) को समाप्त करके ऊर्जा क्षेत्र को सुदृढ़ करने हेतु प्रतिबद्ध है। इस हेतु नीति में निम्नलिखित कार्य-योजना की परिकल्पना की गई है -

4.12.1 राज्य में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार ऊर्जा उत्पादन, पारेषण, वितरण एवं क्षमता वृद्धि में निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहित करेगी।

- 4.12.2 प्रशासनिक उपायों, विद्युत चोरी पर अंकुश लगाने तथा पुलिस थानों की स्थापना करके तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों को कम करने के उपाय किए जाएंगे।
- 4.12.3 न्यूनतम निर्दिष्ट भार वाले औद्योगिक क्लस्टर को चिन्हित कर, उन्हें स्वतंत्र फीडर उपलब्ध कराते हुए विद्युत कटौती से मुक्त करना।
- 4.12.4 विद्युत भार को बढ़ाने, घटाने तथा समर्पित (Surrender) करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।
- 4.12.5 यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उद्योगों द्वारा अपनी लागत से निर्मित समर्पित विद्युत-पोषक, किसी भी स्थिति में, औद्योगिक भार के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किए जाएं।
- 4.12.6 विद्युत क्रय करने हेतु औद्योगिक पार्क/इकाइयां प्रदेश सरकार की ओपन एक्सेस नीति के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी।
- 4.12.7 विद्युत संयोजन से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ किया जाएगा।

4.13 जलापूर्ति एवं जल-निकासी

- 4.13.1 उद्योगों की आवश्यकतानुसार जलापूर्ति सुनिश्चित करने एवं जल व अपशिष्ट की निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु तथा राज्य के वर्तमान औद्योगिक क्षेत्रों में सुविधाओं को, और उत्तम बनाने के लिए अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन एवं अन्य योजनाओं का उपयोग किया जाएगा।
- 4.13.2 उद्योगों को प्राथमिकता के आधार पर जल उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएंगे।
- 4.13.3 उद्योगों द्वारा उपयोग किए गए जल के पुनर्चक्रण (रिसाइक्लिंग) एवं औद्योगिक उपयोग हेतु जल की पृथक पाइपलाइन बिछाने को, भूजल नीति के अनुसार यथोचित महत्व दिया जाएगा।
- 4.13.4 राज्य सरकार वर्षा जल संचयन (Rain Water Harvesting) को प्रोत्साहित करेगी।
- 4.13.5 यह नीति समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के औद्योगिक क्षेत्रों/सेक्टर में आवश्यक जल संयोजन एवं जल-निकासी की सुविधा प्रदान करने का भी आशय रखती है।

5. लॉजिस्टिक्स-दक्षता सुनिश्चित करना

राज्य सरकार उद्यमों के लिए लॉजिस्टिक्स की सुलभता एवं दक्षता में सुधार के महत्व को समझती है। उत्पादों एवं सेवाओं के वितरण के लिए लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर अतिमहत्वपूर्ण होता है, जो अर्थव्यवस्था में औद्योगीकरण, व्यापार एवं वाणिज्य के विकास में एक प्रमुख प्रवर्तक के रूप में कार्य करता है।

इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा इस नीति के माध्यम से निम्नलिखित उपाय किए जाने की योजना है-

- 5.1 राज्य के समस्त विभागों द्वारा "उत्तर प्रदेश पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान" पोर्टल को व्यापक स्तर पर अपनाने एवं प्रोत्साहित करने हेतु एकीकृत योजना बनाई जाएगी। लॉजिस्टिक्स अवस्थापना परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार के समस्त विभाग कार्य करेंगे।

- 5.2 समर्पित वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति के माध्यम से वेयरहाउसिंग व लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश हेतु एक जीवंतecosystem सुनिश्चित करना।
- 5.3 राज्य के प्रमुख नगरों की एकीकृत राज्य स्तरीय लॉजिस्टिक्स योजना एवं नगरीय लॉजिस्टिक्स योजना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- 5.4 ईडीएफसी(Eastern Dedicated Freight Corridor)एवं डब्ल्यूडीएफसी (Western Dedicated Freight Corridor)का अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाना तथा आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु इन कॉरिडोरोंके सन्निकट की परियोजनाओं का ससमय कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- 5.5 राज्य के रणनीतिक स्थानों एवं ईडीएफसी व डब्ल्यूडीएफसी के सन्निकट क्षेत्रों में मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स तथा ट्रांसपोर्ट हब्स को प्रोत्साहित करना।
- 5.6 शुष्क बंदरगाहों (dry ports) को बढ़ावा देना, निर्यात में वृद्धि हेतु मल्टी-मोडल परिवहन नेटवर्क तथा आर्थिक नोड्स/औद्योगिक क्लस्टर के साथ-साथ घरेलू उद्योग के लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर एवं निर्यात-आयात (EXIM) से संबंधित अवस्थापना सुविधाओं के मध्य कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना।
- 5.7 वायु, जल, सड़क एवं रेल नेटवर्क का एक कनेक्टिविटी वेब विकसित करना, जो राज्य के उद्योगों एवं विनिर्माण इकाइयों को परिवहन के विभिन्न साधनों का निर्बाध रूप से उपयोग करने में सहायता करेगा।

6. वित्तीय संसाधनों की सुलभता

राज्य में त्वरित औद्योगिक विकास हेतु वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण कारक है। भारत सरकार ने हाल ही में औद्योगिक क्षेत्र के ऋण संबंधी प्रकरणों के समाधान के लिए विशेष रूप से कई उपाय किए हैं।

राज्य में निवेश हेतु वित्तीय सुगमता के लिए निम्नलिखित उपायों की परिकल्पना की गई है-

- 6.1 इस नीति में उल्लिखित विभिन्न क्षेत्रों में, प्रदेश में, निवेश हेतु आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन।
- 6.2 राज्य में 'फिनटेक सिटी' का विकास एवं वित्तीय उपलब्धता हेतु इसका लाभ उठाना।
- 6.3 औद्योगिक अवस्थापना के विकास हेतु बहुपक्षीय बैंकों एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की निधियों (funds) का लाभ उठाते हुए एक अवस्थापना विकास कोष बनाने की संभावना पर कार्यवाही।
- 6.4 राज्य की स्टार्टअप नीति के अंतर्गत प्रारंभ किए गए स्टार्टअप्स हेतु ₹1,000 करोड़ के फंड को सुव्यवस्थित करना।
- 6.5 उद्यम पूंजी निवेशकों (Venture Capital Investors) तथा बिजनेस ऐंजिल्स(Business Angels) को आकर्षित करने के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करना।

7. कुशल कार्यबल – जनसांख्यिकीय का लाभ प्राप्त करना

त्वरित आर्थिक विकास हेतु कुशल एवं प्रशिक्षित मानव-संसाधन की आवश्यकता होती है। भारत की जनसंख्या का लगभग 5वां भाग, उत्तर प्रदेश में निवास करता है, जिसमें से 60 प्रतिशत जनसंख्या कामकाजी आयु वर्ग में

है। राज्य सरकार का ध्येय वर्तमान और भविष्य की उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप इस आयु वर्ग के कौशल को संरक्षित करके राज्य के औद्योगिक विकास हेतु इस विशाल जनसांख्यिकीय का लाभ उठाना है।

इस नीति का उद्देश्य, क्षेत्र-विशिष्ट उच्च-गुणवत्ता के मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्राविधान करना है, जिसके लिए निम्नलिखित कार्य-योजना की परिकल्पना की गई है-

- 7.1 प्रदेश सरकार, समय-समय पर उद्योग-विशिष्ट Skill Gap, उदीयमान क्षेत्र की भूमिकाओं एवं उपभोक्ता बाजार की प्रवृत्तियों एवं आवश्यकताओं को चिन्हित करेगी तथा वर्तमान आईटीआई, पॉलिटेक्निक व इंजीनियरिंग कॉलेजों में उद्योगपरक अल्पकालिक, दीर्घकालिक एवं मॉड्यूलर पाठ्यक्रम प्रारंभ करेगी तथा इसके साथ ही पाठ्यक्रम सामग्री एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने में उपयोगकर्ता-उद्यम के सक्रिय प्रतिभाग को सुनिश्चित करते हुए प्रशिक्षकों को उपलब्ध कराएगी।
- 7.2 प्रदेश सरकार, क्षेत्र-विशिष्ट से संबंधित कुशल-जनशक्ति के आधार में वृद्धि एवं उत्तर प्रदेश से जनशक्ति की भर्ती के इच्छुक नियोक्ताओं को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगी। राज्य के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों से सहभागिता हेतु ऐसे उद्योगों व औद्योगिक प्रतिष्ठानों को आकर्षित करने की रणनीति तैयार की जाएगी।
- 7.3 ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक पूंजी (Social Capital) के उपयोग पर विशेष ध्यान देते हुए प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों/क्लस्टर/पार्कों में कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- 7.4 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग एवं महिला उद्यमियों के कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- 7.5 कौशल विकास विभाग द्वारा प्रशिक्षु अधिनियम के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों में रोजगार योग्य युवाओं को प्रशिक्षु (Apprentice) के रूप में प्रशिक्षित कराने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।
- 7.6 आधुनिक कौशल में रियायती दरों पर कॉलेज के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए तकनीकी शिक्षा (EdTech) तथा उच्च शिक्षण संस्थानों के मध्य साझेदारी को सुगम बनाया जाएगा।
- 7.7 कुशल कार्यबल बढ़ाने के लिए मेगा,मल्टी-सेक्टर केंद्रित कौशल विकास पार्क्स/हब्स स्थापित किए जाएंगे।
- 7.8 उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाएगा,जिनसे कॉलेजों को, क्षेत्र के प्रमुख उद्योगों के साथ जोड़ा जा सके।
- 7.9 उद्योगों को कुशल एवं अकुशल कार्यबल का 'पूल' उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। यदि ऐसा कार्यबल उपलब्ध नहीं है, तो प्रदेश सरकार ऐसे आवश्यक पाठ्यक्रम विकसित करके कार्यबल को कौशल प्रदान करेगी।
- 7.10 राज्य सरकार द्वारा 'एक परिवार-एक पहचान पत्र' प्रणाली लागू की जा रही है, जिसके माध्यम से प्रदेश के सभी नागरिकों के रोजगार की स्थिति को संकलित किया जाएगा।
- 7.11 कार्यबल की आवश्यकता वाले उद्योगों को मैच-मेकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवायोजन, सेवा मित्र, ई-श्रम आदि जैसे पोर्टलों को सुदृढ़ किया जाएगा तथा सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से रोजगार कार्यालय तक सुगम पहुंच प्रदान की जाएगी।

रणनीति 2 : उर्ध्वाधर स्तंभ (Vertical Pillars)

8. क्षेत्र विशिष्ट दृष्टिकोण-भविष्य के विकास हेतु लाभप्रद क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए सकारात्मक क्षेत्रों से लाभ प्राप्त करना

8.1 फोकस क्षेत्र

प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में स्थान, संसाधनों, कौशल-आधार, उपलब्ध कच्चे माल, विद्यमान विनिर्माण प्रथाओं एवं विशेषज्ञता के कारण प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त है। ऐसे क्षेत्र राज्य के आर्थिक विकास तथा प्रगति के चालक हैं।

अतः राज्य सरकार का लक्ष्य उन क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुकूल एक समर्पित नीतिगत्तं विवसित करना तथा यथावश्यकता वर्तमान नीतियों को उपयुक्त रूप से संशोधित करना है।

इस प्रकार के क्षेत्र निम्नवत् हैं-

8.1.1 कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण

8.1.2 हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग

8.1.3 पर्यटन

8.1.4 एमएसएमई

8.1.5 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण

8.1.6 डाटा सेंटर

8.1.7 रक्षा एवं एयरोस्पेस

8.1.8 भंडारण एवं लॉजिस्टिक्स

8.1.9 डेयरी एवं कुक्कुट विकास

8.1.10 आईटी/आईटीईएस

8.1.11 स्टार्ट-अप

8.1.12 इलेक्ट्रिक वाहन

8.1.13 फिल्म

8.1.14 नवीकरणीय ऊर्जा (सौर ऊर्जा)

8.1.15 फार्मास्यूटिकल्स

8.1.16 नागरिक उड्डयन

8.1.17 जैव ईंधन

8.1.18 सेमीकंडक्टर

8.1.19 एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एवं कॉमिक्स (एवीजीसी)

8.1.20 मेगा मल्टी-सेक्टर केंद्रित कौशल पार्क्स/हब्स

उक्त क्षेत्रों को प्रदेश सरकार द्वारा, बाजार के परिदृश्य एवं औद्योगिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत, समय-समय पर पुनरीक्षित किया जा सकता है।

8.2 नवोदय एवं संभाव्य क्षेत्र(Sunrise & Potential sectors)

बाजार के परिवर्तित होते हुए परिदृश्य, आधुनिक प्रौद्योगिकियों एवं अन्य विभिन्न कारकों के परिणामस्वरूप नवोदय क्षेत्रों का उद्भव हो रहा है, जो राज्य में भविष्य के विकास के चालक बन सकते हैं।

इनमें से कुछ ऐसे क्षेत्र, जिनमें विकास, विविधीकरण एवं निवेश की उच्च क्षमता विद्यमान है तथा जिन क्षेत्रों हेतु सरकार की विशिष्ट नीतियों के अंतर्गत समर्पित प्रोत्साहन तंत्र उपलब्ध नहीं है, उन्हें भी इस नीति से आच्छादित किया जायेगा। इनमें निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित हैं—

8.2.1 हरित हाइड्रोजन उत्पादन (Green Hydrogen Production),

8.2.2 भारी विद्युत व ऊर्जा उपकरण, अर्थमूविंग एवं खनन मशीनरी तथा प्रक्रिया संयंत्र उपकरण सहित कैपिटल गुड्स,

8.2.3 बल्क केमिकल्स, स्पेशियलिटी केमिकल्स, एग्रो केमिकल्स, पॉलिमर पेट्रोकेमिकल एवं उर्वरक,

8.2.4 विमान एवं संबंधित घटकों का विनिर्माण,

8.2.5 हवाईअड्डे, पंप भंडारण संयंत्रों आदि के विकास सहित अवस्थापना परियोजनाएं, जो समय-समय पर अधिसूचित उत्तर प्रदेश सरकार की किसी क्षेत्र-विशिष्ट नीति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं हैं,

8.2.6 ऑटोमोबाइल एवं ऑटोमोटिव,

8.2.7 चक्रीय अर्थव्यवस्था से संबंधित परियोजनाएं (इस नीति के अध्याय 15 में वर्णित)–

ऐसे नवोदय (सनराइज) सेक्टर तथा संभाव्य क्षेत्र भी इस नीति से आच्छादित किये जाएंगे। उक्त क्षेत्रों की सूची को बाजार की परिवर्तनशीलता तथा उद्योग की आवश्यकता के आधार पर समय-समय पर प्रदेश सरकार द्वारा पुनरीक्षित किया जा सकता है।

8.3 सेवा क्षेत्र में प्रमुख सेक्टर्स(Champion Sectors in Service Industry)

'सेवाओं में प्रमुख सेक्टर्स हेतु कार्य-योजना' के अंतर्गत चिन्हित 12 सेवा-सेक्टर्स को भारत सरकार द्वारा विशेष प्रोत्साहन हेतु अनुमोदित किया गया है।

प्रदेश सरकार ने इनमें से कुछ क्षेत्रों, यथा-आईटी/आईटीईएस, पर्यटन आदि हेतु पूर्व से ही समर्पित (Dedicated) नीतियों को अधिसूचित कर दिया है।

यद्यपि, प्रदेश सरकार, राज्य में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के साथ संरेखण(Alignment)में भी इन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रित (Focused) कार्यवाही करेगी।

इनमें निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित होंगे–

8.3.1 सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं (आईटी/आईटीईएस)

8.3.2 पर्यटन एवं आतिथ्य सेवाएं

8.3.3 चिकित्सा लाभ से संबंधित यात्रा

- 8.3.4 परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स सेवाएं
- 8.3.5 लेखा एवं वित्त सेवाएं
- 8.3.6 श्रव्य-दृश्य सेवाएं (ऑडियो-विजुअल सर्विसेज़)
- 8.3.7 कानूनी सेवाएं
- 8.3.8 संचार सेवाएं
- 8.3.9 निर्माण एवं संबंधित अभियंत्रण सेवाएं
- 8.3.10 पर्यावरण सेवाएं
- 8.3.11 वित्तीय सेवाएं
- 8.3.12 शिक्षा सेवाएं

8.4 उद्योगों की नकारात्मक सूची (Negative list)

प्रदेश सरकार द्वारा उन क्षेत्रों की एक नकारात्मक सूची अधिसूचित की जाएगी, जो इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।

रणनीति 3 : वैश्विक मूल्य-श्रृंखला का एकीकरण

9. आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश-वैश्विक मूल्यश्रृंखला से एकीकरण

उत्तर प्रदेश, त्वरित गति से देश में सबसे अधिक मांग वाले विनिर्माण स्थल के रूप में उभर रहा है तथा 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। मूल्य-श्रृंखला को विस्तारित करने तथा वैश्विक आपूर्ति-श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण के साथ ही नीति 'आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश' के विज़न को साकार करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्य-योजना की परिकल्पना की गई है-

9.1 आयात प्रतिस्थापन

- 9.1.1 राज्य में इस प्रकार के निवेश को आकर्षित करने हेतु भारत सरकार की उत्पादन लिंकड प्रोत्साहन (PLI) योजना के लाभार्थियों के लिए अतिरिक्त (टॉप-अप) प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, जिसकी इस नीति में आगामी अध्यायों में व्याख्या की गई है।
- 9.1.2 प्रोत्साहन, अनुसंधान एवं विकास (R&D) अनुदान तथा एक Scalable एमएसएमई ecosystem के साथ संबद्ध 'क्लस्टर' बनाकर High value-added विनिर्माण में सम्मिलित एंकर निजी उद्यमों को आकर्षित करना।
- 9.1.3 आयातित उत्पादों को जनपद स्तर पर चिन्हित करना तथा ऐसे / स्थानापन्न उत्पादों के स्थानीय विनिर्माण के लिए प्रोत्साहित करना।
- 9.1.4 इंडस्ट्री 4.0 उत्कृष्टता केंद्रों (सेण्टर ऑफ़ एक्सिलेंस) को शैक्षणिक संस्थानों से जोड़ने के साथ सक्षमता प्रयोगशालाओं, इन्व्यूबेशन केंद्रों तथा अनुसंधान एवं विकास (R&D) पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना।
- 9.1.5 प्रौद्योगिकी एवं ज्ञान अवशोषण (Technology & Knowledge Absorption) के लिए शिक्षण संस्थानों, सरकार, नियामकों (Regulatory) एवं उद्योगों के मध्य सहयोग को प्रोत्साहित करना।

- 9.1.6 राज्य में शैक्षणिक संस्थानों, उद्यमियों एवं स्थानीय व्यवसायों के साथ वैश्विक शैक्षणिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना।
- 9.1.7 उन्नत प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुये बाजार पहुंच को सुगम बनाना।
- 9.2 निर्यात प्रोत्साहन
- 9.2.1 प्रदेश में मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक हब, विशेष औद्योगिक परिक्षेत्रों आदि जैसी अवस्थापना सुविधाओं का सृजन करना।
- 9.2.2 प्रदेश सरकार एक समर्पित नीति के माध्यम से निर्यातोन्मुख इकाइयों को प्रोत्साहित करेगी, जिसमें विपणन सहायता, वायुमार्ग द्वारा भेजे गए निर्यात कार्गो पर उपादान तथा गेटवे पोर्ट पर माल ढुलाई शुल्क पर उपादान जैसे विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे।
- 9.2.3 प्रदेश सरकार राज्य में निर्यातोन्मुखी अवस्थापना सुविधाओं से संबंधित गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार की योजनाओं के अंतर्गत अधिकतम आच्छादन सुनिश्चित करेगी।
- 9.2.4 निर्यातकों की बाजार तक आसान पहुंच हेतु सहायताएवं ऐसे बाजारों की नियामक (रेग्युलेटरी) आवश्यकता से संबंधित जानकारी प्रदान करना।
- 9.2.5 विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन निकायों के मध्य परस्पर सहयोग बढ़ाने हेतु समन्वय के साथ-साथ निर्यातकों की समस्याओं के समाधान हेतु भी 'निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो' नोडल एजेंसी होगा।
- 9.2.6 'एक जनपद-एक उत्पाद' (ODOP) कार्यक्रम के अंतर्गत चिन्हित उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करना।
- 9.2.7 निर्यात प्रोत्साहन के लिए एक जनपद-स्तरीय कार्य योजना निरूपित की जाएगी।
- 9.2.8 एक ऐसी लॉजिस्टिक प्रणाली विकसित करने के लिए लॉजिस्टिक्स प्रभावशीलता पर केंद्रित कार्यवाही की जाएगी, जो लागत कम करने के विकल्प प्रदान करती है।
- 9.3 अनुसंधान एवं विकास, नवाचार एवं बौद्धिक संपदा अधिकार को प्रोत्साहन
- 9.3.1 राज्य में एक नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा इस हेतु भारत नवाचार सूचकांक (India Innovation Index) रैंकिंग में प्रदेश, देश केशीर्ष के प्रथम तीन राज्यों में स्थान प्राप्त करने हेतु प्रयास करना।
- 9.3.2 आंतरिक एवं एकल आधार पर अनुसंधान एवं विकास (R&D) प्रयोगशालाओं/परिसंपत्तियों को प्रोत्साहित करके औद्योगिक अनुसंधान (Industrial Research) को बढ़ावा देना।
- 9.3.3 इस नीति के साथ-साथ राज्य की अन्य विभिन्न क्षेत्र-विशिष्ट नीतियों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्रों (CoEs) की स्थापना को बढ़ावा देना। प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट क्षेत्रों में अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- 9.3.4 स्टार्टअप के लिए उपयुक्त ecosystem का सृजन करके, राज्य के समस्त जनपदों में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना।
- 9.3.5 राज्य की स्टार्टअप नीति के अंतर्गत प्रदेश में नए इनक्यूबेटर्स एवं एक्सेलेरेटर्स स्थापित करना।

9.3.6 स्थानीय नवोन्मेषकों (Innovators) की व्यावसायिक प्रथाओं में बौद्धिक संपदा के महत्व को स्थापित करने हेतु टियर-1 एवं टियर-2 नगरों के अतिरिक्त धरातल पर दूरस्थ, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचकर बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights) के संबंध में जागरूकता को अगले स्तर तक बढ़ाना।

9.3.7 एमएसएमई, उद्योग एवं शिक्षा जगत में बौद्धिक सम्पदा के व्यावसायीकरण सम्बन्धी गतिविधियों को प्रारंभ करने हेतु उनके मध्य संवाद के माध्यम से बौद्धिक सम्पदा के व्यावसायीकरण को प्रोत्साहित करना।

9.4 गुणवत्ता एवं डिजाइन को प्रोत्साहन

9.4.1 प्रदेश में एमएसएमई द्वारा गुणवत्ता प्रमाणन को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

9.4.2 परीक्षण प्रयोगशालाओं, गुणवत्ता प्रमाणन प्रयोगशालाओं एवं टूल रूम की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा।

9.4.3 ओडीओपी उत्पादों एवं एमएसएमई के उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि हेतु विभिन्न संस्थाओं, यथा-क्यूसीआई (QCI), बीआईएस (BIS) आदि के साथ सहयोग हेतु ढांचा तैयार किया जाएगा।

9.4.4 विभिन्न डिजाइन संस्थाओं के साथ सहयोग एवं रणनीतिक गठबंधन का ढांचा तैयार किया जाएगा।

9.5 एमएसएमई, ओडीओपी एवं अन्य स्थानीय उद्योगों की सहायता

9.5.1 डिजिटल बिजनेस मैच-मेकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से ओडीओपी एवं एमएसएमई उत्पादों के लिए बाजार तक पहुंच में सुधार किया जाएगा।

9.5.2 स्थानीय व्यवसायों एवं आपूर्ति श्रृंखलाओं की सहायता के लिए ओडीओपी कार्यक्रम को 'एक स्टेशन-एक उत्पाद' अवधारणा के साथ संरेखित किया जाएगा।

9.5.3 ओडीओपी और उत्तर प्रदेश में निर्मित उत्पादों की ब्रांड वैल्यू विकसित करने तथा निर्माताओं को अपनी विनिर्माण प्रक्रिया को अनुरूपता में स्थानीयकृत करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए एक सुदृढ़, आत्मनिर्भर व्यवस्था की जाएगी। दीर्घकाल में यह व्यवस्था विश्व के बाजारों में उत्तर प्रदेश में निर्मित वस्तुओं की गुणवत्ता के लिए एक प्रमुख में भूमिका होगी, जिससे वैश्विक बाजारों में उत्तर प्रदेश की स्थिति और सुदृढ़ होगी।

9.5.4 Asset-lite उद्यमों एवं साझा अर्थव्यवस्था मॉडल को प्रोत्साहन।

9.5.5 नई तकनीक के अंगीकरण को प्रोत्साहन।

9.5.6 सार्वजनिक क्रय विनियमों के प्रवर्तन का सुदृढ़ीकरण।

9.5.7 सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार आपूर्तिकर्ताओं को समय पर भुगतान सुनिश्चित करना।

रणनीति 4 : निवेश आकर्षण

10. ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस—अनुकूल औद्योगिक वातावरण का सृजन

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस(EoDB) के क्षेत्र में उत्कृष्टकार्य किया गया है तथा बिज़नेस रिफॉर्म एक्शन प्लान(BRAP)के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा की गई रैंकिंग में प्रदेश को 'अचीवर स्टेट' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राज्य सरकार द्वारा नियमों एवं प्रक्रियाओं में सरलीकरण करने के फलस्वरूप प्रदेश में व्यापार के लिये अनुकूल वातावरण सृजित हुआ है। डिजिटल प्रक्रियाओं द्वारा कार्यों के समयबद्ध एवं पारदर्शी रूप से किए जाने तथा समयबद्ध स्वीकृतियों द्वारा बेहतर एवं उत्तरदायी फैसलिटेशन सेवाओं को विकसित किया गया है।

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्ययोजना बनाई गयी है—

10.1 नियामक अनुपालन भार को कम करना (Minimizing Regulatory Compliance Burden)

10.1.1 नियामक अनुपालन भार(रिग्यूलेटरी कम्प्लायन्स बर्डन) को प्रमुखतः 03 रणनीतियों के माध्यम से कम किया जायेगा।

- i. सरकारी प्रक्रियाओं की पुनर्संरचना, डिजीटेलाइजेशन, युक्तिसंगतकरण (Rationalisation)।
- ii. वैधीकरण (Decriminalisation)।
- iii. अप्रयुक्त अधिनियमों/नियमों के निरसन अथवा संशोधन के प्राविधानों को द्रुतगति प्रदान करना।

10.1.2 विभागों द्वारा अनुपालनों का चिन्हीकरण/न्यूनीकरण/सरलीकरण तथा वैधीकरण (Decriminalisation)सुनिश्चित किया जायेगा।

10.2 प्रक्रियाओं का सरलीकरण

10.2.1 ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस को सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 05 न्यून-जोखिम (Low risk)अनुमोदनों के लिए स्व-प्रमाणन की व्यवस्था की गई है।

10.2.2 प्रदेश में बिज़नेस प्रारम्भ करने हेतु प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए 17 से अधिक सेवाओं के स्वतः नवीनीकरण (Auto-renewal) की व्यवस्था प्रारंभ की गई है। इसके अतिरिक्त 07 से अधिक लाइसेन्सों के नवीनीकरण की आवश्यकता को ईज़-ऑफ़ डूइंग बिज़नेस में सुधार के कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में समाप्त किया गया है।

10.2.3 प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक सेवाओं/स्वीकृतियों/अनुमोदनों/अनुमतियों/लाइसेन्सों से संबंधित अधिनियमों, नियमों, आवेदन-पत्रों एवं प्रक्रियाओंकी नियमित समीक्षा की जाएगी तथा प्रदेश सरकार यथासम्भव—

- i. विद्यमान नियामक व्यवस्था के अन्तर्गत अस्तित्व में विद्यमान नियमों को युक्तिसंगत बनाएगी/समाप्त अथवा संशोधित करेगी।
- ii. स्व-प्रमाणन (Self Certification), स्वतः अनुमोदन(डीम्ड एप्रूवल) को माना जानातथा तृतीय-पक्ष प्रमाणन(Third Party Certification) से संबंधित प्राविधानों को लागू करेगी।

10.3 समयबद्ध स्वीकृतियां

10.3.1 प्रदेश में 100 से अधिक सरकारी सेवाओं को 'उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम' के अन्तर्गत चिन्हित/अधिसूचित किया गया है, जिसमें इन सेवाओं को प्रदान करने हेतु समय-सीमा का निर्धारण किया गया है।

10.3.2 इसके अतिरिक्त, प्रदेश सरकार, औद्योगिक सेवाओं/स्वीकृतियों/अनुमोदनों/अनुमतियों/लाईसेन्सों से सम्बन्धित अपने सभी विद्यमान अधिनियमों, नियमों एवं प्रक्रियाओं की नियमित रूप से समीक्षा करेगी तथा यथासम्भव-

- i. समय-सीमा को युक्तिसंगत बनायेगी।
- ii. सम्बन्धित प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु जनपदस्तरीय अधिकारियों के आवश्यक अधिकारों का प्रतिनिधायन किया जायेगा।
- iii. प्रत्येक सेवा के समयबद्ध निष्पादन को यथावश्यकता 'उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम' के अन्तर्गत अधिसूचित किया जायेगा।

10.4 सिंगल विण्डो क्लियरेंस(Single Window Clearance)

10.4.1 उत्तर प्रदेश का सिंगल विण्डो पोर्टल - 'निवेश मित्र' देश के अन्य राज्यों/केंद्र-शासित क्षेत्रों के सिंगल विण्डो पोर्टलों में से एक सबसे बड़ा सिंगल विण्डो पोर्टल है। इसके माध्यम से 29 विभागों की 353 से अधिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। माह सितम्बर, 2022 तक, निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से 08 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से लगभग 97 प्रतिशत का निस्तारण किया जा चुका है।

10.4.2 उक्त के अतिरिक्त, चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार उद्यमों को बड़ी संख्या में ऑनलाइन सेवायें प्रदान करती है, अतः सेवाओं को निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत किया जायेगा-

- i. क्षेत्रीय आवश्यकताएं,
- ii. स्थापना से पूर्व तथा स्थापना के उपरान्त की आवश्यकताएं।

10.4.3 आवेदक को अपने व्यवसाय के लिए आवश्यक प्रसांगिक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त सेवायें प्रदान की जाएगी।

10.4.4 प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में व्यवसाय स्थापित व संचालित करने के लिए आवश्यक नवीन सेवाओं को चिन्हित किया जाएगा। इस हेतु औद्योगिक हितधारकों/घरानों, औद्योगिक संगठनों, विभागों आदि से परामर्श लिया जायेगा। ऐसी सेवाओं को सम्बन्धित विभाग द्वारा ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा तथा व्यवसायों के लिए वन-स्टॉप-सॉल्यूशन प्रदान करने हेतु निवेश मित्र पोर्टल के साथ एकीकृत किया जायेगा।

10.5 औद्योगिक सुरक्षा

10.5.1 उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में एक सुरक्षित एवं भयमुक्त औद्योगिक वातावरण प्रदान करना सुनिश्चित करेगी।

10.5.2 इसके लिए नोएडा, कानपुर, गोरखपुर, बुंदेलखंड, पूर्वांचल जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक क्लस्टर/क्षेत्रों में समर्पित पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।

10.5.3 प्रमुख औद्योगिक क्लस्टर/क्षेत्रों में एकीकृत पुलिस व अग्निशमन केन्द्र भी स्थापित किए जाएंगे।

10.6 अन्य प्रवर्तक

10.6.1 यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य में लागू किए गए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स को जनपदों में प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है, इसके साथ ही उद्यमियों/आवेदकों, विभागों और नागरिकों को इसके प्रति संवेदनशील बनाये जाने हेतु जनपद स्तर पर कार्यशालाएं व प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस प्रकार जनपद स्तर पर सुधार से अर्जित अनुभव से, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान से सम्बन्धित रैंकिंग में अन्य राज्यों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश को उच्चतर रैंकिंग प्राप्त करने में सहायक होगा।

10.6.2 निवेशकों की समस्याओं के समाधान हेतु उद्योग बंधु की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएंगी। जनपद स्तरीय उद्योग बंधु की बैठकों में सम्मिलित प्रकरणों के चिन्हीकरण तथा उनको संबंधित विभागों को समाधान हेतु प्रेषित करने के लिए एक डिजिटल पोर्टल विकसित किया जायेगा।

10.6.3 उद्योगों को सेवा प्रदान करने वाले समस्त विभागों में ग्राहकोन्मुख मानसिकता(Client Oriented Mindset) को बढ़ावा देने के लिए विशेष सॉफ्ट-स्किल प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाएगा।

10.6.4 उत्तर प्रदेश में माह मई 2020 से समस्त 75 जनपदों को 3 प्रमुख मापदंडों यथास्वीकृत आवेदनों के निस्तारण, उपयोगकर्ता (उद्यमी) फीडबैक एवं शिकायतों के निवारण के आधार पर रैंकिंग हेतु जनपद-स्तरीय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सम्बन्ध में मासिक रैंकिंग की व्यवस्था प्रारंभ की गयी है। जनपदों की मासिक रैंकिंग की गणना निवेश मित्र के माध्यम से की जा रही है तथा इसे प्रत्येक जिलाधिकारी को, जनपद के मासिक प्रदर्शन के विषय में संसूचित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को और सुदृढ़ किया जाएगा, क्योंकि यह प्रदेश के जनपदों के मध्य बेहतर व्यवसायिक वातावरण प्रदान करने के लिए एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा।

10.6.5 प्रदेश सरकार ने अनुबंध प्रवर्तन (Contract Enforcement) के अंतर्गत वाणिज्यिक प्रकरणों के निस्तारण हेतु प्रमुख जनपदों में 17 वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना को अधिसूचित किया है। इस व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाएगा तथा संपूर्ण न्यायालय प्रबंधन प्रणाली को ऑनलाइन किया जाएगा।

10.6.6 भारत सरकार की चारों श्रम संहिताओं से संबंधित नियम, राज्य में अधिसूचित किए जा चुके हैं। भारत सरकार द्वारा इन्हें अधिसूचित करने एवं संहिताएं लागू होने के पश्चात् इन्हें प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा।

11. 'ब्रांड उत्तर प्रदेश' की मार्केटिंग- निवेश प्रोत्साहन तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आकर्षण

'ब्रांड उत्तर प्रदेश' की वास्तविक क्षमता को प्राप्त करने तथा प्रदेश को वैश्विक स्तर पर उत्कृष्ट निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने तथा उत्तर प्रदेश की छवि को 'सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य' के रूप में स्थापित करने हेतु एक व्यापक रणनीति के साथ निवेश प्रोत्साहन का एक पूरक ढांचा आवश्यक है।

इस हेतु निम्नलिखित कार्य-योजना की परिकल्पना की गई है-

- 11.1 रणनीतिक क्षेत्रों, सेक्टर्स, क्षेत्र-प्रोफाइल, निवेश के कारकों, संसाधनों एवं अन्य प्राविधानों को रेखांकित करते हुए एकीकृत निवेश प्रोत्साहन ढांचा विकसित किया जाएगा।
- 11.2 संभावित निवेशकों तक पहुंचने एवं विभिन्न माध्यमों से प्रदेश में निवेश के अवसरों को संप्रेषित करने के लिए एक लक्षित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। जैसा कि परिकल्पित है, इस उद्देश्य के लिए क्षेत्र विशिष्ट प्रोफेशनल्स को बाजार से आबद्ध किया जाएगा।
- 11.3 प्रदेश सरकार विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, कार्यक्रमों तथा सम्मेलनों में प्रतिभाग करेगी तथा इस प्रकार के कार्यक्रमों की प्रदेश में मेजबानी भी की जाएगी, जो बी-टू-जी संवाद तथा उत्तर प्रदेश की विशिष्टताओं व अनुकूल नीतिगत ढांचे के प्रदर्शन व प्रचार हेतु एक आदर्श मंच के रूप में कार्य करेंगे।
- 11.4 उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेश केंद्र (Global Investment Centre) के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से एक Global Investors Summit का आयोजन किया जाएगा।
- 11.5 राज्य स्तरीय निवेश प्रोत्साहन बोर्ड को सुदृढ़ किया जाएगा।
- 11.6 क्षेत्रीय महत्व वाले एवं मूल्यवान नवोदित सेक्टर्स में वित्तीय एवं गैर-वित्तीय प्रोत्साहनों को प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन ढांचे को सुव्यवस्थित किया जाएगा।
- 11.7 विदेशों से प्रतिस्थापित (relocate) होने वाले उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु आयातित पुराने संयंत्र एवं मशीनरी के मूल्य का 40 प्रतिशत नीति में उल्लिखित विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए पात्र पूंजी निवेश के रूप में माना जाएगा।
- 11.8 इन्वेस्ट यूपी द्वारा निवेश प्रबंधन एवं निवेशक संवाद (Investor Lead Management and Investor Communication) हेतु एक मानव हस्तक्षेप रहित ग्राहक संबंध प्रबंधन पोर्टल (Customer Relationship Management Portal) विकसित किया जाएगा। इसे ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल, 'निवेश मित्र' से भी जोड़ा जाएगा। यह सभी निवेशकों की समस्याओं के निवारण के लिए Single One-Stop Solution प्रदान करेगा।
- 11.9 समस्त नीतियों के लिए प्रोत्साहनों की स्वीकृति व संवितरण के लिए ऑनलाइन प्रोत्साहन प्रबंधन प्रणाली विकसित की जाएगी। इसे भी निवेश मित्र से जोड़ा जाएगा।
- 11.10 इन्वेस्ट यूपी की वर्तमान हेल्पलाइन सेवा को सुदृढ़ किया जाएगा।
- 11.11 मेगा एवं इससे उच्च श्रेणी की परियोजनाओं की सुविधा के लिए समर्पित (Dedicated) नोडल अधिकारी नामित किए जाएंगे।
- 11.12 उद्योगों को सेवा प्रदान करने वाले समस्त विभागों में ग्राहकोन्मुख मानसिकता (Customer-friendly mindset) को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट सॉफ्ट-स्किल प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाएगा।

12. वित्तीय प्रोत्साहन

राज्य में अधिकतम निवेश आकर्षित करने तथा उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रोत्साहित करने हेतु इस नीति के अंतर्गत आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन, रियायतें एवं उपादान प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

12.1 पात्रता एवं परिभाषाएं

- 12.1.1 **प्रभावी तिथि** का अभिप्राय उस तिथि से है, जिस तिथि से यह नीति प्रभावी होगी।
- 12.1.2 **प्रभावी अवधि** का अभिप्राय उस अवधि से है, जो प्रभावी तिथि से प्रारंभ होकर उस अवधि (05 वर्ष) तक, जिसके लिए यह नीति लागू रहेगी अथवा जब तक राज्य सरकार द्वारा इसमें कोई संशोधन अथवा निरसन नहीं किया जाता है।
- 12.1.3 **पात्र औद्योगिक उपक्रम** का अभिप्राय किसी कंपनी, साझेदारी फर्म के रूप में गठित इकाई के स्वामित्व वाले औद्योगिक उपक्रम (संयुक्त क्षेत्र अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रम को छोड़ कर, जिसमें सरकार अथवा सरकारी उपक्रम की शेयर पूंजी 50 प्रतिशत अथवा अधिक हो), एलएलपी, सोसायटी, ट्रस्ट, औद्योगिक सहकारी समिति के स्वामित्व वाली संस्था से है, जो विनिर्माण, उत्पादन, प्रसंस्करण, कॉण्ट्रेक्ट मैनुफैक्चरिंग अथवा आर्टिकल्स के जॉबवर्क के कार्य में संलग्न हों तथा नवीन अथवा विस्तारीकरण अथवा विविधीकरण परियोजना के रूप में स्थापित हों।
- 12.1.4 **विस्तारीकरण** का अभिप्राय एक ऐसे वर्तमान औद्योगिक उपक्रम से है, जो नवीन पूंजी निवेश के माध्यम से अपने सकल ब्लॉक में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि करता है।
- 12.1.5 **विविधीकरण** का अभिप्राय एक ऐसे वर्तमान औद्योगिक उपक्रम से है, जो वर्तमान उत्पाद से पूर्णरूपेण पृथक उत्पाद का विनिर्माण करता है। इसके अतिरिक्त विविधीकरण के अंतर्गत प्रोत्साहन हेतु पात्र होने के लिए, औद्योगिक उपक्रम को अपने सकल ब्लॉक में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी अथवा नए पूंजी निवेश के माध्यम से इस नीति में पारिभाषित मेगा अथवा उससे उच्च श्रेणी की परियोजना के रूप में अर्हता प्राप्त करनी होगी। उक्त दोनों स्थितियों (सकल ब्लॉक में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि अथवा मेगा या उससे उच्च श्रेणी में अर्हता प्राप्त करना) में से जो भी कम होगा, वह मान्य होगा।
- 12.1.6 **पूंजी निवेश** हेतु औद्योगिक उपक्रम द्वारा वहन की जाने वाली निम्नलिखित लागत पर विचार किया जाएगा:-
- भूमि**- भूमि के पंजीकृत विलेख के अनुसार वास्तविक क्रय मूल्य को परियोजना के लिए भूमि की लागत (स्टाम्प शुल्क व पंजीकरण चार्ज को छोड़कर) के रूप में माना जाएगा। यदि भूमि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) अथवा राज्य सरकार की किसी अन्य संस्था द्वारा आवंटित की जाती है, तो भुगतान किए गए वास्तविक आवंटन मूल्य को भूमि की लागत (स्टाम्प शुल्क व पंजीकरण चार्ज को छोड़कर) के रूप में माना जाएगा।
 - भवन** का अभिप्राय ऐसे नवीन भवन से है, जो परियोजना हेतु निर्मित किया गया हो। इसमें प्रशासनिक भवन भी सम्मिलित होगा।

संयंत्र एवं मशीनरी की स्थापना, अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों, इन-हाउस परीक्षण सुविधाओं, भंडारण सुविधाओं एवं विनिर्माण प्रक्रिया से संबंधित अन्य भवनों तथा श्रमिकों के लिए छात्रावास/डॉरमेट्री से संबंधित भवन, कार्यालय स्थान एवं प्रशासनिक परिसरकी स्थापना के लिए निर्मित नवीन भवनों की लागत पर किए गए वास्तविक व्यय के अनुसार विचारित किया जाएगा।

नोट : पूंजी निवेश की गणना के उद्देश्य से कुल पूंजी निवेश का अधिकतम 30 प्रतिशत (जिसमें इस नीति में पारिभाषित भूमि का वास्तविक मूल्य, भवन की कुल लागत, अन्य निर्माण, संयंत्र व मशीनरी तथा अवस्थापना सुविधाएं सम्मिलित हैं) को कुल भूमि तथा भवन घटक के रूप में विचारित किया जाएगा।

- iii. **अन्य निर्माण-** अन्य निर्माण का अभिप्राय परिसर की दीवार एवं गेट, सुरक्षा केबिन, आंतरिक सड़कें, बोरवेल, वॉटर टैंक, जल एवं गैस के लिए आंतरिक पाइपलाइन नेटवर्क तथा अन्य संबंधित निर्माण से है।
- iv. **संयंत्र एवं मशीनरी-** संयंत्र एवं मशीनरी का अभिप्राय नवीन स्वदेशी/आयातित संयंत्र व मशीनरी, सुविधाओं, डाई, मोल्ड्स, जिग्स एवं फिक्सचर्स तथा समान प्रकार के उत्पादन से संबंधित उपकरण से है, जिनका स्वामित्व व उपयोग संयंत्र के भीतर हो। इसमें परिवहन की लागत, नींव, निर्माण, स्थापना तथा विद्युतीकरण की लागत सम्मिलित होगी। विद्युतीकरण की लागत में विद्युत उपकेंद्र एवं ट्रांसफार्मर की लागत सम्मिलित होगी। ऐसे अन्य टूल्स एवं उपकरण, जो उत्पाद/उत्पादों के निर्माण के लिए सहायक हैं, को भी सम्मिलित किया जाएगा।

संयंत्र एवं मशीनरी में गैर-पारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन के लिए संयंत्र/अनुसंधान एवं विकास/केवल औद्योगिक इकाई के परिसर के भीतर परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन तथा ऐसे परिसर के अन्दर माल के परिवहन में विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले सामग्री हैंडलिंग उपकरण, औद्योगिक उपक्रम के परिसर में स्थापित कैप्टिव विद्युत उत्पादन/सह-उत्पादन संयंत्र, जिसके विद्युत उत्पादन का न्यूनतम 75 प्रतिशत का उपयोग भी औद्योगिक उपक्रम में किया जाए; जल-उपचार संयंत्र, अपशिष्ट/उत्सर्जन अथवा ठोस/गैसीय खतरनाक अपशिष्ट के संग्रहण, उपचार, निस्तारण की सुविधा सहित प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र तथा डीजल जेनरेटर सेट एवं बॉयलर भी सम्मिलित होंगे।

विदेशों से प्रतिस्थापित (Relocate) होने वाले औद्योगिक उपक्रमों द्वारा आयातित पुराने संयंत्र एवं मशीनरी की लागत का 40 प्रतिशत भी इस मद में पात्र माना जाएगा।

- v. **अवस्थापना सुविधाएं-** अवस्थापना सुविधाओं का अभिप्राय ऐसी नई सड़कों, सीवर लाइनों, जल-निकासी, विद्युत लाइनों, रेलवे साइडिंग अवस्थापना अर्थात् इकाई के संचालन के लिए आवश्यक ऐसी अन्य सुविधाओं से है, जो उपक्रम के परिसर को मुख्य अवस्थापना ट्रंक लाइनों से जोड़ती हैं। इसके अतिरिक्त औद्योगिक उपक्रम द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए स्थापित अपशिष्ट उपचार संयंत्र (एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट), उत्प्रेषण उपचार संयंत्र (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) को भी सम्मिलित किया जाएगा।

12.1.7 **अपात्र पूंजी निवेश-** कार्यशील पूंजी; गुडविल; प्रारंभिक एवं पूर्व-संचालन व्यय; पूंजीकृत ब्याज; प्रौद्योगिकी/तकनीकी जानकारी के अधिग्रहण के लिए लेखा-पुस्तकों में अंकित पूंजीकृत व्यय; परामर्श शुल्क; रॉयल्टी; डिजाइन एवं ड्रॉइंग्स; पेटेंट, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर एवं बौद्धिक संपदा अधिकार, अमूर्त परिसंपत्ति (Intangible Assets) तथा विद्युत उत्पादन (कैप्टिव उपयोग

को छोड़कर, जैसा कि इस नीति में पारिभाषित पूंजी निवेश के संयंत्र और मशीनरी मद के अंतर्गत उल्लेख किया गया है) को अपात्र पूंजी निवेश माना जाएगा। पूंजी निवेश की गणना के लिए ऐसे मदों पर विचार नहीं किया जाएगा।

12.1.8 कट-ऑफ तिथिका अभिप्राय :-

- i. यदि निवेश, नीति की प्रभावी तिथि को अथवा उसके पश्चात प्रारम्भ होता है, तो निवेश प्रारम्भ होने की तिथि जो नीति की प्रभावी अवधि के भीतर हो, से है।
- ii. यदि निवेश, नीति की प्रभावी तिथि से पूर्व प्रारम्भ होता है, तो इस नीति की प्रभावी तिथि से है। यदि केवल भूमि नीति की प्रभावी तिथि से पूर्व अर्जित की जाती है, तो औद्योगिक उपक्रम द्वारा पूंजी निवेश के अन्तर्गत परिभाषित किसी अन्य मद (भूमि को छोड़कर) में नीति की प्रभावी तिथि को अथवा उसके पश्चात किये गये प्रथम निवेश की तिथि से है।

12.1.9 वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि का अभिप्राय उस तिथि से है, जिस तिथि से औद्योगिक उपक्रम वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करता है।

12.1.10 पात्र निवेश अवधिका अभिप्राय इस नीति की प्रभावी अवधि में वृहद् परियोजनाओं हेतु कट-ऑफ तिथि से प्रारंभ होने वाली 04 वर्ष की अवधि अथवा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि तक, जो भी पहले हो, मेगा परियोजनाओं हेतु 05 वर्ष तक अथवा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि तक, जो भी पहले हो, सुपर मेगा परियोजनाओं हेतु 07 वर्ष तक अथवा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि तक, जो भी पहले हो एवं अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं हेतु 09 वर्ष तक अथवा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि तक, जो भी पहले हो, से है।

तालिका-1 : पात्र निवेश अवधि	
श्रेणी	पात्र निवेश अवधि
वृहद्	4 वर्ष
मेगा	5 वर्ष
सुपर मेगा	7 वर्ष
अल्ट्रा मेगा	9 वर्ष

नोट : इसमें ऐसे प्रकरण भी पूंजी निवेश के अंतर्गत सम्मिलित होंगे, जिनमें निवेश प्रारंभ करने की तिथि (सभी श्रेणियों के लिए) प्रभावी तिथि से गत् 05 वर्षों के अंदर हो तथा वाणिज्यिक उत्पादन, प्रभावी तिथि के बाद प्रारम्भ हो। शर्त यह होगी कि पूंजी निवेश का न्यूनतम 80 प्रतिशत, प्रभावी तिथि के पश्चात् किया गया हो।

पूंजी निवेश के भूमि घटक में प्रभावी तिथि से गत् 05 वर्ष से पहले किया गया निवेश, पूंजी निवेश की गणना करने हेतु अनुमन्य होगा। भूमि में इस प्रकार के निवेश का मूल्य भूमि क्रय किए जाने के समय बुक-वैल्यू पर माना जाएगा (इसके पश्चात् भूमि का किया गया कोई भी पुनर्मूल्यांकन मान्य नहीं होगा)।

12.1.11 प्रोत्साहनों को क्रियान्वित करने हेतु निम्नलिखित 04 निवेश प्रतिबद्धता-आधारित परियोजना श्रेणियों को चिन्हित किया गया है (तालिका-2)। प्रत्येक परियोजना-श्रेणी की पात्रता हेतु

आवश्यक न्यूनतम पूंजी निवेश को संबंधित श्रेणियों के लिए निर्धारित **Threshold Investment** कहा जाएगा।

तालिका-2: पूंजी निवेश आधारित परियोजना-श्रेणियाँ	
श्रेणी	पूंजी निवेश
वृहद्	₹50 करोड़ से अधिक किन्तु ₹200 करोड़ से कम
मेगा	₹200 करोड़ या उससे अधिक किन्तु ₹500 करोड़ से कम
सुपर मेगा	₹500 करोड़ या उसे अधिक किन्तु ₹3,000 करोड़ से कम
अल्ट्रा मेगा	₹3,000 करोड़ या उससे अधिक

नोट : एमएसएमई को प्रोत्साहन प्रदेश की एमएसएमई नीति के अंतर्गत प्रदान किए जाएंगे।

12.1.12 **पात्र पूंजी निवेश-ईसीआई(Eligible Capital Investment: ECI)** का अभिप्राय ऐसे पूंजी निवेश से है, जो किसी औद्योगिक उपक्रम द्वारा इस नीति की प्रभावी तिथि के बाद पात्र निवेश अवधि में किया गया हो। यदि औद्योगिक उपक्रम द्वारा पूंजी निवेश, प्रभावी तिथि से पूर्व प्रारंभ किया गया है, तो ऐसे पूंजी निवेश का न्यूनतम 80 प्रतिशत, नीति की प्रभावी तिथि के बाद किया जाना चाहिए तथा उसी पूंजी निवेश को ही पात्र पूंजी निवेश माना जाएगा। यद्यपि, निवेश की परियोजना श्रेणी (वृहद्/मेगा/सुपर मेगा/अल्ट्रा मेगा) निर्धारण हेतु पात्र निवेश अवधि में किया गया पूंजी निवेश, जैसी कि गणना की गई है, पर विचार किया जाएगा।

यद्यपि वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि के पश्चात्, किन्तु 4/5/7/9 वर्षों (श्रेणी के आधार पर) के अन्दर किए गए पूंजी निवेश के 10 प्रतिशत से कम निवेश को भी पात्र पूंजी निवेश (ECI) माना जाएगा, किन्तु इस प्रकार के प्रकरणों में परियोजना श्रेणी, इस नीति में दी गई परिभाषा के अनुसार ही निर्धारित होगी।

12.1.13 **चरणबद्ध निवेश** करने वाले औद्योगिक उपक्रम इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र होंगे, बशर्ते ऐसे आवेदन, प्रथम चरण के वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने की तिथि से पूर्व प्राप्त हो जाएं। ऐसे प्रकरणों में, संबंधित प्रोत्साहन Threshold Investment को पूरा करने तथा संबंधित चरण, जिसमें Threshold Investment पूर्ण किया गया हो, के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के बाद ही संवितरित किए जाएंगे। चरणबद्ध अतिरिक्त (Additional) पात्र पूंजी निवेश पर इकाई प्रासंगिक वृद्धिशील प्रोत्साहन (Incremental Incentives) की पात्र होगी, यद्यपि पात्र निवेश अवधि नीति के अनुसार ही रहेगी।

12.2 स्टाम्प शुल्क में छूट

भूमि के क्रय पर राज्य के बुंदेलखंड और पूर्वांचल में 100 प्रतिशत, मध्यांचल एवं पश्चिमांचल (गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद जनपदों को छोड़कर) में 75 प्रतिशत तथा गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद जनपदों में 50 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क में छूट दी जाएगी। इस हेतु निवेशक इकाई द्वारा प्राप्त स्टाम्प शुल्क में छूट के समतुल्य बैंक गारण्टी (BG) जमा करायी जाएगी, जो कि इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के उपरान्त Release की जाएगी।

12.3 निवेश प्रोत्साहन उपादान

निवेश प्रोत्साहन उपादान का लाभ उठाने के लिए निवेशकों को उपलब्ध 03 परस्पर पृथक विकल्पों में से एक विकल्प चुनने का अवसर मात्र एक बार दिया जाएगा। निवेशक को परियोजना के प्रारंभ में आवेदन के समय ही उक्त अवसर का उपयोग करना होगा।

यद्यपि, आवेदक द्वारा आवेदन के समय चयनित विकल्प को परिवर्तित करने का एक अतिरिक्त अवसर उपलब्ध होगा। इस अतिरिक्त अवसर का उपयोग, लेटर-ऑफ-कम्फर्ट प्रदान करने हेतु 'उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति' (HLEC) अथवा 'प्राधिकृत समिति' (EC) के अनुमोदन से पूर्व, जैसी भी स्थिति हो, किया जा सकता है। इस प्रकार निवेशक के पास चयनित विकल्प को परिवर्तित करने का अग्रतर एक ही अवसर उपलब्ध होगा तथा इसके पश्चात चयनित विकल्प में परिवर्तन करने का अग्रतर अवसर उपलब्ध नहीं होगा।

औद्योगिक उपक्रम द्वारा निम्नलिखित 03 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन किया सकता है-

12.3.1 विकल्प 1: पूंजीगत उपादान

- इस विकल्प के अंतर्गत औद्योगिक उपक्रम तालिका-3 के अनुसार पूंजीगत उपादान का लाभ उठा सकते हैं। पूंजीगत उपादान निम्नलिखित सूत्र के अनुसार प्रदान की जाएगी-

$$\text{वार्षिक पूंजीगत उपादान} = (\text{बेस कैपिटल उपादान} \times \text{ग्रॉस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मल्टीपल (GCM)}) \div \text{अनुमन्य प्रोत्साहन संवितरण अवधि}$$

तालिका-2 : पूंजीगत उपादान एवं वार्षिक सीमा (ईसीआई = पात्र पूंजी निवेश)				
जनपद/क्षेत्र	वृहद्	मेगा	सुपर मेगा	अल्ट्रा मेगा
गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद	ईसीआई का कुल 10 प्रतिशत 10 वार्षिक किरतों में	ईसीआई का कुल 18 प्रतिशत 12 वार्षिक किरतों में	ईसीआई का कुल 20 प्रतिशत 15 वार्षिक किरतों में	ईसीआई का कुल 22 प्रतिशत 20 वार्षिक किरतों में
मध्यांचल व पश्चिमांचल (गौतम बुद्ध नगर व गाजियाबाद को छोड़कर)	ईसीआई का कुल 12 प्रतिशत 10 वार्षिक किरतों में	ईसीआई का कुल 20 प्रतिशत 12 वार्षिक किरतों में	ईसीआई का कुल 22 प्रतिशत 15 वार्षिक किरतों में	ईसीआई का कुल 25 प्रतिशत 20 वार्षिक किरतों में
युंदेलखंड व पूर्वांचल	ईसीआई का कुल 15 प्रतिशत 10 वार्षिक किरतों में	ईसीआई का कुल 22 प्रतिशत 12 वार्षिक किरतों में	ईसीआई का कुल 25 प्रतिशत 15 वार्षिक किरतों में	ईसीआई का कुल 30 प्रतिशत 20 वार्षिक किरतों में
वार्षिक सीमा	₹5 करोड़	₹10 करोड़	₹50 करोड़	₹150 करोड़
बूस्टर के साथ वार्षिक सीमा	लागू नहीं	₹15 करोड़	₹75 करोड़	₹210 करोड़

- ग्रॉस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मल्टीपल (Gross Capacity Utilization Multiple- GCM): इस नीति में ग्रॉस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मल्टीपल (GCM) को लागू किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस नीति के लाभार्थियों द्वारा स्थापित उत्पादन क्षमता का इष्टतम (Optimum) उपयोग किया जा सके।

GCM को प्रथम वर्ष के लिए 1 माना जाएगा, बशर्ते इकाई अपनी स्थापित क्षमता का 40 प्रतिशत उपयोग कर ले। अनुवर्ती वर्षों हेतु GCM को 1 माना जाएगा, बशर्ते उस वर्ष में इकाई अपनी स्थापित क्षमता का 75 प्रतिशत अथवा उससे अधिक उपयोग कर ले।

यदि क्षमता उपयोग,स्थापित क्षमता के 75 प्रतिशत से कम है, तो नीचे दिए गए फॉर्मूले के अनुसार GCMको आनुपातिक रूप से कम किया जाएगा—

$$GCM = \text{Minimum}(75\%, \text{विचाराधीन वर्ष का अधिकतम क्षमता उपयोग}) \div 75\%$$

(क) GCMकी अधिकतम value '1' होगी।

(ख) यदि क्षमता उपयोग स्थापित क्षमता के 10 प्रतिशत से कम अथवा उसके बराबर है, तो GCMशून्य होगा।

(ग) चरणबद्ध निवेश के प्रकरण में, प्रत्येक चरण के बाद प्रथम वर्ष के GCMको, किए गए अतिरिक्त निवेश हेतु 1 माना जाएगा, यदि क्षमता उपयोग उस चरण में स्थापित अतिरिक्त क्षमता का न्यूनतम 40 प्रतिशत है। अनुवर्ती वर्षों में,यदि इकाई का कुल क्षमता उपयोग, कुल स्थापित क्षमता का 75 प्रतिशत है तो GCM 1 होगा तथा यदि इससे कम है, तो GCMआनुपातिक रूप से कम हो जाएगा।

(घ) विस्तारीकरण श्रेणी की परियोजनाओं के प्रकरण में, विद्यमान इकाई की स्थापित क्षमता वह होगी, जो उस वित्तीय वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष में थी, जिसमें विस्तारीकरण परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हुआ है। GCM की गणना अतिरिक्त निवेश के कारण स्थापित क्षमता के फलस्वरूप प्राप्त वृद्धिशीलक्षमता उपयोग (IncrementalCapacity Utilisation)के आधार पर की जाएगी।

(ङ) विविधीकरण श्रेणी की परियोजनाओं के प्रकरण में, GCMकी गणना, अतिरिक्त निवेश के माध्यम से नए उत्पाद/उत्पादोंहेतु स्थापित अतिरिक्त क्षमता के उपयोग के आधार पर की जाएगी।

(च) किसी वर्ष विशेष में 1 से कम GCMके कारण पूंजीगत उपादानमें हुई घटोत्तरी को आगामी वर्षों हेतु विचारित नहीं किया जाएगा।

नोट :GCMकी गणना के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देशनीति की प्रक्रियाओं के अंतर्गत प्रदान किए जाएंगे, जिन्हें पृथक से अधिसूचित किया जाएगा।

iii. तालिका-3 में उल्लिखित बूस्टर के साथ वार्षिक सीमा के अधीन, मेगा एवं उससे उच्च की श्रेणी की परियोजनाएं अतिरिक्त पूंजीगतउपादानका लाभ निम्नलिखित सूत्र के अनुसार उठा सकती हैं—

$$\text{वार्षिक पूंजीगत उपादान} = \{(\text{बेस कैपिटल उपादान} + \text{रोजगार बूस्टर} + \text{निर्यात बूस्टर} + \text{पारिस्थिकी तंत्र बूस्टर}) \times \text{जीसीएम}\} \div \text{अनुमन्य प्रोत्साहन संवितरण अवधि}$$

iv. **रोजगार बूस्टर**— मेगा एवं उससे उच्च श्रेणी की परियोजनाएं तालिका-3 के अनुसार न्यूनतम रोजगार उपलब्ध कराने पर निम्नलिखित रोजगार बूस्टर का लाभ उठा सकती हैं। आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए औसत वार्षिक रोजगार (कर्मचारी भविष्य निधि से आच्छादित) को आधार मानते हुए वार्षिक रोजगार बूस्टर के प्रतिशत की गणना की जाएगी।

(क) प्रश्नगत परियोजना श्रेणी हेतु विचारित वर्ष में न्यूनतम रोजगार नियोजित करने अथवा प्रश्नगत परियोजना श्रेणी के लिए न्यूनतम रोजगार के 75 प्रतिशत महिला कर्मियों को नियोजित करने पर — ईसीआई के 02 प्रतिशत का रोजगार बूस्टर,

- (ख) प्रश्नगत परियोजना श्रेणी हेतु विचारित वर्ष में न्यूनतम रोजगार के दोगुने से अधिक नियोजित करने अथवा न्यूनतम रोजगार के दोगुने के 75 प्रतिशत महिला कर्मियों को नियोजित करने पर – ईसीआई के 03 प्रतिशत का रोजगार बूस्टर,
- (ग) प्रश्नगत परियोजना श्रेणी हेतु विचारित वर्ष में न्यूनतम रोजगार के तीन गुना से अधिक नियोजित करने अथवा न्यूनतम रोजगार के तीन गुना के 75 प्रतिशत महिला कर्मियों को नियोजित करने पर– ईसीआई के 04 प्रतिशत का रोजगार बूस्टर।

तालिका-4: परियोजना श्रेणीवार न्यूनतम रोजगार संख्या	
श्रेणी	रोजगार
मेगा	300
सुपर मेगा	600
अल्ट्रा मेगा	1500

- v. **निर्यात बूस्टर**— मेगा व उससे उच्च श्रेणी की परियोजनाएं, निर्यात बूस्टर का लाभ उठा सकती हैं, जिसका निर्धारण किसी वर्ष विशेष में निर्यात हेतु किए गए उत्पादन एवं उसी वर्ष के कुल उत्पादन के अनुपात के रूप में निम्नानुसार किया जाएगा –
- (क) विचाराधीन वर्ष में अपने उत्पादन का 25 प्रतिशत अथवा उससे अधिक, किन्तु 50 प्रतिशत से कम निर्यात – ईसीआई के 2 प्रतिशत का निर्यात बूस्टर,
- (ख) विचाराधीन वर्ष में अपने उत्पादन का 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक, किन्तु 75 प्रतिशत से कम निर्यात – ईसीआई के 3 प्रतिशत का निर्यात बूस्टर,
- (ग) विचाराधीन वर्ष में अपने उत्पादन का 75 प्रतिशत अथवा उससे अधिक निर्यात – ईसीआई के 4 प्रतिशत का निर्यात बूस्टर।
- vi. **पारिस्थितिकी तंत्र बूस्टर (Ecosystem Booster)**—यदि कोई मेगा अथवा उससे उच्चतर श्रेणी की परियोजना, अपने उत्पाद के विनिर्माण हेतु उत्तर प्रदेश में स्थित किसी विद्यमान अथवा नई विनिर्माण इकाई से इनपुट अथवा कच्चा माल प्राप्त करती है, तो उसको निम्नानुसार पारिस्थितिकी तंत्र बूस्टर प्रदान किया जाएगा—
- (क) अपनी आवश्यकतानुसार कच्चे माल/इनपुट के 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक, किन्तु 60 प्रतिशत से कम प्राप्त करने पर— ईसीआई के 02 प्रतिशत का पारिस्थितिकी तंत्र बूस्टर,
- (ख) अपनी आवश्यकतानुसार कच्चे माल/इनपुट के 60 प्रतिशत अथवा उससे अधिक, किन्तु 75 प्रतिशत से कम प्राप्त करने पर— ईसीआई के 03 प्रतिशत का पारिस्थितिकी तंत्र बूस्टर,
- (ग) अपनी आवश्यकतानुसार कच्चे माल/इनपुट के 75 प्रतिशत अथवा उससे अधिकको प्राप्त करने पर— ईसीआई के 04 प्रतिशत का पारिस्थितिकी तंत्र बूस्टर।

12.3.2 विकल्प-2 :शुद्ध राज्य माल एवं सेवा कर की प्रतिपूर्ति (Net SGST Reimbursement)

- i. किसी वित्तीय वर्ष विशेष में राजकोष में जमा किए गए शुद्ध एसजीएसटी की राशि से अधिक नहीं होने की शर्त के अधीन जमा शुद्ध एसजीएसटी राशि के 100 प्रतिशत की

प्रतिपूर्ति तालिका-5 के अनुसार की जाएगी-

तालिका-5 शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति					
विवरण	वृद्ध	मेगा	सुपर मेगा	अल्ट्रा मेगा	
शुद्ध एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति का वार्षिक प्रतिशत	100%	100%	100%	100%	
प्रतिपूर्ति की अवधि (वर्षों में)	6	12	14	16	
गोतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद	ईसीआई के प्रतिशत के रूप में वार्षिक सीमा	16%	7%	6%	5%
	ईसीआई के प्रतिशत के रूप में समग्र सीमा	80%	80%	80%	80%
मध्यांचल एवं पश्चिमांचल (गोतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद जनपदों को छोड़कर)	ईसीआई के प्रतिशत के रूप में वार्षिक सीमा	18%	17%	14%	13%
	ईसीआई के प्रतिशत के रूप में समग्र सीमा	90%	200%	200%	200%
बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल	ईसीआई के प्रतिशत के रूप में वार्षिक सीमा	20%	25%	21%	19%
	ईसीआई के प्रतिशत के रूप में समग्र सीमा	100%	300%	300%	300%

- ii. विस्तारीकरण/विविधीकरण परियोजनाओं के प्रकरण में, केवल वृद्धिशील निवेश ही प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु पात्र होगा। प्रतिपूर्ति के लिए पात्र शुद्ध एसजीएसटी का मूल्यांकन Incremental Turnover के आधार पर किया जाएगा। Incremental Turnover का अभिप्राय, विस्तारीकरण के उपरांत वर्तमान टर्नओवर तथा बेस टर्नओवर के अंतर से है। बेस टर्नओवर का अभिप्राय इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि जिस वित्तीय वर्ष में हो, उस वित्तीय वर्ष के पूर्ववर्ती 05 वर्षों में (अथवा 05 वर्षों से कम, यदि इकाई 05 वर्ष से कम अवधि में कार्यरत रही है) जिस वर्ष में अधिकतम टर्नओवर प्राप्त किया गया हो, एवं यदि चरणबद्ध रूप में परियोजना क्रियान्वित की जा रही हो, तो प्रथम चरण के वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि के पूर्ववर्ती 05 वर्षों में जिस वर्ष में अधिकतम टर्नओवर प्राप्त किया गया हो।

12.3.3 विकल्प-3 : भारत सरकार की प्रोडक्शन लिंकड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रोत्साहनों पर टॉप-अप

- i. भारत सरकार की किसी भी पीएलआई योजना के अंतर्गत स्वीकृत पीएलआई प्रोत्साहनों का 30 प्रतिशत (जब एवं जिस प्रकार भारत सरकार द्वारा संवितरित किया जाता है) संवितरित किया जाएगा।
- ii. प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहनों की सीमा, ईसीआई (ECI) के 100 प्रतिशततक सीमित होगी।

- iii. प्रदेश सरकार द्वारा इस विकल्प के अन्तर्गत भारत सरकार की पीएलआई योजना के अतिरिक्त अन्य ऐसी योजनाओं को मा. मुख्यमंत्री के अनुमोदन के उपरान्त सम्मिलित किया जा सकता है।

12.4 केस-टू-केस आधार पर प्रोत्साहन

विशेष महत्व की अल्ट्रा मेगा श्रेणी की परियोजनाओं को यथावश्यकता राज्य सरकार द्वारा केस-टू-केस आधार पर प्रोत्साहनों का कस्टमाइज़्ड पैकेज प्रदान किए जाने पर विचार किया जा सकता है। इस प्रकार, केस-टू-केस आधार पर प्रोत्साहनों का कस्टमाइज़्ड पैकेज प्रदान करने हेतु मा. मंत्रिपरिषद् द्वारा अनुमोदन आवश्यक होगा।

12.5 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं (R&D) तथा बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) हेतु प्रोत्साहन

12.5.1 एकल (Stand-alone) अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के सृजन पर व्यय के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा ₹10 करोड़ होगी। यह प्रतिपूर्ति इस नीति में प्रदत्त निवेश प्रोत्साहन उपादान एवं स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त होगी।

- i. ऐसी परियोजनाओं में पात्र पूंजी निवेश न्यूनतम ₹20 करोड़ होना चाहिए।
- ii. ऐसी परियोजनाओं में औद्योगिक इकाई के अन्दर अथवा बाहर, स्पष्ट रूप से सीमांकन होना चाहिए।
- iii. ऐसी परियोजनाको वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग(DSIR), भारत सरकार में पंजीकृत होना चाहिए।
- iv. परियोजना के अनुमोदन पर 50 प्रतिशत उपादान, अनुमोदन के 03 वर्ष के उपरान्त 25 प्रतिशत तथा प्रतिबद्ध परिणाम प्राप्त करने पर अंतिम 25 प्रतिशत का उपादान, किशतों में प्रदान किया जाएगा।
- v. नीति की अवधि में इस प्रकार की 10 परियोजनाओं को नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

12.5.2 एकल (Stand-alone) अनुसंधान एवं विकास फर्मों द्वारा फर्म के व्यवसाय की प्रकृति से संबंधित नवीन अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां अपेक्षित हैं, यथा- नई प्रौद्योगिकियों का विकास, डिजाइन व इंजीनियरिंग, उत्पाद विकास, विश्लेषण एवं परीक्षण की नई पद्धतियों का विकास तथा संसाधनों के उपयोग में दक्षता के विकास हेतु अनुसंधान। आवेदन के समय, अनुसंधान एवं विकास इकाई/इकाइयों के पास भलीभांति पारिभाषित, समयबद्ध अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम होने चाहिए, जो नवीन उत्पादों तथा/अथवा प्रौद्योगिकी/प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए लक्षित हों। ऐसी फर्म्स जो पूर्णतः बाजार अनुसंधान, कार्य व विधियों के अध्ययन, संचालन एवं प्रबंधन अनुसंधान, संचालन, प्रक्रिया नियंत्रण, गुणवत्ता नियंत्रण तथा दिन-प्रतिदिन के उत्पादन के रखरखाव एवं संयंत्र के रखरखाव के लिए नियमित प्रकृति के परीक्षण व विश्लेषण का कार्य करती हों, उन पर अनुसंधान एवं विकास से संबंधित फर्म के रूप में विचार नहीं किया जाएगा।

12.5.3 प्रदेश सरकार पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एवं भौगोलिक संकेतकों के पंजीकरण हेतु किए गए व्यय के 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करेगी, जो अधिकतम ₹1 करोड़ के अधीन होगी। यह प्रोत्साहन उन पात्र औद्योगिक उपक्रमों को दिया जाएगा, जिनका कोई विकल्प प्रोत्साहन,

प्रोत्साहन उपादान के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है अथवा कोई Stand-alone अनुसंधान एवं विकास इकाई, जिसको इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वीकृत किया गया है। यह प्रतिपूर्ति नीति में प्रदत्त निवेश प्रोत्साहन उपादान, स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति एवं नीति के अंतर्गत पात्र Stand-alone अनुसंधान एवं विकास इकाइयों हेतु प्रोत्साहन के अतिरिक्त होगी।

12.6 उत्कृष्टता केंद्रों (CoE) हेतु वित्तीय अनुदान

12.6.1 निजी कंपनियों अथवा सार्वजनिक उपक्रमों अथवा सरकारी संगठनों (भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार) को उत्कृष्टता केंद्र (CoE) स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस हेतु ऐसे उत्कृष्टता केंद्र, जो प्रदेश सरकार की किसी भी नीति के अंतर्गत किसी भी प्रोत्साहन हेतु आच्छादित नहीं हैं, को इस नीति के अंतर्गत वित्तीय अनुदान प्रदान करने पर विचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, संसाधन दक्षता, चक्रीय अर्थव्यवस्था, गुणवत्ता सुधार एवं इंडस्ट्री 4.0 जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्रों को बढ़ावा दिया जाएगा। ये उत्कृष्टता केंद्र प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण, Technology Acquisition एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करेंगे। इनको भारत सरकार की नीतियों के साथ Dovetailing करने की अनुमति दी जाएगी। उत्कृष्टता केंद्रों (CoEs) के संबंध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

12.6.2 नीति की अवधि में अधिकतम 10 उत्कृष्टता केंद्रों (CoE) को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिनमें एक क्षेत्र (Sector) में अधिकतम 2 उत्कृष्टता केंद्र हो सकते हैं।

12.6.3 अनुदान का धनराशि, प्रति परियोजना हेतु ₹10 करोड़ की सीमा के अधीन, परियोजना लागत के 50 प्रतिशत तक होगी।

12.7 अवस्थापना परियोजनाओं हेतु प्रोत्साहन

12.7.1 प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र हेतु जीवंत ecosystem के सृजन के लिए पम्प स्टोरेज प्लॉण्ट्स (PSPs) को प्रोत्साहित किया जाएगा।

12.7.2 इसी प्रकार की अन्य अवस्थापना श्रेणी की परियोजनाओं को मा. मुख्यमंत्री के अनुमोदनोपरान्त, पात्र सूची में जोड़ा जा सकता है।

12.7.3 मेगा अथवा उच्चतर की परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत पात्र, पम्प स्टोरेज प्लॉण्ट्स को निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जाएंगे –

- i. राज्य के बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल में 100 प्रतिशत, मध्यांचल एवं पश्चिमांचल (गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद जनपदों को छोड़कर) में 75 प्रतिशत तथा गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद जनपदों में 50 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी में छूट।
- ii. इस नीति के प्रस्तर 12.3.1 में वर्णित निवेश प्रोत्साहन उपादान के विकल्प-1 (तालिका-3) में पारिभाषित पूंजीगत उपादान। यद्यपि, इस नीति में पारिभाषित GCM एवं सभी बूस्टर, ऐसी परियोजनाओं हेतु लागू नहीं होंगे।

12.8 नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु शर्त

इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली परियोजनाएं, राज्य सरकार की किसी अन्य नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगी। यद्यपि, निर्यात प्रोत्साहन हेतु राज्य की किसी अन्य योजना के अंतर्गत प्रदत्त उपादान/प्रोत्साहन प्राप्त किया जा सकता है, बशर्ते निर्यात प्रोत्साहन

हेतु योजना के अंतर्गत प्राप्त की जाने वाली उपादान/प्रोत्साहन, इस नीति के अंतर्गत उल्लिखित किसी शीर्ष के अंतर्गत न हो।

नोट : भारत सरकार की किसी योजना/नीति के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहनों के अतिरिक्त इस नीति में निर्दिष्ट समस्त प्रोत्साहन प्राप्त किए जा सकते हैं।

रणनीति 5 : स्थायित्व स्तंभ (Sustainability Pillars of Interventions)

13. रोजगार के अवसरों का सृजन

राज्य के नागरिकों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति के उत्थान तथा उच्च जीवन स्तर प्रदान करने हेतु रोजगार के अवसरों में उत्तरोत्तर वृद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य में कार्य करने योग्य आयुवर्ग की बढ़ती हुई संख्या के साथ एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय वृद्धि के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश सरकार रोजगार के अवसरों के सृजन हेतु विभिन्न उपायों पर कार्यवाही कर रही है। इस दिशा में, इस नीति का ध्येय यह है कि संपूर्ण राज्य में रोजगार के अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान किया जाए।

रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु विशेष प्रोत्साहनों के साथ ही राज्य सरकार उच्च रोजगार सृजन क्षमता वाले क्षेत्रों, जैसे— हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, एमएसएमई व स्टार्टअप्स आदि के लिए भी केंद्रित (Focused) उपाय करेगी। राज्य का नीतिगत ढांचा, स्व-रोजगार एवं ओडीओपी जैसे प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय हस्तशिल्पियों हेतु रोजगार सृजन पर भी केंद्रित होगा।

इसके अतिरिक्त, वैश्विक आपूर्ति-श्रृंखलाओं (Global Supply Chains) के साथ उच्च स्तरीय एकीकरण पर नीति के प्रोत्साहन से न केवल निवेश को बढ़ावा मिलेगा, अपितु रोजगार के स्तर में भी वृद्धि होने की संभावना है।

राज्य में कौशल विकास पारिस्थितिकी तंत्र पर समान रूप से बल दिया जाएगा, जिससे राज्य में कार्यबल की रोजगार क्षमता में वृद्धि की जा सके।

14. संतुलित क्षेत्रीय प्रगति सुनिश्चित करना

औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 की अवधि में राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने हेतु विभिन्न कदम उठाए गए थे। इसमें बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, विभिन्न हवाई अड्डे, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, विभिन्न औद्योगिक पार्कों, फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स, इंटीग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर, ओडीओपी कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यवाही आदि जैसी अवस्थापना सुविधाओं का विकास सम्मिलित है। क्षेत्र के लिए उच्च प्रोत्साहन सहित विभिन्न नीतिगत कार्य किए गए, मध्यांचल सहित इन क्षेत्रों में विकास केंद्रों के त्वरित निर्माण के लिए समर्पित नीति के अतिरिक्त विभिन्न अन्य क्षेत्रीय उपाय भी किए गए।

प्रदेश में प्राप्त संतुलित क्षेत्रीय विकास की गति की निरंतरता बनाए रखने के लिए यह नीति उक्त क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए श्रेणीबद्ध प्रोत्साहन संरचना प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, नीति राज्य के बुंदेलखंड, मध्यांचल, पश्चिमांचल और पूर्वांचल क्षेत्रों की विशिष्टियों का लाभ उठाते हुए इन क्षेत्रों से निर्यात में सुधार पर केंद्रित (Focused) उपाय करेगी। प्रदेश सरकार इन क्षेत्रों में शिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता एवं पहुंच में सुधार करने का प्रयास करेगी। इन क्षेत्रों में इच्छित समाधान प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए सड़क अवस्थापना तथा विद्युत कनेक्टिविटी में वृद्धि की जाएगी तथा नवीन औद्योगिक पार्क एवं क्षेत्र भी विकसित किए जाएंगे।

15. चक्रीय अर्थव्यवस्था(Circular Economy) एवं पर्यावरण संरक्षण

प्रदेश सरकार सतत् विकास के सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध है तथा औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करते हुए स्वच्छ व हरित वातावरण सुनिश्चित करने के अपने उत्तरदायित्व के प्रति सचेत है। इस दिशा में, चक्रीय (Circular) एवं Sustainable अर्थव्यवस्था से एक विश्वसनीय मॉडल प्राप्त हो सकता है। रेखीय अर्थव्यवस्था (Linear Economy) के विपरीत, जो 'टेक, मेक एंड वेस्ट' (Take, Make & Waste) के पैटर्न पर कार्य करती है, चक्रीय अर्थव्यवस्था उत्पादन एवं खपत का एक मॉडल है, जिसमें विद्यमान सामग्रियों एवं उत्पादों को यथासंभव लंबे समय तक साझा करना, पट्टे पर देना, पुनः उपयोग करना, मरम्मत करना, नवीनीकरण करना तथा पुनर्चक्रण करना सम्मिलित है। चक्रीय अर्थव्यवस्था में उत्पादों अथवा सामग्रियों का बार-बार उपयोग किया जाता है, जिससे उनके जीवन-चक्र में वृद्धि हो जाती है तथा अपशिष्ट लगभग शून्य हो जाता है।

चक्रीय अर्थव्यवस्था तथा पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नवत् उपाय किए जाएंगे—

15.1 इस नीति के अंतर्गत निम्नलिखित इकाइयों/गतिविधियों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा—

15.1.1 ऑटो वाहनों एवं ऑटो पार्ट्स की श्रेडिंग करने वाली श्रेडिंग इकाइयाँ तथा इसके तैयार उत्पाद को स्टील विनिर्माण इकाइयों को उपलब्ध कराने वाली इकाइयाँ,

15.1.2 जैव-ईंधन/जैव-डीजल का विनिर्माण,

15.1.3 प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रसंस्करण/उपयोग योग्य उत्पादों का पुनर्चक्रण (रिसाइक्लिंग),

15.1.4 ऊर्जा/अन्य उपयोगी उत्पादों का उत्पादन करने के लिए अपशिष्ट का प्रसंस्करण/पुनर्चक्रण,

15.1.5 ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2015 तथा उसके पश्चात् के संशोधनों में सूचीबद्ध उत्पादों के प्रसंस्करण/पुनर्चक्रण करने वाली ई-अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयाँ/सुविधाएं/पार्क,

15.1.6 केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य गतिविधि, जो अर्थव्यवस्था में मूल्यवर्धन करती है। इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन के उद्देश्य से चक्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आने वाली ऐसी इकाइयों को स्वीकृति प्रदान करने हेतु एक विशेष समिति को अधिसूचित किया जाएगा।

उपर्युक्त गतिविधियों में संलग्न इकाइयाँ इस नीति के अंतर्गत 'पात्र औद्योगिक उपक्रम' के लिए उपलब्ध लाभों एवं प्रोत्साहनों को प्राप्त करने की अधिकारी होंगी।

15.2 संसाधन उत्पादकता, पुनर्चक्रण दर, नगरीय अपशिष्ट उत्पादन, पर्यावरण-नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी एवं ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन जैसे संकेतकों के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के साथ राज्य सरकार के उपायों को संरेखित किया जाएगा।

15.3 'चक्रीय अर्थव्यवस्था' को प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति-2022 के अनुरूप, 'स्वच्छ भारत मिशन' में योगदान करते हुए, पार्ट्स की पुनर्प्राप्ति, उत्पादों के पुनर्चक्रण (रिसाइक्लिंग) एवं पैकेजिंग अपशिष्ट के निस्तारण को सुनिश्चित करने के लिए उद्योगों के लिए रिवर्स लॉजिस्टिक्स को प्रोत्साहित किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन अधिसूचित संबंधित अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्राविधानों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के अपशिष्ट (खतरनाक, ठोस एवं जैव-चिकित्सा अपशिष्ट सहित) के परिवहन को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सतत् विकास सुनिश्चित करने हेतु समस्त स्तरों पर औद्योगिक सेवाओं में 'स्वच्छ पहल'

(Clean initiatives) पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उद्योग, शिक्षा एवं सरकार के मध्य सहयोग स्थापित करके उद्योगों में अनुसंधान व नवाचार को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

- 15.4 चक्रण (Circularity) को बढ़ावा देने वाले उपायों को सम्मिलित करने हेतु क्षेत्र-विशिष्ट नीतियों/पहलों का कार्यान्वयन, जिसमें उत्पाद के संपूर्ण जीवनकाल के साथ-साथ निस्तारण प्रक्रियाएं भी सम्मिलित हैं।
- 15.5 चक्रीय अर्थव्यवस्था से आच्छादित क्षेत्र-विशिष्ट नीतिगत ढांचे का शुभारंभ किया जाएगा, जैसे-नगरीय ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन तथा स्कैपिंग आदि।
- 15.6 यह नीति, जल शुद्धिकरण, अपशिष्ट/उत्सर्जन अथवा ठोस/गैसीय खतरनाक अपशिष्ट के संग्रह, उपचार, निस्तारण की सुविधा सहित प्रदूषण नियंत्रण उपायों के लिए संयंत्र की स्थापना में निवेश को पूंजी निवेश के संयंत्र एवं मशीनरी मद के अंतर्गत, पात्र निवेश के रूप में प्रोत्साहित करेगी।
- 15.7 औद्योगिक विकास प्राधिकरण अपने औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों/सेक्टर्स में सार्वजनिक उत्प्रवाह उपचार संयंत्र (CEPT) स्थापित करने का प्रयास करेंगे।
- 15.8 प्रदेश सरकार उद्योगों द्वारा पर्यावरण मानकों के अधिकाधिक अनुपालन को प्रोत्साहित करेगी तथा उन्हें वायु व जल प्रदूषण को कम करने वाली प्रौद्योगिकियों को अपनाने में सुविधा भी प्रदान करेगी।

16. नीति का कार्यान्वयन

- 16.1 यह नीति, इसकी अधिसूचना की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी।
- 16.2 नीति में संशोधन हेतु मा. मंत्रिपरिषद् अधिकृत होगी।
- 16.3 इस नीति में किसी भी संशोधन की दशा में, नीति में संशोधन से पूर्व अनुमोदित किए गए प्रोत्साहन के प्रतिबद्ध पैकेज समाप्त नहीं होंगे तथा संबंधित इकाई उक्त प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त करने हेतु अधिकृत होगी।
- 16.4 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अंतर्गत अनुमोदित प्रोत्साहन पैकेज प्राप्त इकाइयां, लाभ की अधिकारी बनी रहेंगी। औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अंतर्गत निर्गत किए गए लेटर-ऑफ-कम्फर्ट में संशोधन किए जाने की दशा में, उक्त संशोधन औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 में पारिभाषित प्राविधानों के अनुसार किए जाएंगे।
- 16.5 ऐसे प्रकरण, जो औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अंतर्गत प्रोत्साहनों को प्राप्त करने के लिए लेटर-ऑफ-कम्फर्ट की स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं, यदि वे इस नीति में पात्रता हेतु प्राविधानित नियमों एवं शर्तों को पूर्ण करते हैं, तो उनके पास विकल्प होगा कि वे केवल एक बार इस नीति के प्राविधानों के अंतर्गत प्रोत्साहनों हेतु आवेदन कर सकेंगे, अथवा औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अंतर्गत विचारित किए जाते रहेंगे। यह विकल्प इस नीति की नियमावली अधिसूचित होने की तिथि के उपरांत एक माह की अवधि के पश्चात उपलब्ध नहीं होगा।
- 16.6 प्रदेश सरकार द्वारा 'निवेश मित्र' से एकीकृत, एक 'ऑनलाइन प्रोत्साहन प्रबंधन पोर्टल' (Online Incentive Management Portal) प्रारंभ किया जाएगा। इसके शुभारंभ होने के पश्चात् एक तिथि निर्दिष्ट की जाएगी, जिसके उपरान्त इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए आवेदन केवल इस पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे तथा आवेदकों को एक यूनीक आईडी प्रदान की जाएगी।

- 16.7 यदि इस नीति के अंतर्गत स्वीकृत प्रोत्साहनों के संवितरण की अवधि के अन्दर एक पात्र औद्योगिक उपक्रम को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के आदेशानुसार अथवा अन्यथा एक नई इकाई द्वारा अधिग्रहीत किया जाता है, तो ऐसी उत्तराधिकारी (नई) इकाई, शेष अवधि के लिए उन समस्त प्रोत्साहनों को प्राप्त करने की पात्र होगी, जो मूल औद्योगिक उपक्रम को इस नीति के अंतर्गत स्वीकृत किए गए थे। इस प्रकार उत्तराधिकारी इकाई को भी, पूर्व में मूल इकाई हेतु यथा-स्वीकृत प्रोत्साहनों एवं उनके वितरण के सम्बन्ध में मूल रूप से निर्धारित समस्त नियमों एवं शर्तों को पूर्ण करना होगा।
- 16.8 औद्योगिक उपक्रम द्वारा एक रुग्ण इकाई तथा उसकी परिसंपत्ति का अधिग्रहण करके स्थापित इकाई भी इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र होगी। रुग्ण इकाई एवं उसकी परिसंपत्ति की कुल अधिग्रहण लागत का 20 प्रतिशत, इस नीति में पारिभाषित पूंजी निवेश के प्रत्येक प्रासंगिक घटक के लिए विचारित किया जाएगा। इस प्रकार, प्राप्त की गई अधिग्रहण लागत के 20 प्रतिशत का योग एवं प्रभावी तिथि के उपरान्त तथा प्रासंगिक पात्र निवेश अवधि के अन्दर किए गए नए अतिरिक्त पूंजी निवेश को, परियोजना की श्रेणी निर्धारित करने के लिए, परियोजना के पूंजी निवेश के रूप में माना जाएगा। यद्यपि, प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु विचारणीय पात्र पूंजी निवेश केवल नीति की प्रभावी तिथि के बाद किया गया नया अतिरिक्त पूंजी निवेश होगा, जो रुग्ण इकाई एवं उसकी परिसंपत्ति की अधिग्रहण लागत के अतिरिक्त होगा।
- 16.9 विलय/विविलयन/आमेलन/कंपनी के संविधान में परिवर्तन (merger/demerger/amalgamation/change in constitution) तथा इस प्रकार के अन्य किसी माध्यम से गठित उत्तराधिकारी इकाइयां, इस नीति के अंतर्गत मूल औद्योगिक इकाई को अनुमन्य प्रोत्साहनों की भांति प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु पात्र होंगी।
- 16.10 नीति के प्रस्तर 4.3 में पारिभाषित निजी औद्योगिक पार्कों हेतु प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन—
- 16.10.1 निजी औद्योगिक पार्कों को प्रोत्साहन की स्वीकृति एवं संवितरण हेतु उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) नोडल संस्था के रूप में कार्य करेगा।
- 16.10.2 इस हेतु आवेदनों के मूल्यांकन के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ), यूपीसीडा के स्तर पर मूल्यांकन समिति का गठन किया जाएगा।
- 16.10.3 अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठितप्राधिकृत समिति द्वारा प्रोत्साहनों की स्वीकृति एवं संवितरण की अनुशंसा मा. औद्योगिक विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन को की जाएगी।
- 16.11 नीति के प्रस्तर 4.4 में पारिभाषित निजी औद्योगिक पार्कों हेतु भूमि के समुच्चयन (Aggregation) का कार्यान्वयन—
- 16.11.1 लाइसेंस प्रदान करने एवं योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के अनुवर्ती अनुश्रवण हेतु उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) नोडल संस्था के रूप में कार्य करेगा।
- 16.11.2 इस हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा के स्तर पर मूल्यांकन समिति का गठन किया जाएगा।
- 16.11.3 अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित प्राधिकृत समिति आवेदनों का अनुमोदन करेगी।

16.12 नीति के प्रस्तर 4.5 में पारिभाषित त्वरित (फास्ट-ट्रैक) भूमि आवंटन योजनाका कार्यान्वयन-

16.12.1 राज्य की निवेश प्रोत्साहन संस्था 'इन्वेस्ट यूपी' नोडल संस्था के रूप में कार्य करेगी, जिसमें एक 'फास्ट-ट्रैक भूमि आवंटन प्रकोष्ठ' गठित किया जाएगा।

16.12.2 मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी के स्तर पर मूल्यांकन समिति का गठन किया जाएगा।

16.12.3 इस प्रकार के आवंटन हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित 'फास्ट-ट्रैक भूमि आवंटन समिति' अंतिम संस्तुति प्रदान करेगी।

16.13 नीति के प्रस्तर-12 में यथा पारिभाषित औद्योगिक उपक्रमों को वित्तीय प्रोत्साहनों की स्वीकृति तथा संवितरण हेतु कार्यान्वयन व्यवस्था-

16.13.1 औद्योगिक उपक्रमों को प्रदान किए जाने वाले वित्तीय प्रोत्साहनों की स्वीकृति एवं संवितरण हेतु निवेश प्रोत्साहन संस्था 'इन्वेस्ट यूपी' नोडल संस्था के रूप में कार्य करेगी।

16.13.2 आवेदनों की Processing तथा सिंगल विंडो संचालन के प्रबंधन में सहायता हेतु इन्वेस्ट यूपी में एक नामित नोडल अधिकारी के नेतृत्व में, आउटसोर्स प्रोफेशनल्स व परामर्शियों के साथ पर्याप्त रूप से स्टाफ से युक्त एक नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU) स्थापित की जाएगी। इन्वेस्ट यूपी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, अभियंताओं, कॉस्ट एकाउंटेंट्स, जीएसटी ऑडिटर्स आदि को भी व्यक्तिगत अथवा फर्म अथवा संस्था के रूप में सूचीबद्ध करेगी।

16.13.3 आवेदनों के मूल्यांकन के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी के स्तर पर 'मूल्यांकन समिति' का गठन किया जाएगा।

16.13.4 अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित 'प्राधिकृत समिति' वृहद् श्रेणी के आवेदनों की स्वीकृति व संवितरण के अनुमोदन हेतु मा. औद्योगिक विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश के समक्ष संस्तुति प्रस्तुत करेगी।

16.13.5 मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित 'उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति', मेगा एवं उच्चतर श्रेणी के आवेदनों की स्वीकृति व संवितरण के अनुमोदन हेतु मा. मंत्रिपरिषद् के समक्ष अनुशंसा प्रस्तुत करेगी। यह समिति, नीति के अंतर्गत किसी प्रकार की स्पष्टता अथवा व्याख्या प्रदान करने तथा नीति के कार्यान्वयन में आने वाली किसी भी समस्या का समाधान करने हेतु अधिकृत होगी।

16.13.6 संबंधित प्राधिकृत समितियां, किसी भी आवेदक द्वारा वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ करने से पूर्व अनुरोध किए गए चरणों की संख्या एवं उनकी अवधि, कट-ऑफ तिथि में परिवर्तन, समान श्रेणी के भीतर पूंजी निवेश में परिवर्तन तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि आदि में नीति के अंतर्गत एवं कालान्तर में निर्गत दिशा-निर्देशों में निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार परिवर्तन को स्वीकृत करने के लिए अधिकृत होंगी।

16.14 उत्कृष्टता केंद्रों (Centres of Excellence) को सहायता-अनुदान की स्वीकृति व संवितरण हेतु कार्यान्वयन व्यवस्था-

16.14.1 इस प्रकार के अनुदानों की स्वीकृति व संवितरण हेतु इन्वेस्ट यूपी, नोडल संस्था के रूप में कार्य करेगा।

16.14.2 इस प्रकार के आवेदनों के मूल्यांकन हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में 'मूल्यांकन समिति' का गठन किया जाएगा।

16.14.3 आवेदनों के अनुमोदन हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित 'उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति' मा. मुख्यमंत्री को अनुशंसा करेगी।

-----x-----



**UTTAR PRADESH INDUSTRIAL
INVESTMENT AND EMPLOYMENT
PROMOTION POLICY 2022**

Government of Uttar Pradesh



Contents

1. Preface	3
2. Context of the policy	4
3. Vision of the Policy and its implementation	8
3.1 Vision	8
3.2 Mission.....	8
3.3 Strategies to achieve the vision	8
4. Infrastructure – Enabling easy access to quality infrastructure	10
4.1 Enabling Land bank creation	10
4.2 Promoting industrial parks and clusters	11
4.3 Promoting Private Industrial Parks	12
4.4 Facilitating land aggregation for Private Industrial Parks	14
4.5 Fast-track land allotment.....	14
4.6 Investment regions, Industrial Corridors and Integrated Manufacturing Clusters – Leveraging Expressways and Dedicated Freight Corridors.....	17
4.7 Road connectivity	17
4.8 Rail connectivity	18
4.9 Air connectivity.....	18
4.10 Waterways.....	18
4.11 Digital connectivity	19
4.12 Availability of Power.....	19
4.13 Water and Drainage	19
5. Ensuring logistics efficiency	20
6. Enabling wider access to finance.....	21
7. Skilled Manpower – Reaping the benefits of demographic dividend	21
8. Sectoral approach – Benefitting from sectors of strength while identifying those that can drive future growth	22
8.1 Focus sectors.....	22
8.2 Sunrise & potential sectors	23
8.3 Champion sectors in Service Industry	24
8.4 Negative List of Industries	25
9. Atmanirbhar UP – Integrating with the Global Value Chain.....	25
9.1 Import substitution	25
9.2 Export promotion	26
9.3 Promotion of R&D, Innovation and IPR.....	26


9.4	Enhancing quality & design	27
9.5	Supporting MSMEs, ODOP & Local Industries.....	27
10.	Ease of doing business - Creating a conducive industrial environment.....	27
10.1	Minimizing Regulatory Compliance Burden.....	28
10.2	Simplification of procedures	28
10.3	Time bound clearances.....	28
10.4	Single Window Clearance.....	29
10.5	Industrial Security	29
10.6	Other enablers.....	29
11.	Marketing 'Brand Uttar Pradesh' - Investment Promotion and FDI attraction	30
12.	Fiscal Incentives	31
12.1	Eligibility and definitions	31
12.2	Stamp Duty Exemption.....	36
12.3	Investment Promotion Subsidy	36
12.4	Case-to-case basis incentives.....	40
12.5	Incentive for R&D projects and Intellectual Property Rights.....	40
12.6	Financial grant to Centres of Excellence	41
12.7	Incentive for infrastructure projects.....	42
12.8	Condition for availing policy incentives.....	42
13.	Creating employment opportunities	42
14.	Ensuring balanced regional growth.....	43
15.	Circular economy and environment protection	43
16.	Policy Implementation.....	45

1. Preface

- 1.1 Uttar Pradesh occupies a significant place in the Indian economy. It contributes to around 8% to the nation's GDP and offers one of the largest consumer markets. It hosts the highest million plus urban agglomerations in India with seven cities having more than one million population and 7-others having over 0.5 million population.
- 1.2 As India surges ahead towards achieving its vision of becoming a US \$5 trillion economy and a global economic powerhouse, Uttar Pradesh plans to contribute by boosting the size of its GSDP to **US \$1 trillion**.
- 1.3 In a rapidly changing global economy, amidst the emergence of new technologies, it is imperative for Uttar Pradesh to support an industrial ecosystem built on a strong and balanced policy, legal and regulatory framework, and internationally connected business environment.
- 1.4 This policy is a vital step in delivering that vision. More than just a set of announcements, it heralds a new approach to how the Government and businesses can work together to shape a stronger, balanced, and sustainable economy for all citizens of the State while contributing to build the envisioned 'Atmanirbhar Bharat'.
- 1.5 At its heart, this policy epitomises the belief of a strategic State that enables private sector investment and intervenes decisively wherever it can make a difference.
- 1.6 It is rooted in the conviction that a successful economy must be built on firm foundations - the skills of its workers; the quality of the infrastructure; and a fair, secure, and predictable business environment.
- 1.7 And it prioritises synergy and partnership between the Government and the private sector.
- 1.8 The policy also realises that expanding the State's intervention in the economy should not be the sole aim. It also has to ensure a responsible & sustainable growth that percolates to the most vulnerable people of the society and occurs in the areas where they live.
- 1.9 The policy sets out how the Government will build on the strengths of the State and extend them into the future while capitalising on the opportunities to ensure that the State achieves its full potential.
- 1.10 A strong collaborative culture will be a key driver of the State's new industrial landscape and will support the industrial growth and transformation across sectors, value chains and supply chains, positioning the State at the global & national forefront as a preferred industrial destination.
- 1.11 This umbrella Policy provides a strategy framework for the State **over the next five years** against which major private and public sector investment decisions can be made with confidence.


2. Context of the policy

- 2.1 Uttar Pradesh has established itself as one of the leading places to invest in the country amongst not only large investors but also MSMEs. In the years ahead, the State is determined to make itself stronger and more outward-looking than ever.
- 2.2 The major interventions and achievements during the previous umbrella industrial policy – Industrial Investment & Employment Promotion Policy 2017, provides a foundation for this new umbrella policy.
- 2.3 Some of the major highlights achieved during the previous policy period are enumerated below.
- 2.4 In the last 5 years, the State has rapidly grown its infrastructure and connectivity network. In addition to being home to one of the highest National Highway networks in the country, Uttar Pradesh has established itself as the **State of Expressways** with thirteen existing & upcoming expressways – six expressways have been completed (1225 kms) while seven are under various stages of development.



- 2.5 In addition to hosting the largest railway network (more than 16,000KM) in the country, the State is home to considerable portion of **Western Dedicated Freight Corridor (WDFC)** and **Eastern Dedicated Freight Corridor (EDFC)**.


- 2.6 The WDFC will provide an easy access to the JNPT port at Mumbai (Western India) and 57% of EDFC passing through UP & connecting the Haldia Port at Kolkata (Eastern India), the State has created a strategic framework to leverage both these freight corridors. The efficient governance mechanism of the State Government and an effective collaboration with



Government of India (GoI) has led to a fast-track implementation of various early bird projects linked to these corridors.

2.7 With both the corridors - EDFC and WDFC intersecting at Dadri (located in Gautam Buddha Nagar district), the State has a unique advantage in the logistics sector. A **Multi-Modal Logistics Hub (MMLH)** and **Multi-Modal Transport Hub (MMTH)** are also being developed in the region will further give a fillip to the sector.

2.8 Nearly 1,100KM of the country's **first inland waterway** is already operational in the State connecting Prayagraj to Haldia port. A Multi Modal Terminal at Varanasi and various floating terminals are operational along the NW-1 at Ghazipur / Rajghat, Ramnagar (Varanasi) and Prayagraj terminals. Also, India's first "**Freight Village**", spread over 100 acres is coming up at Varanasi. Connecting the exporting hubs of Eastern UP to the ports of East India, the village will serve as a trans-shipment hub for inbound and outbound cargo.



2.9 With existing international airports at Lucknow, Varanasi and Kushinagar and new airports are coming up at Jewar and Ayodhya, Uttar Pradesh is set to become the only state in the country with **5 international airports**. In addition, 7 airports have been made operational under Regional Connectivity Scheme (RCS) for domestic connectivity, and another 8 airports are in pipeline.

2.10 Categorized as a "Top Improver" in Logistics Ease Across Different States (LEADS) ranking, the State has made a remarkable improvement of 7 positions from 2019 to achieve 6th rank in the country in 2021.

2.11 Under the landmark initiative of PM Gati Shakti National Master Plan, Uttar Pradesh is one of the front runners in developing a State Master Plan with an objective of bringing the 'whole of Government' in optimal logistics infrastructure planning.

2.12 **Ease of Doing Business** has been another key area of focus for the Government. The State has implemented record 500 reforms spread across more than 25 Departments in multiple areas such as Labour regulation, Inspection regulations, Land allotment, Property registration, Environment clearances, Paying taxes & many others. In addition, the State has also been able to reduce

more 3,500 compliances, repealed more than 900 Acts/ Rules/ Regulation/ Orders and decriminalised 569 compliances under the Minimising Regulatory Compliance Burden initiative of the Government of India. These interventions led the State to achieve the 2nd position in Business Reform Action Plan 2019 ranking of States by Government of India and being categorised as an 'Achiever State' in 2020 rankings.

- 2.13 Through **Nivesh Mitra** which has been ranked as one of the leading Single Window Portals in the country, the Government has been able to successfully provide 353 services of 29 Departments to industries through *Nivesh Mitra* without any human touch point. The portal has also been integrated with the National Single Window Portal.
- 2.14 On the policy front, the State Government has rolled out more than 20 sectoral policies under the umbrella policy of Industrial Investment & Employment Promotion Policy 2017. These policies were able to successfully usher in a policy-based governance and incentivisation mechanism in the State.
- 2.15 The Government has also focused on creating a land bank for industries across the State while earmarking areas for sector specific industries. This includes the Defence Industrial Corridor on 5,000 hectares of land along Agra-Aligarh-Lko-Kanpur-Jhansi-Chitrakut; Integrated Manufacturing Clusters at Agra (1060acres) & Prayagraj (1139acres); Medical Device Park over 350 acres at GB Nagar; Integrated Township (IIT GNL) at Greater Noida; Toy Park (52 acres), Apparel Park (118 acres), Handicraft Park (40acres), Logistics Hub (Tappal-Bajna); Film City; Mega Leather Park Unnao – the country's 1st leather park, spread over 42 acres of land; Mega Food Park at Bareilly (246acres); Agro Park at Varanasi (259acres); Transganga City Unnao(1149acres); Flatted factories at Lucknow, Kanpur, Agra, Ghaziabad, Gorakhpur & Aligarh etc.
- 2.16 The Government is also developing **Integrated Manufacturing Clusters** along the prominent expressways.
- 2.17 The massive success of **UP Investors Summit 2018** was a testimony of the various effective interventions implemented by the State Government. 1,045 investment intents worth Rs. 4.28 Lakh Crores were received during the Summit which saw a participation of 7,000 plus business delegates and high-level representatives of 10 countries.
- 2.18 During the Effective Period of IIEPP2017, the State witnessed around Rs. 3.5 Lakh Crores of investments including those implemented through the landmark initiatives of Ground-Breaking Ceremony 1, 2 and 3 across sectors Sectors viz. Data Centers, Electronics Manufacturing (most mobiles and white goods), Food

Processing, Manufacturing including engineering, Renewable energy, Handloom & textiles, Logistics & warehousing, IT/ ITeS, Tourism etc.

- 2.19 As the State is home to the highest number (approximately, 9 million) of MSMEs in the country, a special attention was given to this sector. The Government's flagship programme, '**One District One Product**', which was replicated at the national level and launched in 2018 has garnered nationwide accolades and has been successful in not only protecting and promoting the local industries but has also spurred a manifold increase in exports from the State.
- 2.20 Various interventions including tie-ups with global e-commerce majors, development of Common Facility Centres, financial assistance, tool kit distribution etc. have been carried out to scale up the ODOP initiative in the State.
- 2.21 In addition, a dedicated investment promotion and facilitation agency for the State – Invest UP was conceptualised and implemented by the State Government during the Effective Period of IIEPP 2017.
- 2.22 The Effective Period of the previous policy also witnessed the global devastation caused by COVID-19. However, the resilience of the State complemented by fast & efficient governance mechanism in the State, enabled its businesses to incur minimal man-day loss. The State was not only globally appreciated for its CoVID-19 management but was also able to attract fresh investments from both India and abroad.
- 2.23 With the above as a brief context, this new umbrella industrial policy of the State sets forth a strategy to leverage the momentum of industrialisation achieved till now while achieving new feats and tackle the economic dynamics at play at the national and international level.
- 2.24 This new Policy recognizes the increasingly dynamic nature of the economy which necessitates the Government to partner with private sector and handhold them while balancing the State's fiscal responsibilities.
- 2.25 Due consideration has been given on the feedback of industries, industrial bodies & other stakeholder on key areas like land availability, handholding of private investors, quick resolution of issues, timely sanction of benefits and incentive structure with options delinked to State Goods & Services Tax (SGST).

3. Vision of the Policy and its implementation

3.1 Vision

To establish Uttar Pradesh as a nationally and internationally competitive investment destination thereby generating employment and igniting sustainable, inclusive and balanced economic growth in the state.

3.2 Mission

3.2.1 To foster and create a progressive, innovative, and competitive industrial ecosystem to enable the State's aim of a becoming a one trillion-dollar economy

3.2.2 To increase capital investments in the state

3.2.3 To provide and maintain quality infrastructure for industries to flourish

3.2.4 To promote ease of doing business to create business friendly environment

3.2.5 To generate maximum direct and indirect employment and self-employment opportunities for both skilled and unskilled workforce


3.2.6 To skill the workforce of the state to ensure employability and empowerment

3.2.7 To promote the spirit of innovation and incentivize entrepreneurship

3.2.8 To ensure balanced, sustainable, and inclusive economic development

3.3 Strategies to achieve the vision

The policy aims to achieve its vision and mission through interventions across five key pillars –



3.3.1 Horizontal pillar includes interventions to ease the access to the key factors of production viz. -

- i. Development of quality infrastructure facilities including land; industrial parks; industrial corridors; Integrated Manufacturing Clusters; Connectivity – road, air, water & digital; Power; and Water & drainage.
- ii. Logistics efficiency
- iii. Access to finance
- iv. Skilled manpower

3.3.2 Vertical pillar includes key interventions across following sector categories -

- i. **Focus sectors** – Sectors which are the key drivers of economic growth and development in the state and which have dedicated incentivisation mechanism under any existing sector specific GoUP policy
- ii. **Sunrise & potential sectors** – Changing market dynamics, disruptive technologies and evolving geo-economic scenarios are bringing to the fore new Sectors that can become the drivers of future growth in the State for which there is no dedicated incentivisation mechanism under any sector specific GoUP policies. Such sectors would be termed as Sunrise sectors.
- iii. **Champion sectors in service** – The 12 service sectors identified by the Government of India under the 'Action Plan for Champion Sectors in Services'

3.3.3 Global Value Chain integration pillar entail following interventions -

- i. Import substitution
- ii. Export Promotion
- iii. Promotion of Research & Development (R&D), innovation and Intellectual Property Rights (IPR)
- iv. Enhancing quality and design
- v. Supporting MSMEs, ODOP and local industries

3.3.4 Investment attractiveness pillar includes -

- i. Enhancing Ease of Doing Business
- ii. Marketing of 'Brand Uttar Pradesh',
- iii. Providing fiscal incentives

3.3.5 Sustainability pillar includes –

- i. Creating employment opportunities
- ii. Ensuring balanced regional growth
- iii. Circular economy and environment protection

Strategy 1: Horizontal Pillars of intervention

4. Infrastructure – Enabling easy access to quality infrastructure

Availability of an enabling and resilient infrastructure is the sine qua non of industrial growth. It not only reduces operation costs of doing business, but also rebalances the economy while leading to higher growth and living standards.

However, such infrastructure facilities which are aligned to the growth objectives of the state and can prove to be transformative in the long run, often cannot be provided by the private sector. The GoUP is committed to create and make available such facilities.

The Government also realises the importance of private investments in achieving this objective. Hence it will strive to create a regulatory environment which can unlock private investment in new & existing infrastructure of the state and support long term growth. The Government through this policy intends to align the planning of infrastructure more effectively with regional growth requirements.

As a key pillar of its industrial growth strategy, the GoUP will focus on the following economic infrastructures –

4.1 Enabling Land bank creation

- 4.1.1 Creating a land bank for industrial use by promoting pooling of non-agricultural, *banzar* (barren) and uncultivable land available after meeting the requirement of the village.
- 4.1.2 The government will facilitate the establishment of private industries/ industrial projects in the State by providing non-agricultural, *banzar* (barren) and other such eligible category Gram Samaj land by resumption of such land and providing the same on lease to such establishments for a period of 30 years on payment of District Magistrate notified Circle Rate. On fulfilment of all lease conditions by the lessee, the lease period can be renewed after 30 years for a period of 30-30 years on the request of the lessee. Such land will be provided by the Revenue Department on recommendation of a High-Power Committee chaired by Chief Secretary.

- 4.1.3 Simplifying land use management for industries by amending provisions of Revenue Code viz. converting agricultural land into non-agricultural land, change of land use, exchange of Gram Samaj land with private land, Permission for sale of SC/ST land for establishing industries.
- 4.1.4 Unlocking of land bank owned by government/ state public sector sick units
- 4.1.5 Develop web enabled platform for private parties (including farmers) for lease or sale of encumbrance free land for industrial purpose. The Government will verify the land titles/ records of such land parcels.
- 4.1.6 Vesting of Gram Samaj land/ Government land located within the Industrial Development Authority areas without any charges in the concerned Industrial Development Authority.
- 4.1.7 Vesting of Gram Samaj/ Government land located anywhere in the State to Industrial Development Authorities without any charges as may be required from time to time.
- 4.1.8 The land bank of various Industrial Development Authorities in the State is already integrated with the GIS enabled portal of GoI - India Industrial Land Bank. The Govt will strive to ensure live updation of the data on the GIS portals of the state as well as GoI.
- 4.1.9 The Land Pooling Policy 2020 will be further strengthened to enable creation of land bank.
- 4.1.10 Provision for land allotment applications through Nivesh Mitra - the Single Window Portal of the State will be done.
- 4.2 Promoting industrial parks and clusters
 - 4.2.1 Developing land bank and Integrated Manufacturing Clusters along expressways & freight corridors in the State.
 - 4.2.2 Upgradation of existing infrastructure facilities in industrial parks through various means including Atal Industrial Infrastructure Mission
 - 4.2.3 Developing sector specific parks & clusters viz. Medical Device Park, Textile Parks, Toy Park, Food processing parks, IT Parks etc. through various models including PPP. The Government will also strive to synergise its efforts with various GoI schemes for development of such parks.
 - 4.2.4 Creation of plug and play facilities in the form of flatted factories. Towards this, the Govt will strive to avail benefits under schemes notified by GoI

4.2.5 Strengthening cluster development framework through development of Industrial Corridors, horizontal enablers like training institutes, financial services, centre for excellence, CFCs etc.

4.3 Promoting Private Industrial Parks

4.3.1 The Government will provide following incentives to developers of Private Industrial Parks of 20 acres or more in Bundelkhand & Poorvanchal and 30 acres or more in Madhyanchal and Paschimanchal—

- i. Capital subsidy of 25% of eligible fixed capital investment (except land cost and cost of building Hostel/Dormitory Housing) maximum up to ₹40 Crores in Madhyanchal and Paschimanchal and ₹45 Crores in Bundelkhand or Poorvanchal.
- ii. Capital subsidy @ 25% of the cost of building Hostel/Dormitory Housing (except land cost) for workers in the Industrial Park maximum up to ₹25 Crores.
- iii. 100% exemption on stamp duty on the purchase of land by the developer.
- iv. The stamp duty exemption will be provided on submission of bank guarantee of equivalent amount which will be released on completion of development of the park by the developer.

4.3.2 For Private Industrial Parks of more than 100 acres developed anywhere in the State, the Government will extend the following incentives –

- i. Capital subsidy of 25% of eligible fixed capital investment (except land cost and cost of building Hostel/Dormitory Housing) maximum up to ₹80 Crores.
- ii. Capital subsidy @ 25% of the cost of building Hostel/Dormitory Housing (except land cost) for workers in the Industrial Park maximum up to ₹50 Crores.
- iii. 100% exemption on stamp duty on the purchase of land by the developer
- iv. The stamp duty exemption will be provided on submission of bank guarantee of equivalent amount which will be released on completion of development of the park by the developer.

4.3.3 The Private Industrial Parks should have minimum of 5 units with no single unit occupying more than 80% of the total allocable area for industrial use.

4.3.4 The disbursement of incentives will be done as follows –

- i. 75% of the capital subsidy under the head of fixed capital investment (refer clause 4.3.1 (i) and 4.3.2(i)) will be reimbursed in 4 instalments after incurring expenditure of 25%, 50%, 75% and 100% of the total cost under this head. The next 10% will be provided on 100% completion of allotment of saleable land for setting up of industrial units in the park as per the approved plan. Rest 15% incentive will be released after 80% of the units in the park start their commercial operations.
 - ii. Capital subsidy under the head of cost of hostel/ dormitory (refer clause 4.3.1 (ii) and 4.3.2(ii)) will be reimbursed in 4 instalments after incurring expenditure of 25%, 50%, 75% and 100% of the total cost under this head. Also, the developer will have the option to sell off/ lease out this infrastructure with the condition that this infrastructure shall only be used by the workers/ employees of the industrial units set up in the said park. Detailed guidelines for the same will be further notified.
- 4.3.5 If the Govt sees it fit, it may reduce rates of land use conversion for development of private industrial parks.
- 4.3.6 A Global FAR of 2 will be allowed of which -
 - i. Up to maximum of 30% will be allowed for Hostel/ Dormitories (not to be sold)
 - ii. 2.5% for Commercial spaces (Additional 2.5% in case the private developer forms a SPV with farmers/ Bhumidhars contributing more than 50% land for the park)
- 4.3.7 Minimum of 25% of total land area should be kept for open area, green area and common infrastructure
- 4.3.8 Consortium of developers will be allowed
- 4.3.9 The Parks as provided under Para 4.3.1 (20-30 acres or more) should be completed in 5 years, while Parks provided under Para 4.3.2 (100 acres or more) should be completed in 6 years.
- 4.3.10 Power purchase through open access and provision for power distribution licence will be allowed
- 4.3.11 UPSIDA will be the map approving authority and the byelaws of UPSIDA will be applicable, for the same, on such private industrial parks proposed in areas outside Industrial Development Authority/ Development Authority/ Urban Local Bodies/ other notified areas.

4.3.12 The GoUP will facilitate development of external infrastructure viz. Public Works Department (PWD) will facilitate development of roads, Energy Department will facilitate in providing power utilities etc.

4.3.13 A detailed guideline for implementation of this Promotion of Private Industrial Park Scheme will be released.

4.4 Facilitating land aggregation for Private Industrial Parks

4.4.1 Government will facilitate private players in land acquisition outside the notified areas of Industrial Development Authorities, Housing Development Authorities, Urban Local Bodies or other notified areas for development of Private Industrial Parks of more than 100 acres and having minimum of 5 units with no single unit occupying more than 80% of the total allocable area for industrial use.

4.4.2 Towards this, a License will be provided on acquisition (with registered sale deed) of 25% of total proposed land area. In the licensed area, the developer will have exclusive rights of development/ construction and towards this, map approval of the license holder will only be accepted in this area. Map of any other applicant in such licensed areas will not be approved and unauthorised development/ construction in such areas will also be controlled.

4.4.3 A Detailed Project Report (DPR) needs to be submitted for the proposed Private Industrial Park within 18 months from the date of issuance of licence. 60% of the total land acquisition (including land with Land Pooling Agreement) must be completed by then.

4.4.4 Map approval will be done by UPSIDA as per its byelaws. Map approval will have to be done within 2 years from the date of issue of license. 75% land acquisition (including land with Land Pooling Agreement) must be completed by then.

4.4.5 After, at least 80% of the total proposed land is aggregated by the Private Industrial Park developer, if any issue is faced in acquisition of remaining land, UPSIDA will acquire the remaining land on submission of Bank Guarantee of equivalent amount. Subsequently UPSIDA will provide the remaining land on lease to the Developer.

4.4.6 A detailed guideline for implementation of this Licensing Scheme for Private Industrial Park will be released.

4.5 Fast-track land allotment

4.5.1 Preferential land allotment on fast-track basis will be done for following category of investors –

- i. Projects meeting the condition of Super Mega and above category as per their DPR and as defined in this policy.
 - ii. Following projects meeting the condition of Mega and above category as per their DPR and as defined in this policy
 - a. Projects with 100% Foreign Direct Investment
 - b. Companies and their Holding/ subsidiary companies featuring in the Fortune Global-500 in the last 3 consecutive years
 - c. Companies and their Holding/ subsidiary companies featuring in the Economic Times-200 in the last 3 consecutive years
 - d. Companies and their Holding/ subsidiary companies featuring in the Forbes Global-2000/ Asia best – 200 companies in the last 3 consecutive years
 - iii. Large or above category projects which are industrial PSUs of any State Government and Central Government with majority Government holding
- 4.5.2 Invest UP, upon receipt of the online application along with an application fee for such fast-track land allotment, will scrutinise the application based on the DPR and other parameters set forth for the same.
- 4.5.3 A Fast-Track Land Allotment Committee under the Chairmanship of Infrastructure and Industrial Development Commissioner will provide its final approval for such allotment based on the scrutiny done by Invest UP.
- 4.5.4 Land within Industrial Development Authority/ Development Authority
- i. Post approval of the Fast-Track Land Allotment Committee, in industrial areas where direct land allotment is allowed, the concerned Industrial Development Authority will directly allot the plot in favour of investor as per their standard procedure and applicable rules. In case of more than one applicant, the concerned Authority will allot the land to the applicant with the highest Capital Investment.
 - ii. In industrial areas where land is allotted through auction, the allotment of such land by the concerned Industrial Development Authority will be done directly to the applicant without any auction as per their standard procedure and applicable rules. But in all such cases the price of land will be Base rate of the Plot + additional 15% of the base rate. In case of multiple fast track applicants for the same plot, the project with higher Capital Investment will be allotted the said land by Industrial

Development Authority as per their standard procedure and applicable rules.

- iii. In case if any Development Authority has developed industrial areas and industrial plots are available, then these provisions (refer clause 4.5.4 and 4.5.5) will also apply to such industrial areas.

4.5.5 Requirement of land outside Industrial Development Authority/ Development Authority/ Urban Local Bodies/ other notified areas where purchase/ acquisition is required to be done for setting up of industrial park/ unit

- i. In case, any industrial unit, which is eligible for fast track allotment of land as above, requires land outside any Industrial Development Authority/ Development Authority/ Urban Local Body/ other notified areas, the Nodal Agency designated by the Government, will arrange to acquire at least 1.25 times of the land required by such eligible unit so that a minimum of 4 more industrial units can be set up in the additional land so acquired and an industrial area/ park be developed. Such eligible unit can be allocated up to a maximum of 80% of the saleable area.
- ii. While submitting a proposal for fast track allotment of land under this provision, an eligible unit can also submit a proposal upfront for allotment of land for setting up of additional industrial units in the additional land so acquired, and in such case, all such additional industrial units will also be treated as eligible for fast-track allotment irrespective of the level of investment in them.
- iii. In case where such eligible unit submits a proposal for allotment of land for additional units less than 4, then the Nodal Agency will allot the balance land for setting up industrial units as per its own rules/ procedure.
- iv. The allotment cost shall be determined after including the purchase/ land acquisition cost, internal and external development cost as per actuals, and administrative charges as may be specified from time to time. Detailed guidelines in this regard shall be issued separately.
- v. The Government may decide to take the entire acquisition cost/ allotment price upfront, or part upfront and part in the form of Bank Guarantee or any other mechanism to ensure that the entire cost is secured in favour of the agency. Any escalation in the cost

of acquisition as a result of intervention of the courts will have to be borne by such eligible unit/ units.

4.6 Investment regions, Industrial Corridors and Integrated Manufacturing Clusters – Leveraging Expressways and Dedicated Freight Corridors

4.6.1 Industrial Investment Regions and Integrated Manufacturing Clusters with speedy access to key markets, adequate supply of water and electricity, excellent waste management system and recycling facilities etc. provide investors and manufacturers the perfect breeding ground.

4.6.2 The GoUP intends to create such regions & clusters with the most advanced infrastructure and outstanding facilities tailored to suit the requirements of modern industries along major expressways and freight corridors of the State.

4.6.3 The Government is committed to extend all necessary support to the Government of India for successful and timely development of EDFC and WDFC. The state will create a framework to capture value out these dedicated freight corridors and ensure timely completion of projects around these corridors thereby unleashing further economic activities and job growth.

4.6.4 Considerable portion of the catchment areas of Delhi Mumbai Industrial Corridor and Amritsar Kolkata Industrial Corridor lies in the State. The GoUP will strive to leverage these industrial corridors and develop new ones along the state-of-the-art expressways of the State.

4.6.5 The Integrated Manufacturing Cluster at Agra and Prayagraj, strategically positioned close to WDFC, will be developed on a fast-track mode with an aim to provide seamless connectivity and world class facility to the Industrial units.

4.6.6 As of January 2022, there are 24 approved SEZs in Uttar Pradesh out of which 21 has been notified under the SEZ Act 2005 and 14 of them are operational. The GoUP will align its policy framework to align with the proposed Development of Enterprise and Service Hubs (DESH) replacing the SEZ Act, as declared in the FY23 Union Budget.

4.7 Road connectivity

4.7.1 The State is already home to 37.5% of India's expressways.

4.7.2 With six expressways already completed (1225 kms), the GoUP intends to create a maze of expressways in the State by creating seven more expressways thereby enabling market integration and logistics efficiency in the State.

- 4.7.3 The GoUP will work towards further developing quality 4-lane and 6-lane highways across the entire state.
 - 4.7.4 Barriers to cargo movement such as no-entry zones, congestions & choke points etc. will be regularly identified and an action plan to mitigate those barriers will be prepared & implemented.
 - 4.7.5 Network optimisation of roads by Public Works Department to connect major agricultural aggregation points, economic growth centres, export and industrial hubs with the expressways, NHs and freight corridors will be done.
 - 4.7.6 The government also intends to introduce advanced traffic management through the latest technologies.
- 4.8 Rail connectivity
- 4.8.1 To improve rail connectivity in the state, the GoUP will request the Government of India to increase the reach & density of railway network in the state.
 - 4.8.2 GoUP will strive to increase the frequency of trains in the state to meet the traffic needs of the state.
 - 4.8.3 To ensure smooth last and first mile connectivity, dedicated road network connecting the railway stations of the DFCs will be ensured. Any congestion/ bottlenecks in such roads will be continuously monitored and addressed.
- 4.9 Air connectivity
- 4.9.1 For further improving the air connectivity in the state, GoUP intends to develop new airports to connect all the regions of the state with the rest of the country. Private sector participation will be encouraged for the same.
 - 4.9.2 Growth in aviation sector necessitates the development of adequate Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) facilities for aircraft. There exists potential for development of MRO hub near proposed Jewar airport in Gautam Buddh Nagar. The State Government has already launched a dedicated policy promoting setting up of MRO facilities in the State near airports or at new locations
- 4.10 Waterways
- The GoUP also intends to take all necessary action for developing terminals, connecting infrastructure and identifying key stakeholders around the NW-1 connecting Prayagraj, Varanasi and Haldia Sea Port at Kolkata. This will enable the

state to derive benefit out of the reliable and cheaper movement of freight through Ganga Waterways.

4.11 Digital connectivity

Digital Connectivity will be one of the prime areas of focus of the GoUP. In line with the Digital India Program of Government of India, the policy intends to transform India into digital empowered society and knowledge economy. Towards this, the GoUP intends to provide necessary administrative assistance to agencies related to the development of broadband highways and other infrastructure ensuring universal access to mobile connectivity.

4.12 Availability of Power

Availability of quality uninterrupted power is one of the most crucial factors of production for industries. The State Government is committed to strengthen the power sector by ushering in reforms and eliminating the demand supply deficit.

Towards this, the policy envisages the following action plan -

- 4.12.1 To meet the growing demand in the state, Government would encourage private participation in energy generation, transmission, distribution and capacity augmentation.
- 4.12.2 Measures will be taken to reduce AT&C losses by administrative measures, curbing theft & pilferage of electricity and setting up police stations.
- 4.12.3 Identify and provide industrial clusters having minimum specified load with independent feeders and exempt these from power cuts.
- 4.12.4 The procedure for enhancement, reduction and surrender of power load will be simplified.
- 4.12.5 Ensure that dedicated feeders constructed by industries at their own cost are, in no case, tapped for other purposes other than industrial load.
- 4.12.6 The industrial parks/ units will be eligible for benefit of open access policy of the Government for purchase of power.
- 4.12.7 Grievance redressal mechanism pertaining to electricity connection will be strengthened.

4.13 Water and Drainage

- 4.13.1 To ensure supply of water according to the demand of industries and to strengthen the drainage system for water and waste, Atal Industrial Infrastructure Mission and other schemes will be utilised to strengthen the facilities in the existing industrial areas of the State.

- 4.13.2 Efforts will be made to ensure water is made available to the industries on priority basis.
- 4.13.3 Recycling of used water by industries and laying of separate pipeline for industrial water use will be accorded due importance as per ground-water policy.
- 4.13.4 The government will encourage rainwater harvesting.
- 4.13.5 The policy also intends to provide necessary water connection and drainage facilities in the industrial areas/ estates of all industrial development authorities.

5. Ensuring logistics efficiency

The State Government realizes the importance of improving logistical ease and efficiency for its businesses. Logistical infrastructure is crucial for the delivery of products and services as and when they are needed and desired thereby serving as a major enabler of growth of industrialisation, trade, and commerce in an economy.

Through this policy, the Government intends to:

- 5.1 Leverage and promote wide scale adoption of UP PM Gati Shakti National Master Plan portal by all departments of the State to bring the 'whole of Government' for integrated planning and synchronised implementation of the logistics infrastructure projects
- 5.2 Ensure a vibrant ecosystem for private sector investments in Warehousing & Logistics sector through the dedicated Warehousing & Logistics Policy.
- 5.3 Ensure effective implementation of the Integrated State Logistics Plan and City Logistics Plan of key cities in the State.
- 5.4 Create a framework to capture value out of EDFC and WDFC and ensure timely completion of projects around these corridors to unleash economic growth.
- 5.5 Promote multi-modal logistics & transport hubs at strategic locations of the state and across the vicinity of WDFC and EDFC.
- 5.6 Promote dry ports; and connectivity between multi-modal transport networks and the economic nodes/ industrial clusters as well as between logistics infrastructure of domestic industry with that of EXIM related infrastructure to further enhance exports.
- 5.7 Create a connectivity web of air, water, road and rail network that will help the state's industries and manufacturing units switch seamlessly between different modes of transport

6. Enabling wider access to finance

Access to finance is an important factor for rapid industrial growth in the State. The Government of India has recently taken a number of measures to address credit related issues specifically for industrial sector.

To strengthen access to finance in the State, following actions are envisaged –

- 6.1 Attractive fiscal incentives for investments in the State across multiple sectors as mentioned in this policy.
- 6.2 Development of FinTech City in the state and leveraging it to enable greater access to funds
- 6.3 Explore the possibility of creating an Infrastructure Development Fund while leveraging funds of multi-lateral banks and International Financial Institutions (IFIs) for development of industrial infrastructure
- 6.4 Streamlining the Rs.1,000 Cr fund of funds for start-ups launched under the Start-up policy of the State
- 6.5 Facilitate a conducive environment to attract venture capital and angel investments

7. Skilled Manpower – Reaping the benefits of demographic dividend

Accelerated economic growth requires skilled and trained manpower. Around one-fifth of India's population resides in Uttar Pradesh of which 60% are in the working age group. The Government intends to reap the benefit of this huge demographic dividend for the industrial growth of the state by aligning the skills of this age group as per current and future industry needs.

This policy aims to create provisions for ensuring sector-specific high-quality manpower towards which the following action plan is envisaged –

- 7.1 GoUP will periodically map Industry specific skill gaps, emerging sector roles and consumer market trends & requirements and introduce industry-responsive short term, long term & modular courses in existing ITIs, Polytechnic and Engineering colleges as well as feed it back to training providers with active user-industry participation and involvement in formulating the course material and training.
- 7.2 The State will work to enhance sector-specific skilled manpower base and promote employers willing to recruit manpower from Uttar Pradesh. A strategy will be formulated to attract such industries and industrial establishments to join hands with skill development training programmes of the state.

- 7.3 Skill Development Centres will be established in major industrial areas/ clusters/ parks with special focus on harnessing the social capital in rural areas.
- 7.4 Special attention will also be given to skill development of SC/ ST/ Backward class and Women entrepreneurs
- 7.5 Special efforts will be put by Skill Development Department to train youth enabling employment in industrial units as apprentice under the Apprentices Act.
- 7.6 Facilitate partnerships between EdTech players and Higher Education institutions to train college students at subsidized rates, on new-age skills
- 7.7 Establish mega multi/sector focused skill parks / hubs to enhance supply of skilled workforce
- 7.8 Encourage training programs where colleges are paired with prominent industries in the region
- 7.9 Strive to provide pool of skilled and un-skilled manpower to industries. If such manpower is not available, GoUP will develop necessary courses, skill the workforce and make available such pool
- 7.10 The State is implementing 'One Family, One ID' system through which employment status of all citizens in the State shall be mapped.
- 7.11 Strengthen portals like Sewayojan, Sewa Mitra, e Shram etc. to provide match making services to industries seeking workforce. And provide access to employment exchange through the single window portal

Strategy 2: Vertical Pillars of intervention

8. Sectoral approach – Benefitting from sectors of strength while identifying those that can drive future growth

8.1 Focus sectors

The State recognises that in certain sectors the State has a competitive advantage because of its location, resources, skill- base, available raw materials, existing manufacturing practices and expertise. Such sectors are the drivers of economic growth and development in the state.

Hence, the State aims to develop a dedicated policy framework suited to the needs of that sector and modify existing policies suitably, if required.

Such sector shall include –

8.1.1 Agro & Food Processing

8.1.2 Handloom & Textiles

- 8.1.3 Tourism
- 8.1.4 MSME
- 8.1.5 Electronics Manufacturing
- 8.1.6 Data Centre
- 8.1.7 Defence & Aerospace
- 8.1.8 Warehousing & logistics
- 8.1.9 Dairy and Poultry
- 8.1.10 IT/ ITeS
- 8.1.11 Start-up
- 8.1.12 Electric Vehicle
- 8.1.13 Film
- 8.1.14 Renewable Energy (Solar)
- 8.1.15 Pharmaceuticals
- 8.1.16 Civil Aviation
- 8.1.17 Biofuel
- 8.1.18 Semiconductor
- 8.1.19 Animation, Visual effects, Gaming and Comics (AVGC)
- 8.1.20 Private sector hospital
- 8.1.21 Private universities/ colleges including medical & paramedical colleges
- 8.1.22 Mega multisector focused skill parks/ hubs

Such sectors may be revised by GoUP from time to time based on market dynamics and industry demand.

8.2 Sunrise & potential sectors

Changing market dynamics, disruptive technologies and various other factors are bringing to the fore new Sectors that can become drivers of future growth in the State. Some of these sectors that have a high potential for growth, diversification and investment. Such sectors shall include –

- 8.2.1 Green hydrogen production

- 8.2.2 Capital goods including heavy electrical and power equipment, earthmoving and mining machinery, and process plant equipment
- 8.2.3 Chemicals including Bulk chemicals, Specialty chemicals, Agrochemicals, Polymers Petrochemicals and Fertilizers
- 8.2.4 Aircraft and allied components manufacturing
- 8.2.5 Infrastructure projects including development of airports, Pumped Storage Plants and others not covered under any GoUP sectoral Policy as notified from time to time
- 8.2.6 Automobile and automotive
- 8.2.7 Projects related to Circular Economy (As described in Chapter 15 of this Policy)

Such Sunrise Sectors & Potential sectors will also be covered under this policy. These sectors may be revised by GoUP from time to time based on market dynamics and industry demand.

8.3 Champion sectors in Service Industry

Government of India under its 'Action Plan for Champion Sectors in Services' has approved to give focused attention to 12 identified Champion Services Sectors.

The Government of Uttar Pradesh already has notified dedicated policies for few of these sectors like IT/ ITeS, Tourism etc.

However, the State will also lay a focused attention to promote these sectors in alignment with GoI guidelines in the State.

These sectors would include -

- 8.3.1 Information Technology & Information Technology enabled Services,
- 8.3.2 Tourism & Hospitality Services,
- 8.3.3 Medical Value Travel,
- 8.3.4 Transport & Logistics Services,
- 8.3.5 Accounting and Finance Services,
- 8.3.6 Audio Visual Services,
- 8.3.7 Legal Services,
- 8.3.8 Communication Services,
- 8.3.9 Construction and Related Engineering Services,

8.3.10 Environmental Services,

8.3.11 Financial Services

8.3.12 Education Services.

8.4 Negative List of Industries

A negative list of sectors will be notified by the Government which will not be eligible to avail incentives under this policy.

Strategy 3: Global Value Chain integration

9. Atmanirbhar UP – Integrating with the Global Value Chain

Uttar Pradesh is fast emerging as one of the most sought-after manufacturing destinations in the country and in turn contributing to the 'Atmanirbhar Bharat' initiative. With a focus on further moving up the value chain and become better integrated with global supply chains, the policy envisages the following action plan to achieve the vision of 'Atmanirbhar UP'-

9.1 Import substitution

- 9.1.1 Top-up incentives will be provided for Government of India's Production Linked Incentives (PLI) Scheme beneficiaries to attract such investments in the State, which has been elaborated later.
- 9.1.2 Attract anchor private enterprises involved in high value-added manufacturing together, by forming 'clusters' allied with incentives, R&D grants and a scalable MSME ecosystem
- 9.1.3 Undertake district level diagnosis of imported products and focus on promotion for local manufacturing of such/ substitute products
- 9.1.4 Promotion of Industry 4.0 Centres of Excellence (CoE) with linkages to academic institutions to create competence labs, incubation centres and R&D ecosystems;
- 9.1.5 Encouraging enhanced collaboration between education institutions, Government, regulators and industry for technology and knowledge absorption
- 9.1.6 Promote global academic partnerships with academic institutions in the State, entrepreneurs, and local businesses
- 9.1.7 Facilitate market access for application of advanced technologies

9.2 Export promotion

- 9.2.1 Create facilitating infrastructures across the state like multi-modal logistic hubs, specialised industrial zones etc.
- 9.2.2 The GoUP will promote export-oriented units through a dedicated policy providing various support like marketing assistances, subsidy on export cargo sent by air and subsidy on freight charges on gateway port.
- 9.2.3 GoUP will ensure optimal coverage under Government of India schemes to encourage export- oriented infrastructure and related activities in the state.
- 9.2.4 Facilitate exporters with easy access to markets and information related to regulatory requirement of such markets.
- 9.2.5 To increase synergies among multiple export promotion bodies – Export Promotion Bureau will be the single body for the coordination as well as resolving issues faced by exporters
- 9.2.6 Special focus on promoting exports of products identified under the One District One Product (ODOP) initiative
- 9.2.7 District level action plan for export promotion will be formulated
- 9.2.8 Focus will be laid on logistics effectiveness to develop a logistics system that provides options for lowering costs

9.3 Promotion of R&D, Innovation and IPR

- 9.3.1 Promote an innovation ecosystem in the State and towards this strive to rank amongst the Top 3 States in the India Innovation Index ranking.
- 9.3.2 Promote industrial research by incentivising both inhouse and standalone R&D labs/ assets.
- 9.3.3 Promote setting up of Centres of Excellence (CoEs) across various sectors through this policy as well as various other sector specific policies of the State. Grant-in-aid to be provided in areas GoUP may decide from time to time.
- 9.3.4 Promote Start-ups in all districts of the State by creating a suitable ecosystem for such start-ups.
- 9.3.5 Establish New Incubators and Accelerators across the state under a dedicated Start up Policy of the State.
- 9.3.6 Stepping up IPR awareness to next level by going beyond Tier 1 and Tier 2 cities and reaching remote, rural areas at grassroots level to instil the

importance of Intellectual Property in the business practices of local innovators

- 9.3.7 Promoting IP commercialization in MSMEs, Industry and academia through a dialogue among them to take up IP commercialization activities.
- 9.4 Enhancing quality & design
 - 9.4.1 Quality certification done by MSMEs in the State will be promoted
 - 9.4.2 Promote setting up of testing labs, quality certification labs and tool rooms
 - 9.4.3 Create a collaboration framework with various agencies like QCI, BIS etc. for quality enhancement of ODOP products and MSMEs in general.
 - 9.4.4 Create a collaboration and strategic alliance framework with various design agencies
- 9.5 Supporting MSMEs, ODOP & Local Industries
 - 9.5.1 Improving Market access for ODOP products and MSMEs through digital business match making platform
 - 9.5.2 Align the ODOP program with the 'One Station-One Product' concept to help local businesses & supply chains.
 - 9.5.3 A robust, self-sustaining machinery to create brand value for ODOP and UP-made products and encourage manufacturers to localize their manufacturing process in conformity. In the long-run, it will be a key identifier for quality UP-made goods in markets across the world, further cementing UP's position in global markets.
 - 9.5.4 Promoting asset-lite enterprises and shared economy model
 - 9.5.5 Promote adoption of new technology
 - 9.5.6 Strengthening enforcement of public procurement regulations
 - 9.5.7 Ensuring timely payment to suppliers as per the regulations set forth by the Government

Strategy 4: Investment attractiveness

10. Ease of doing business - Creating a conducive industrial environment

The State has been able to deliver exceptional ease of doing business environment for industries in the country and has been ranked as an Achiever State in the Business

Reform Action Plan ranking carried out by the Government of India. This policy further aims to bolster the conducive business friendly environment in the State by ensuring simplification of procedures, leveraging digital systems to promote a timely and transparent working and timely clearances benchmarked with the best and responsive facilitation services.

Towards this, following action plan is envisaged -

10.1 Minimizing Regulatory Compliance Burden

10.1.1 Regulatory Compliance Burden will be minimised through three broad strategies -

- i. Government Process Re-engineering, Digitalization, Rationalization.
- ii. Decriminalization.
- iii. Fast tracking of repeal or amendment of provisions of redundant Acts/ Rules

10.1.2 Departments shall identify and minimize/ simplify/ Decriminalize identified compliances.

10.2 Simplification of procedures

10.2.1 To enable ease of doing business in the State, GoUP has introduced provision of self-certification for five low-risk approvals.

10.2.2 To simplify the process of continuing the business within the State, a feature of Auto-renewal has been introduced for more than 17 renewals. In addition, more than 7 license renewals have been abolished as part of Ease of Doing Business programme in Uttar Pradesh

10.2.3 Further, GoUP will regularly review its acts, rules, application forms and procedures related to industrial services/ clearances/ approvals/ permissions/ licenses and wherever possible -

- i. Rationalise or abolish or amend as per existing regulatory regime.
- ii. Introduce provisions related to self-certification, deemed approval and third-party certification.

10.3 Time bound clearances

10.3.1 The State has identified more than 100 Government services and has notified them under U.P. Janhit Guarantee Act 2011 which imposes statutory time limit for disposal.

10.3.2 Further the GoUP will regularly review all its existing acts, rules and procedures related to industrial services/ clearances/ approvals/ permissions/ licenses and wherever possible -

- i. Rationalise the timelines
- ii. Delegate necessary powers to district level officers while ensuring disposal.
- iii. Timely delivery of each service will be ensured through U.P. Janhit Guarantee Act 2011.

10.4 Single Window Clearance

10.4.1 Single Window Portal (SWP) of Uttar Pradesh - Nivesh Mitra is currently one of the largest single window portals among SWPs of States/UTs (offering more than 353 services of 29 departments). As of September 2022, more than 8 lakh applications has been received through the portal of which around 97% has been processed.

10.4.2 Further as the GoUP provide massive number of online services to businesses in State, services shall be categorized based on

- i. Sectoral needs
- ii. Pre-establishment and post-establishment requirements.

10.4.3 Additional Services to enable the applicant to navigate to relevant services required for his/ her business will be provided

10.4.4 State will identify new services which are required for Establishing or Running of any Business in the State in consultation of various industrial stakeholders/houses; industrial associations; departments; etc. Such services shall be made online by the concerned department and integrated with Nivesh Mitra Portal to provide one-stop-solution for businesses.

10.5 Industrial Security

10.5.1 The GoUP intends to provide a safe and secure industrial environment in the state.

10.5.2 Towards this, dedicated police station will be developed at industrial clusters/ areas in regions like Noida, Kanpur, Gorakhpur, Bundelkhand, Poorvanchal.

10.5.3 Integrated police cum fire station will also be established in major industrial clusters/ areas.

10.6 Other enablers

10.6.1 To ensure that the various ease of doing business reforms implemented in the State are effectively delivered at the district level as well as budding entrepreneurs, applicants, departments and citizens are sensitised on the same, rigorous workshops and training at District level would be organised.

Such district level knowledge of reforms will also benefit the State in achieving higher rank in Business Reform Action Plan ranking of states.

10.6.2 Udyog Bandhu meetings to resolve investor issues will be regularly organised. A digital portal to capture issues raised at the District level Udyog Bandhu meetings and sending them to relevant Departments within GoUP will be developed.

10.6.3 Specialised soft skill trainings will be introduced to promote client-oriented mind set in all departments providing service to industries.

10.6.4 Uttar Pradesh is conducting a monthly District Level Ease of Doing Business ranking since May 2020 to rank all 75 districts based on 3 key parameters i.e. disposal of NOC applications; User feedback & Grievances redressal. The monthly ranking of districts is being calculated through Nivesh Mitra and later the same is being shared with every District Magistrates informing about their district's monthly performance. This initiative will be further strengthened as it will promote a healthy competition amongst the districts of the state to provide a better doing business environment.

10.6.5 State has notified the establishment of 17 commercial courts in major districts to address commercial cases under as part of Contract Enforcement. This will be further strengthened, and the entire Court Management System will be brought online.

10.6.6 The State rules for all the four Labour Codes of Government of India has already been notified. These will be effectively implemented once Government of India notifies them and the codes come into force.

11. Marketing 'Brand Uttar Pradesh' - Investment Promotion and FDI attraction

To achieve the true potential of the 'Brand Uttar Pradesh' and make it a global investment hub, the GoUP believes that a complementary framework of investment promotion is essential with an overarching strategy of the '**most preferred investment destination**' image of Uttar Pradesh.

Towards this, the follow action plan is envisaged -

11.1 Framework on Integrated Investment Promotion outlining strategic areas, sectors, region profiles, investment levers, resources, and other provisions will be developed

11.2 A targeted approach to reach prospective investors and communicate investment opportunities in the state through various channels will be

undertaken. As envisaged, sector specific professionals will be hired from the market for this purpose.

- 11.3 GoUP will participate in and host various national and international trade fairs, events and conferences which will act as an ideal platform for B2G interactions and showcasing sectoral strengths & conducive policy framework of Uttar Pradesh.
- 11.4 A Global Investors Summit (GIS) will be organised with an objective to project Uttar Pradesh as a Global Investment hub.
- 11.5 The State Investment Promotion Board will be strengthened
- 11.6 Incentive frameworks will be streamlined to offer fiscal and non-fiscal interventions in focus and sunrise sectors of interest and value, while allowing for regional weightages
- 11.7 40% of old Plant & machinery imported will be considered as Eligible Capital Investment for providing various fiscal incentives mentioned in the policy to promote industries relocating from foreign countries
- 11.8 A Customer Relationship Management portal for investor lead management and investor communication will be developed by Invest UP to enable faceless facilitation. This will also be linked to the online Single Window Portal – Nivesh Mitra. It will prove to be a single one-stop solution to redress all investor grievances.
- 11.9 Online Incentive Management System linked will be developed to sanction and disburse incentives for all policies. The same will be linked with Nivesh Mitra
- 11.10 The existing industrial helpline service of Invest UP will be strengthened
- 11.11 Dedicated nodal officers will be provided for facilitation to mega and above projects
- 11.12 Specialised soft skill trainings will be introduced to promote customer-oriented mind set in all departments providing service to industries

12. Fiscal Incentives

To attract maximum investment and maintain competitiveness of the industries in the State, the policy will extend attractive fiscal incentives, subsidies and concessions. Towards this, a detailed guidelines will be issued by the GoUP.

12.1 Eligibility and definitions

12.1.1 **Effective Date** means the date from which this Policy becomes effective.

- 12.1.2 **Effective Period** means the period starting from the Effective Date till the period for which this Policy remains in force (5 years) or until any amendment or repeal thereof by the State Government.
- 12.1.3 **Eligible Industrial Undertaking** means any industrial undertaking (not being an industrial undertaking in the joint sector or public sector where the share capital of Government or a Government undertaking is 50% or higher) owned by any entity constituted as a company, partnership firm including a LLP, Society, Trust, Industrial Cooperative Society or Proprietary concern engaged or to be engaged in the manufacture, production, processing, contract manufacturing or job work of articles and set up as a new or expansion or diversification project.
- 12.1.4 **Expansion** means, where an existing Industrial Undertaking increases its gross block by at least 25%. through new capital investment
- 12.1.5 **Diversification** means where an existing Industrial Undertaking manufactures an entirely distinct product (and not merely a variant of existing product). Further, the Industrial Undertaking to be eligible for incentives under diversification has to increase its gross block by at least 25% or has to qualify as a Mega or above Project Category as defined in this policy, whichever is less, through new capital investment.
- 12.1.6 For **Capital Investment**, the following cost borne by the Industrial Undertaking would be considered –

- i. **Land** – The actual purchase price as per the registered document of the land shall be considered as the cost of land for the project (excluding Stamp duty & registration charges). In case, the land is allotted by U.P. State Industrial Development Corporation (UPSIDA) or any other State Govt Agency, the actual allotment price paid shall be considered as the cost of land (excluding Stamp duty & registration charges).
- ii. **Building** – Building means a new building constructed for the project, including administrative building.

The cost of new buildings constructed for installation of plant and machinery, research & development activities, in-house testing facilities, storage facilities, and other buildings related to the manufacturing process and building related to Hostel/ Dormitory for workers, office space and administrative compound, shall be considered as per the actual expenditure incurred.

Note: A maximum of 30% of Total Capital Investment (which includes the actual land price, total cost of Building, Other Construction, Plant & Machinery, and Infrastructure as defined in this policy) will be taken into

account as total Land and Building component for the purpose of arriving at the Capital Investment.

- iii. **Other construction** – Other construction means construction such as compound wall and gates, security cabins, internal roads, bore well, water tank, internal pipeline network for water and gas, and other related constructions.
- iv. **Plant & Machinery** – Plant and machinery means new indigenous/ imported plant and machinery; utilities, dies, moulds, jigs, and fixtures and similar production tools owned and used within the plant; cost of transportation, foundation, erection, installation and electrification. The electrification cost will include the cost of sub-station and transformer. Such other tools and equipment, which are helpful for manufacturing the product(s), shall also be included.

Plant & Machinery shall also include Plant for generation of non-conventional energy; Research & Development; Vehicles used for transportation only within the premises of the industrial unit, and material handling equipment exclusively used in transporting goods within such premises; Plant for captive power generation/ co-generation set up within the premises of the Industrial Undertaking of which at least 75% of the power generated should be for self-use of the Industrial undertaking; Plant for purification of water; Plant for pollution control measures, including facility for collection, treatment, disposal of effluent/emission or solid/ gaseous hazardous waste; Diesel Generating sets and boiler

40% of the cost of old Plant & machinery imported by Industrial Undertakings relocating from foreign countries will also be considered eligible.

- v. **Infrastructure facilities** –Infrastructure facilities means such new roads, sewer lines, water drainage, power lines, railway siding infrastructure (including such other facilities essential for operation of unit), which link the undertaking's premises with the main infrastructure trunk lines. Apart from the above, installation of Effluent Treatment Plant, sewage treatment plant, and power feeder for self-use by the Industrial Undertaking will also be included.

12.1.7 **Ineligible Capital Investment** includes - Working capital; Goodwill; Preliminary and pre-operative expenses; Interest capitalized; Expenses capitalized in the books for acquisition of technology/ technical know-how; consultancy charges; royalty; design and drawings; patents, licenses, software and intellectual property rights and Power generation, except for captive use as mentioned under Plant & Machinery head of Capital

Investment as defined in this policy. Such heads shall not be considered for calculating the capital investment.

12.1.8 Cut-off Date means

- i) the Date of Commencement of Investment of the project falling within the Effective Period of the Policy, in case, investment starts on or after Effective Date of the Policy.
- ii) the Effective Date of the policy in case investment commences prior to the Effective Date. However, in case only land is acquired prior to the Effective Date, the date on which the first investment towards any of the other heads (except Land) defined under Capital investment is made on or after the Effective Date will be considered as Cut-off Date.

12.1.9 Date of commencement of commercial production means the date on which the industrial undertaking starts its commercial production.

12.1.10 Eligible Investment Period means the period commencing from the Cut-off Date falling in the Effective Period of this Policy up to 4 years or till the date of commencement of commercial production, whichever is earlier for Large projects; up to 5 years or till the date of commencement of commercial production, whichever is earlier for Mega projects; up to 7 years or till the date of commencement of commercial production, whichever is earlier for Super Mega projects; and up to 9 years or till the date of commencement of commercial production, whichever is earlier for Ultra Mega projects.

Table 1: Eligible Investment Period

Categories	Eligible Investment Period
Large	4 years
Mega	5 years
Super Mega	7 years
Ultra-Mega	9 years

Such cases will also be covered under Capital Investment in which the Date of Commencement of Investment is within the period immediately preceding 5 years from the Effective Date (for all categories) subject to the condition that commercial production in such cases commences after the Effective Date and at least 80% of the Capital Investment should have been made after the Effective Date.

However, the investment made in the Land component of Capital Investment even prior to the period immediately preceding 5 years from the Effective Date will also be allowed for the purpose of calculating Capital Investment. The value of such investment in land shall be considered on the

book value at the time of purchase of the land and any revaluation of the land done after that will not be considered.

12.1.11 For administering the incentives, the following four investment commitment-based **Project Categories** have been identified (Table 2). The minimum Capital Investment required to be eligible for each Project Category will be termed as the **Threshold Investment** for the respective categories. MSMEs shall be provided incentives under the MSME Policy of the State.

Table 2: Capital Investment based Project Categories

Categories	Capital Investment
Large	Above ₹50 Cr but below ₹200 Cr
Mega	₹200 Cr or above but below ₹500 Cr
Super Mega	₹500 Cr or above but below ₹3,000 Cr
Ultra-Mega	₹3,000 Cr or above

12.1.12 **Eligible Capital Investment (ECI)** means the Capital Investment as has been made by an industrial undertaking in its Eligible Investment Period after the Effective Date of the policy. In case, the Capital Investment by the Industrial Undertaking has started prior to the Effective Date, at least 80% of such Capital Investment should be made after the Effective Date of the Policy and the same Capital Investment will be considered as the Eligible Capital Investment. However, for deciding the Project Category of investment (Large/ Mega/ Super Mega/ Ultra Mega), the Capital Investment in the Eligible Investment Period, as enumerated, will be considered.

However, an amount not exceeding 10% of the capital investment, made beyond the date of commencement of commercial production, but within 4/5/7/9 years (depending upon the category) shall also be included as ECI but the Project Category, as defined in this policy, in such cases will continue to remain the same.

12.1.13 Industrial undertaking making **Phased Investment** will be eligible to avail incentives under this Policy provided such applications are received at least prior to the Date of commencement of commercial operations of the first phase. In such cases, the relevant incentives will be disbursed post attainment of the Threshold Investment and post commencement of commercial production of the phase in which the Threshold Investment has been attained. The unit will be eligible for relevant incremental incentive on the additional Eligible Capital Investment; however, the Eligible Investment Period will remain the same.

12.2 Stamp Duty Exemption

Stamp duty exemption of 100% in Bundelkhand & Poorvanchal, 75% in Madhyanchal & Paschimanchal (except Gautam Buddh Nagar & Ghaziabad districts) region of the state and 50% in Gautam Buddh Nagar & Ghaziabad districts. To avail such exemption, a bank guarantee of equivalent amount will have to be deposited by the industrial unit which will be released on commencement of commercial production by the unit.

12.3 Investment Promotion Subsidy

A one-time choice of choosing one option between three mutually exclusive options for availing Investment Promotion Subsidy will be extended to the investors. The choice will have to be exercised at the beginning of the Project by the investor during the time of application. However, the applicant will have one additional chance of changing the Option chosen at the time of application. This additional chance can be exercised prior to the approval of the High-Level Empowered Committee or the Empowered Committee, as the case may be for grant of Letter of Comfort. No further chance of changing the Option chosen by the applicant will be entertained.

The Industrial Undertaking can choose one of the following 3-options:

12.3.1 Option 1: Capital Subsidy

- i. Under this option, industrial undertakings can avail **Capital Subsidy** equal to the Base Capital Subsidy, as provided in the Table 3, multiplied by a Gross Capacity Utilisation Multiple (GCM) in annual instalments and subject to an Annual Ceiling as mentioned in Table 3.

Annual Capital Subsidy = (Base Capital Subsidy X GCM) / applicable Incentive disbursement duration

District/ Region	Large	Mega	Super Mega	Ultra-Mega
Gautam Buddh Nagar & Ghaziabad	10% of ECI over a period of 10 years	18% of ECI over a period of 12 years	20% of ECI over a period of 15 years	22% of ECI over a period of 20 years
Madhyanchal & Paschimanchal (except Gautam Buddh Nagar & Ghaziabad districts)	12% of ECI over a period of 10 years	20% of ECI over a period of 12 years	22% of ECI over a period of 15 years	25% of ECI over a period of 20 years
Bundelkhand & Poorvanchal	15% of ECI over a period of 10 years	22% of ECI over a period of 12 years	25% of ECI over a period of 15 years	30% of ECI over a period of 20 years
Incentive disbursal duration	Over 10 years in 10 annual instalments	Over 12 years in 12 annual instalments	Over 15 years in 15 annual instalments	Over 20 years in 20 annual instalments
Annual Ceiling	₹ 5 Cr	₹ 10 Cr	₹ 50 Cr	₹ 150 Cr
Annual Ceiling with boosters	Not applicable	₹ 15 Cr	₹ 75 Cr	₹ 210 Cr

- ii. The **Gross Capacity Utilisation Multiple (GCM)** has been introduced in this policy to ensure that optimal utilisation of the installed capacity is done by the beneficiaries of this Policy. The GCM shall be considered as 1 for first year provided the capacity utilization for the unit is 40% of the installed capacity. For the subsequent years GCM shall be considered as 1, provided the capacity utilisation of that year is 75% or more of the installed capacity. In case the capacity utilisation is less than 75%, the GCM shall be proportionately reduced as per the given formula

$$\text{GCM} = \text{Minimum of } (75\%, \text{Capacity Utilisation of the considered year}) / 75\%$$

- The maximum GCM value shall be '1'.
- If the Capacity Utilisation is less than or equal to 10% of installed capacity, the GCM will be 0
- In case of Phased Investment, the GCM for the first year after each phase will be considered 1 for the additional investment done, if the capacity utilisation is at least 40% of the additional capacity installed in that phase. In the subsequent years, the GCM will be 1 if the total capacity utilisation of the unit is 75% of total installed capacity and if below, the GCM will be proportionately reduced.
- In case of expansion projects, the installed capacity of the existing unit is the one that is existing in the financial year preceding the financial year in which the commercial production of the expansion project has commenced. The GCM will be calculated based on the incremental capacity utilisation achieved due to the capacity installed by additional investment.

- e. In case of diversification projects, the GCM will be calculated based on the capacity utilisation achieved due to the additional capacity installed for the new product (s) through additional investment.
- f. The Capital Subsidy that is reduced due to a GCM of below 1 in a particular year will not be carried forward to subsequent years.

Note: Detailed guidelines for the calculation of GCM will be provided in the policy procedures which will be notified separately.

- iii. Mega and above category projects can avail additional Capital Subsidy in the form of Boosters, as below, subject to an annual ceiling with booster as mentioned in Table 3 –

Annual Capital Subsidy = [(Base Capital Subsidy + Employment Booster + Exports Booster + Ecosystem Booster) x GCM]/ applicable Incentive disbursement duration

- iv. **Employment booster** – Mega and above category projects can avail Employment Booster as below on providing a minimum employment as provided in Table 3. The average annual employment (covered under Employment Provident Fund) provided by the applicant will be considered to arrive at the annual Employment Booster percentage.
 - a. On employing the minimum employment for the given project category in the considered year or employing at least 75% women employee of the minimum employment for the given project category – Employment Booster of 2% of ECI
 - b. On employing more than twice the minimum employment for the given project category in the considered year or employing at least 75% women employee of twice the minimum employment for the given project category – Employment Booster of 3% of ECI
 - c. On employing more than thrice the minimum employment for the given project category in the considered year or employing at least 75% women employee of thrice the minimum employment for the given project category – Employment Booster of 4% of ECI

Table 4: Project category wise minimum employment number

Categories	Employment
Mega	300
Super-Mega	600
Ultra-Mega	1500

- v. **Exports Booster** – Mega and above category projects can avail the Exports Booster which would be determined as a ratio of production meant for exports to total production for a given year as below –

- a. More than or equal to 25% of its production in a considered year through exports - Exports Booster of 2% of ECI
 - b. More than or equal to 50% of its production in a considered year through exports - Exports Booster of 3% of ECI
 - c. More than or equal to 75% of its production in a considered year through exports - Exports Booster of 4% of ECI
- vi. **Ecosystem Booster** – If any Mega or above category Project procures any input or any raw material for manufacturing its final product from any existing or new manufacturing unit within Uttar Pradesh, then it shall be entitled for an Ecosystem Booster as follows -
- a. On procurement of more than or equal to 40% but less than 60% of its total raw/ input material requirement – Ecosystem Booster of 2% of ECI
 - b. On procurement of more than or equal to 60% but less than 75% of its total raw/ input material requirement – Ecosystem Booster of 3% of ECI
 - c. On procurement of more than or equal to 75% – Ecosystem Booster of 4% of ECI

12.3.2 Option 2: Net SGST Reimbursement

- i. Reimbursement of 100% of the net SGST amount deposited in State's account will be done in the manner mentioned in Table 4, subject to not exceeding the amount of net deposited SGST in a particular financial year -

Table 5: Net SGST reimbursement

Particulars		Large	Mega	Super Mega	Ultra-Mega
Annual % of net SGST Reimbursement		100%	100%	100%	100%
Period of reimbursement (in years)		6	12	14	16
Gautam-Buddh Nagar & Ghaziabad	Annual Ceiling as % of ECI	16%	7%	6%	5%
	Overall Ceiling as % of ECI	80%	80%	80%	80%
Madhyanchal & Paschimanchal (except Gautam-Buddh Nagar & Ghaziabad districts)	Annual Ceiling as % of ECI	18%	17%	14%	13%
	Overall Ceiling as % of ECI	90%	200%	200%	200%

Bundelkhand & Poorvanchal	Annual Ceiling as % of ECI	20%	25%	21%	19%
	Overall Ceiling as % of ECI	100%	300%	300%	300%

- ii. In case of expansion/ diversification projects, only the incremental investment will be eligible for incentives. The Net SGST eligible for reimbursement will be assessed on the basis of Incremental Turnover. The Incremental Turnover means the difference of the current turnover after expansion minus the base turnover. The Base Turnover means the maximum turnover in any financial year, in the preceding 5 financial years (or less in case the unit has been in production for less than 5 years), (that is 5 years preceding the financial year in which the date of commercial production falls in case of a single-phase project, or 5 years preceding the date of commercial production of first phase in a multi-phase project).

12.3.3 Option 3: Top up on incentives received under Production Linked Incentives (PLI) Scheme of Government of India

- i. 30% of the PLI incentives (as and when disbursed by GOI) sanctioned under any PLI Scheme of Government of India Scheme to be disbursed as and when PLI incentives are disbursed by the Gol.
- ii. An overall ceiling of the incentives to be provided by GoUP will be capped at 100% of ECI
- iii. The GoUP can add more such schemes of Government of India beyond the PLI Schemes under this option after the approval of Hon'ble Chief Minister.

12.4 Case-to-case basis incentives

Government may consider providing customized package of incentives on case-to-case basis as deemed necessary for Ultra Mega category projects of special importance. Such customised packages on case-to-case basis shall be approved by the Cabinet.

12.5 Incentive for R&D projects and Intellectual Property Rights

12.5.1 The Government will reimburse 25% of the expenditure subject to a maximum of ₹10 Crore for standalone R&D units. The reimbursement will be in addition to the Investment Promotion Subsidy and Stamp Duty reimbursement as eligible and as provided under this policy.

- i. Such projects must have a minimum Eligible Capital Investment of Rs. 20 cr.

- ii. It must have a clearly demarcated facility inside or outside an industrial unit.
- iii. It must be Registered with the Department of Scientific and Industrial Research, Government of India (DSIR)
- iv. The subsidy will be provided in instalments of 50% on approval of the project, next 25% after 3 years of approval and last 25% on achievement of the committed results in 5 years.
- v. 10 such units over the policy period will be incentivised under the policy

12.5.2 Standalone R&D firms are expected to be engaged in innovative research & development activities related to the line of business of the firm, such as the development of new technologies, design & engineering, product development, development of new methods of analysis & testing, and research for increased efficiency in the use of resources. At the time of application, the R&D unit(s) should have well defined, time-bound R&D programmes leading to the development of innovative products and/or technology(ies). Firms engaged solely in market research, work & methods study, operations & management research, testing & analysis of routine nature for operation, process control, quality control and maintenance of day-to-day production, and maintenance of plant shall not be considered as R&D firms.

12.5.3 The Government will reimburse 50% of the expenditure incurred for registration of patent, copyright, trademarks, and Geographical Indicators as a result in-house R&D subject to a maximum of ₹1 Crore. This incentive will be applicable for those eligible Industrial Undertaking to whom any of the options under Incentive Promotion Subsidy has been sanctioned or any Standalone R&D Unit to whom incentive has been sanctioned under this policy. The reimbursement will be in addition to the Investment Promotion Subsidy, Stamp Duty reimbursement and incentive for standalone R&D units as eligible and as provided under this policy.

12.6 Financial grant to Centres of Excellence

12.6.1 Private companies or PSUs or Government organizations (both GoI and GoUP) shall be encouraged to set up Centres of Excellence (CoE). Towards this, Centres of Excellence which are not entitled to any benefits under any of the policies of the GoUP will be considered for financial grant under this policy. In addition, CoEs in the areas like resource efficiency, circular economy, quality improvement and Industry 4.0 will also be promoted. These CoEs shall facilitate R&D, testing, technology acquisition and other facilities to industry in the State. Dovetailing with GoI policies shall be allowed. A High-Level Empowered Committee under the chairmanship of Chief Secretary will decide on the areas.

12.6.2 A maximum of 10 such COEs will be promoted in the policy period with a cap of maximum 2 such CoEs in a sector.

12.6.3 The quantum of grant shall be up to 50% of the project cost up to an overall ceiling of ₹10 crores per project.

12.7 Incentive for infrastructure projects

12.7.1 To create a vibrant ecosystem for the renewable energy sector in the State, Pumped Storage Plants (PSP) will be promoted in the State

12.7.2 Other such infrastructure project categories may be added in the eligible list on the approval of Hon'ble Chief Minister.

12.7.3 Eligible Pumped Storage Plant categorised as Mega or Above Projects, will be extended the following incentives –

- i. Stamp duty exemption will be extended to such eligible PSP projects up to an extent of 100% in Bundelkhand & Poorvanchal, 75% in Madhyanchal & Paschimanchal (except Gautam Buddh Nagar & Ghaziabad districts) region of the state and 50% in Gautam Buddh Nagar & Ghaziabad districts.
- ii. Base Capital Subsidy as defined in Option 1 (Table 3) of Investment Promotion Subsidy under para 12.3.1 of this policy. However, the GCM and all the Boosters, as defined in this policy, will not be applicable for such projects.

12.8 Condition for availing policy incentives

Projects availing incentives under this policy will not be eligible to avail incentives under any other policy of the State Government, except for any subsidy/ incentive availed under any scheme of the State for Export Promotion provided it is not under the same head of subsidy/ incentive as provided under this Policy.

Note: All incentives specified in this policy may be availed in addition to incentives available under any Government of India scheme/policy.

Strategy 5: Sustainability pillars of intervention

13. Creating employment opportunities

Accelerating employment growth is crucial for uplifting the socio-economic status of citizens and offer them higher standards of living. Given the state is witnessing a significant demographic growth with an expanding working age population, the GoUP intends to lay emphasis on creation of opportunities that would directly augment

employment in the State. Towards this, the policy intends to offer a conducive environment to ensure these employment opportunities are created across the state.

With special benefits for creating job opportunities, the State will focus on sectors with high employment generation potential like Handloom and textiles, MSMEs, Start-ups, etc. The policy framework of the State will also focus on self-employment and job creation for local artisans through flagship programs like ODOP and Vishwakarma Shram Yojana.

In addition, the impetus of policy on higher integration with global supply chains would not only boost investment but is also expected to increase the employment levels.

Equal emphasis will be laid on skill development ecosystem in the State so as to enhance the employability of the workforce in the State.

14. Ensuring balanced regional growth

Various steps have been taken by the Government to address the regional imbalance faced by the State especially in Bundelkhand and Poorvanchal regions. This includes development of enabling infrastructure like Bundelkhand and Poorvanchal Expressways, Gorakhpur link Expressway, airports, Defence Industrial Corridor, various industrial parks, flatted factories, integrated manufacturing clusters, interventions under ODOP initiative, etc. Policy interventions in this regard include higher incentives for specific regions, dedicated policy for accelerated creation of growth centres in these regions in addition to various other sectoral interventions were also undertaken.

To continue the balanced regional growth momentum achieved in the State, this policy provides a graded incentive structure to promote industrial development in these regions. In addition, the policy will focus on improving exports from these regions while leveraging the advantages of the Bundelkhand, Madhyanchal, Paschimanchal and Poorvanchal regions of the State. The Government will strive to improve quality and access to education and skill development programs in these areas, develop road infrastructure & power connectivity while leveraging technology to deliver intended solutions in these areas. New industrial parks and areas will also be created.

15. Circular economy and environment protection

The Government is committed to the principle of sustainable growth and is conscious about its responsibility of ensuring a clean and green environment while promoting industrialisation. Towards this, circular and sustainable economy can provide a reliable model. Unlike Linear Economy which works on the pattern of 'Take, Make and Waste', Circular Economy is a model of production and consumption, which involves sharing, leasing, reusing, repairing, refurbishing and recycling existing materials and products as long as possible. In the circular economy, the products or

materials are used again and again, thereby have extended life cycle, and the waste is reduced to near zero.

To promote circular economy and environmental protection, the State Government will –

- 15.1 The following units/activities will be incentivized under this policy:
 - 15.1.1 Shredding units engaged in the shredding of auto vehicles & auto parts and providing its finished products to the steel making units
 - 15.1.2 Manufacturing of bio-fuel/ bio-diesel
 - 15.1.3 Processing/ Recycling of plastic waste into usable products
 - 15.1.4 Processing/ Recycling of waste to produce energy/ other usable products
 - 15.1.5 E-Waste Management units/ facilities/ parks¹ engaged in processing/ recycling of products listed in e-Waste Management Rules, 2015 and its subsequent amendments
 - 15.1.6 Any other activity notified by the Central Government or State Government adding value in the economy. A special committee shall be notified to approve such units falling under Circular Economy for the purpose of incentive under the Policy

Units engaged in above activities shall be entitled to the same benefits and incentives provided under this policy as available to an 'Eligible Industrial Undertaking'.

- 15.2 Align the initiatives of GoUP with that of GoI to achieve the National goals around circular economy with indicators like resource productivity, recycling rate, municipal waste generation, eco-innovation, share of renewable energy and greenhouse gas emissions
- 15.3 Reverse logistics for Industries, in line with the National Logistics Policy 2022, will be encouraged to ensure retrieval of parts, recycling of products and disposal of packaging waste to support a push towards a 'circular economy', while contributing to the Swachh Bharat Mission. There will be special focus on devising methods to ensure that different categories of wastes (including hazardous, solid and bio-medical wastes) are transported as per the provisions of the corresponding waste management rules notified under the Environmental Protection Act, 1986. A culture of research and innovation within the industries will be actively promoted by establishing collaboration between industry, academia and government to increase focus on 'clean initiatives' across all levels industrial services to ensure sustainable growth

¹ does not include informal recyclers

- 15.4 Drive sectoral policies/ initiatives to incorporate measures promoting circularity, which covers the entire life span of a product as well as the processes including disposal.
- 15.5 Specific sectoral policy frameworks around circular economy viz. Municipal Solid Waste and Liquid Waste, Scrapping, etc. will be launched.
- 15.6 The policy will incentivise investment in installation plant for purification of water; Plant for pollution control measures, including facility for collection, treatment, disposal of effluent/emission or solid/ gaseous hazardous waste as eligible investment under Plant & Machinery head of Capital Investment.
- 15.7 The industrial development authorities will strive to install Common Effluent Treatment plants in its industrial estates/ parks/ areas.
- 15.8 The Government will also encourage greater compliance of the industries with the environmental standards and facilitate them in adoption of technologies reducing air and water pollution.

16. Policy Implementation

- 16.1 This policy will come into effect on the date of its notification and will remain in force for the period of 5 years.
- 16.2 Only the Cabinet is authorised to approve policy amendments.
- 16.3 In case of any amendments in this policy, the committed package of incentives which were approved prior to policy amendment, will not be withdrawn and the unit will continue to remain entitled to the benefits.
- 16.4 Units with approved package of incentives under IIEPP 2017 will continue to remain entitled to the benefits. In case of any amendment in the Letter of Comforts already issued to units under the IIEPP 2017, the amendments will be done as per the conditions laid down in IIEPP 2017
- 16.5 For cases which are under consideration for sanction of Letter of Comfort for incentives before the competent authority under IIEPP 2017, will have a one-time option of either applying under this new policy in case they are eligible as per the terms and conditions laid down under this new Policy or continue to be considered under IIEPP 2017. This option can be exercised not later than one month from the date of notification of rules under this Policy.
- 16.6 An Online Incentive Management Portal linked to Nivesh Mitra will be launched by the Government. Once launched, a date will be specified post which the applications for incentive under this policy will be accepted only through the portal and a unique ID will be provided to applicants.

- 16.7 In case, an eligible Industrial Undertaking, during the period of availing disbursement of sanctioned incentives under this policy, is taken over by a new entity as per the orders of National Company Law Tribunal (NCLT) or otherwise, such successor entity will be eligible to avail the remaining incentives for the incentivised unit for the remaining period over which the original Industrial Undertaking, would have availed incentives, as sanctioned under this policy. Such successor entity will have to meet all the terms and conditions originally stipulated while sanctioning & disbursing the incentives to the original incentivised unit.
- 16.8 A unit set up by an Industrial Undertaking by acquiring a sick unit & its asset will also be eligible to avail incentives under this policy. 20% of the total acquisition cost of the sick unit & its asset will be considered against each of the relevant components of Capital Investment defined in this Policy. The sum of the 20% of the acquisition cost so arrived and the new additional Capital Investment done after the Effective Date and within the relevant Eligible Investment Period will be considered as the Capital Investment of the project to determine the Project Category. However, the Eligible Capital Investment to be considered for providing incentives will be only the new additional Capital investment done after the Effective Date of the Policy, over and above the acquisition cost of the sick unit & its asset.
- 16.9 Successor entities formed through merger/ demerger/ amalgamation/ change in constitution and any such other cases shall be eligible for such incentives under this policy, as it was applicable to the parent industrial unit.
- 16.10 Implementing incentive scheme for **Private Industrial Parks** as defined in Para 4.3 of the Policy
- 16.10.1 UP State Industrial Development Authority (UPSIDA) shall act as the Nodal Agency for sanction and disbursement of incentives to Private Industrial Parks
- 16.10.2 Towards this an Evaluation Committee at the level of Chief Executive Officer (CEO), UPSIDA shall be set up for evaluation of applications.
- 16.10.3 An Empowered-Committee headed by IIDC shall recommend the sanction and disbursement of incentives to Hon'ble Industrial Development Minister, GoUP.
- 16.11 Implementation of **Land Aggregation facility for Private Industrial Parks** as per Para 4.4 of the Policy
- 16.11.1 UPSIDA shall act as the Nodal Agency for providing License and subsequent monitoring of applications received under the Scheme.

- 16.11.2 Towards this, an Evaluation Committee at the level of CEO, UPSIDA shall be set up.
- 16.11.3 An Empowered Committee headed by Infrastructure & Industrial Development Commissioner (IIDC), GoUP shall approve applications.
- 16.12 Implementation of **Fast-Track Land Allotment Scheme** as per Para 4.5 of the Policy
- 16.12.1 Invest UP will act as the Nodal Agency towards which a Fast-Track Land Allotment Cell shall be created.
- 16.12.2 An Evaluation Committee at the level of CEO, Invest UP shall be set up.
- 16.12.3 A Fast-Track Land Allotment Committee headed by IIDC shall provide its final recommendation for such allotment.
- 16.13 Implementation mechanism for sanction and disbursement of **fiscal incentives** to individual industrial undertakings as defined in Chapter 12 of the Policy
- 16.13.1 Invest UP shall act as the Nodal Agency for sanction and disbursement of fiscal incentives to industrial undertakings
- 16.13.2 A Policy Implementation Unit (PIU) shall be set up at Invest UP and adequately staffed with outsourced professionals and consultants to support in managing the Applications and Single Window operations headed by a designated Nodal Officer. The Nodal Agency shall also empanel Chartered Accountants, Engineers, Cost Accountants, GST Auditors etc. as individuals or firms or agencies.
- 16.13.3 An Evaluation Committee at the level of CEO, Invest UP shall be set up for evaluation of applications.
- 16.13.4 An Empowered Committee headed by IIDC shall recommend sanction and disbursement of Large Category applications to Hon'ble Industrial Development Minister for approval.
- 16.13.5 A High-Level Empowered Committee headed by Chief Secretary, GoUP shall recommend sanction and disbursement of Mega and above Category applications to Hon'ble Cabinet for approval. This Committee will also have the power to provide any clarity or interpretation of the policy and resolving any challenges faced in the implementation of the policy.
- 16.13.6 The relevant Empowered Committees will have the power to approve changes in the number of phases and their duration, changes in the cut-off date, change in Capital Investment within the same category, and date of commencement of commercial production etc. requested by any

applicant prior to start of commercial operations and as per the terms and conditions stipulated in the policy and subsequent guidelines.

16.14 Implementation mechanism for sanction and disbursement of Grant-in-aid for Centres of Excellence

16.14.1 Invest UP shall act as the Nodal Agency for sanction and disbursement such grants.

16.14.2 An Evaluation Committee headed by IIDC shall be set up for evaluation of such applications.

16.14.3 A High-Level Empowered Committee headed by Chief Secretary, GoUP shall recommend the applications for approval of Hon'ble Chief Minister.

-----X-----